लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं]

[**Vol. XXXIX contains Nos. 11—20**]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

58(A.I) LS—1

विषय-सूची

अंक 11, बुधवार, 3 मार्च, 1965 / 12 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विषय		पृष्ठ
***तारांकित प्रश्न संख्या**		
223	अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र . . .	881
224	दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह . .	884
225	भ्रष्टाचार विरोधी उपाय . . .	886
226	सरकारी कार्यालयों में काम के घंटे . . .	890
227	गोआ, दमन और दीव	893
228	भारत-संयुक्त अरब गणराज्य वैज्ञानिक बोर्ड . . .	897
229	दिल्ली का भावी राजनैतिक स्वरूप . . .	902

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
230	पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन	905
231	शिक्षा विशारदों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन .	906
232	प्रशासकीय सुधार	907
233	शिक्षा आयोग	908
234	संतानम समिति की सिफारिशें . . .	908
235	अपराधों का पता लगाना	909
236	केरल में चुनाव	910
237	तेल मूल्य जांच समिति	910
238	बरौनी तेल शोधक कारखाना . . .	911
239	राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	912
240	जम्मू तथा काश्मीर से संसद सदस्यों का सीधा चुनाव . .	912
241	गांधी जी की हत्या के बारे में जांच . . .	913
242	जापानी पैट्रोलियम रसायन विशेषज्ञ . . .	913
243	नये विश्वविद्यालय	914
244	साक्षरता के प्रसार के लिये अमरीकी सहायता . .	914
245	त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तानी सेना--पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	914

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 11—*Wednesday, March* 3, 1965/*Phalguna* 12, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
223	Teachers' Constituencies	881
224	Pakistani Spy Ring in Delhi	884
225	Anti Corruption Measures	886
226	Working Hours of Government Offices	890
227	Goa, Daman and Diu	893
228	Indo-U.A.R. Scientific Board	899
229	Future Political Set-up of Delhi	902

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
230	Migration from East Pakistan	905
231	International Conference of Educationists	906
232	Administrative Reforms	907
233	Education Commission	908
234	Santhanam Committee's recommendations	908
235	Detection of Crimes	909
236	Kerala Elections	910
237	Oil Price Inquiry Committee	910
238	Barauni Refinery	911
239	Anti-National Activities	912
240	Direct Election of M.Ps. from J. & K.	912
241	Enquiry into Gandhiji's Assassination	913
242	Japanese Petro-chemical Exports	913
243	New Universities	914
244	American aid for spread of literacy	914
245	Firing by Pak. Military Police on Tripura border	914

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
246	सेकेन्ड्री स्कूल अध्यापकों की मांगें	915
247	दण्डकारण्य का विकास	916
248	पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी भारत-रूसी बोर्ड	917
249	वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक विकास	917
250	हिन्दी में पुस्तकों का अनुवाद	918
251	कोचीन से तेल का ले जाया जाना	918
252	पंजाब में भ्रष्टाचार के बारे में दास आयोग का प्रतिवेदन	919

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
523	राजस्थान में जूनियर तकनीकी विद्यालय	919
524	राजस्थान पुलिस आवास योजना	920
525	पाकिस्तान में भारतीय पुलिस के सिपाहियों की नजरबन्दी	920
526	पर्यटक महानिदेशक	920
527	हिन्दी सलाहकार समिति शिष्टमण्डल	921
528	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	921
529	स्वर्गीय चन्द्रशेखर आजाद की मां	921
530	चीन को चावल का चोरी छिपे भेजा जाना	922
531	जिलों में भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों की नियुक्ति	922
532	होटलों में पर्यटकों के लिए मदिरापान की व्यवस्था	922
533	लड़कियों की शिक्षा	923
534	दिल्ली में कालिजों के प्राध्यापक	924
535	गोआ में इंजीनियरी कालिज	924
536	उर्दू	924
537	सामान्य लिपि	925
538	कच्चे तेल के संसाधन तथा तेल शोधन क्षमता कारखाने	925
539	अफ्रीकी एशियाई वैज्ञानिकों का सम्मेलन	926
540	भारतीय अकादमियों तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद	927
541	हांगकांग में महिला हाकी टूर्नामेंट	927
542	दिल्ली नगर निगम के सदस्य	928
543	कुकी नेशनल आर्मी	928
544	दिल्ली में स्कूल	929
545	सिराजुद्दीन एंड कं० के मामले	929
546	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें	930
547	विज्ञान मंदिर	930
548	दिल्ली में अपराधों का पता लगाना	931

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
246	Demands from Secondary School Teachers	915
247	Development of Dandakaranya	916
248	Indo-Soviet Board on Text-books	917
249	Scientific Research and Industrial Development	917
250	Translation of Books in Hindi	918
251	Transport of Oil from Cochin	918
252	Das Commission's Report on corruption in Punjab	919

Unstarred Question Nos.		
523	Junior Technical Schools in Rajasthan	919
524	Rajasthan Police Housing Scheme	920
525	Detention of Indian Policeman in Pakistan	920
526	Director-General of Tourism	920
527	Hindi Advisory Committee Delegation	921
528	Aligarh Muslim University	921
529	Mother of Late Chandrashekhar Azad	921
530	Smuggling of rice to China	922
531	Appointment of I.A.S. officers in Districts	922
532	Alcoholic Drinks for Tourists in Hotels	922
533	Girls' Education	923
534	Lecturers of Delhi Colleges	924
535	Engineering College in Goa	924
536	Urdu	924
537	Common Script	925
538	Crude Oil Resources and Refinery Capacity	925
539	Conference of Afro-Asian Scientists	926
540	Indian Akademis and I.C.C.R.	927
541	Women's Hockey Tournament at Hong Kong	928
642	Councillors in D.M.C.	928
543	"Kuki National Army"	928
544	Schools in Delhi	929
545	Serajuddin and Co. Affairs	929
546	Missing Files of ONGC	930
547	Vijnan Mandirs	930
548	Detection of crimes in Delhi	931

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
549	स्कूलों की इमारतें	931
550	आर्थिक और सांख्यिकीय सेवायें	932
551	प्रशासकीय सुधारों के लिये हूवर किस्म का आयोग	932
552	दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार	932
553	विश्वविद्यालयों में भू-जल विज्ञान	933
554	दिल्ली में अश्लील साहित्य का जब्त किया जाना	933
555	विस्थापितों को चिकित्सा सुविधायें	933
556	अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान	934
557	निःशुल्क उच्च माध्यमिक शिक्षा	935
558	वैज्ञानिक अनुसन्धान	935
559	"नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष"	936
560	दक्षिण में हिन्दी की शिक्षा	936
561	भारतीय सांख्यकी सेवा	936
562	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	937
563	दिल्ली के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे	938
564	राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों के भवन	938
565	भ्रष्टाचार निवारण	938
566	भारत के सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्दियां	939
567	भारत का इतिहास	939
568	आर्थिक "पूल"	940
569	ऋण छात्रवृत्ति योजना	940
570	पत्न मिलें	940
571	अति विस्फोटक डाइनामाइट का पाया जाना	941
572	जैसलमेर में तेल की खोज	941
573	बीकानेर में उर्वरक कारखाना	942
574	सरकारी क्षेत्र में संश्लिष्ट रबड़ के कारखाने	942
575	संश्लिष्ट रबड़ कारखाना	942
576	खान इंजीनियर	943
577	महिला कर्मचारियों के लिये कल्याण कार्यक्रम	943
578	कच्छ और खंभात की खाड़ी	944
579	उड़ीसा उच्च न्यायालय में पड़े अनिर्णीत मुकदमे	944
580	माल ले जाने वाली गाड़ियों पर कर	944
581	केरल उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे	945
582	शिक्षकों को सहायता	945
583	पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियां	945
584	वैज्ञानिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां	946
585	दिल्ली में कुतुब मीनार	946

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
549	School Buildings	931
550	Economic and Statistical Services	932
551	Hoover-Type Commission for Administrative Reforms	932
552	Corruption in D.M.C.	932
553	Geohydrology in Universities	933
554	Seizure of Obscene literature in Delhi	933
555	Medical facilities for D.Ps.	933
556	International Indian Ocean Expedition	934
557	Free Higher Secondary Education	935
558	Scientific Research	935
559	Nehru International Co-operation Year	936
560	Teaching Hindi in South	936
561	Indian Statistical Service	936
562	Complaints against Government Employees	937
563	Cases in Delhi Courts	938
564	Primary School Buildings in Rajasthan	938
565	Prevention of Corruption	938
566	Detention under D.I.R.	939
567	Annals of India	939
568	Economic Pool	940
569	Loan Scholarships Scheme	940
570	Wind Mills	940
571	Discovery of High Explosive Dynamite	941
572	Oil Exploration in Jaisalmer	941
573	Fertilisers in Bikaner	942
574	Synthetic Rubber Factories in Public Sector	942
575	Synthetic Rubber Factory	942
576	Mining Engineers	943
577	Welfare Programme for Women Employees	943
578	Gulf of Cambay and Kutch	944
579	Cases pending in Orissa High Court	944
580	Tax on Vehicles entering Mahe	944
581	Cases pending in Kerala High Court	945
582	Aid to Teachers	945
583	Merit Scholarships in Public Schools	945
584	Science Talent Search Scholarships	945
585	Qutab Minar-in-Delhi	946

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
586	स्वर्गीय श्री नेहरू के आदर्श	946
587	विशेष पुलिस संस्थान	946
588	मिनिकाय द्वीप में पुलिस थाने पर आक्रमण	947
589	खम्भात की खाड़ी में छिद्रण	948
590	पट्रोलियम और रसायन उद्योग	948
591	बुनियादी शिक्षा	948
592	समुद्रगत तेल निक्षेप	949
593	गुजरात राज्य में तेल और गैस	950

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

पाकिस्तानी कर्मचारियों की कच्छ में घुसपैठ . . . 950
श्री हुकम चन्द कछवाय 950
श्री स्वर्ण सिंह 950

सी० बी० आई० के प्रतिवेदन के बारे में 950

सभा पटल पर रखे गये पत्र 952

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . 954
सत्तावनवां प्रतिवेदन 954

लोक-लेखा समिति 954
बत्तीसवां प्रतिवेदन 954

कनाडा द्वारा उपहार स्वरूप गेहूं दिये जाने के बारे में वक्तव्य . . 954
श्री चि० सुब्रह्मण्यम 954

विनियोग विधेयक, 1965 पुरःस्थापित 955

आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1965 955
विचार करने का प्रस्ताव . . . . 955—63
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . . . 955—57
श्री नारायण दांडेकर 957
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती 958
श्री सचीन्द्र चौधरी 959
श्री बासप्पा 959
श्री हरि विष्णु कामत 960
श्री दी० चं० शर्मा 961

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
586	Ideals of Late Shri Nehru	946
587	Special Police Establishment	946
588	Attack on Police Station in Minicoy Island	947
589	Drilling in the Gulf of Cambay	947
590	Petro-chemical Industries	948
591	Basic Education	948
592	Oil Deposits under Sea	949
593	Oil and Gas in Gujarat State	950

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . . 950

Intrusions of Pakistani personnel into Kutch . . . 950

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 950

Shri Swaran Singh 950

Re C.B.I. Report 950

Papers laid on the Table 952

Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . 954

Fifty-seventh Report 954

Public Accounts Committee 954

Thirty-second Report 954

Statement re : Offer of Wheat Gift by Canada 954

Shri C. Subramaniam 954

Appropriation Bill, 1965—introduced 955

Income-tax (Amendment) Bill, 1965 955

Motion to consider . . . . 955—963

Shri T. T. Krishnamachari . . . 955—57

Shri N. Dandeker . . . 957

Shrimati Renu Chakravartty . . 958

Shri Sachindra Chaudhury . . 959

Shri Basappa 959

Shri Hari Vishnu Kamath . . 960

Shri D. C. Sharma 961

विषय	पृष्ठ
श्री मधु लिमये	962
श्री ओंकार लाल बेरवा	962
श्री खाडिलकर	963
खण्ड 2 से 7 और ।	966—72
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	967—72
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . .	966
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	972—79
श्री हिम्मतसिंहजी	972—74
श्री भागवत झा आजाद	972—76
डा० रानेन सेन	977—78
श्रीमती यशोदा रेड्डी	978—79
श्री अ० प्र० शर्मा	979
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—(जारी) . . .	981—83

Subject	PAGES
Shri Madhu Limaye	962
Shri Onkar Lal Berwa .	962
Shri Khadilkar .	963
Clauses 2 to 7 and 1 . .	966—72
Motion to pass, as amended . .	969—72
Shri T. T. Krishnamachari . .	972—79
Railway Budget—General Discussion .	972—74
Shri Himmatsinhji . .	974—76
Shri Bhagwat Jha Azad .	974-78
Dr. Ranen Sen. . .	978-79
Shrimati Yashoda Reddy .	
Shri A. P. Sharma . . .	979
Calling attention to matter of urgent public importance—Contd.	981—83

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 3 मार्च, 1965/12 फाल्गुन, 1886 (शक)

Wednesday, March 3, 1965/Phalguna 3, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र

\+
*223. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेम राज :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि देश भर के अध्यापक मार्च में अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने का विरोध करने के लिए सत्याग्रह करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों द्वारा अपनाये जाने वाले सत्याग्रह के तरीके से सहमत है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

Shri Yashpal Singh: Do the Government propose to nominate some teachers to Rajya Sabha and Legislative Councils as is done in the case of artists and poets etc.

श्री मु० क० चागला : केन्द्रीय सरकार ने अध्यापक के निर्वाचन क्षेत्र बनाने और उनका नाम निर्देशन करने के प्रश्न पर कभी विचार ही नहीं किया है। वास्तव में, यह प्रश्न शिक्षा से सम्बन्धित नहीं है अपितु एक राजनैतिक प्रश्न है। केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् ने इस बारे में कोई निणय नहीं किया है।

Shri Yashpal Singh: What steps Government are taking so that the agitation of teachers which is talked about and reported in the papers may be prevented?

श्री मु० क० चागला : अध्यापकों द्वारा सत्याग्रह की बात करना गलत है। यदि स्वयं अध्यापकों में अनुशासन नहीं है तो वह विद्यार्थियों से अनुशासन की प्रत्याशा कैसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय स्थिति इसी प्रकार की है। यह खेद की बात है कि हर रोज मुझे जो सूचनायें मिलती हैं वह डाक्टरों, श्रमिकों, अध्यापकों, पत्तनों के श्रमिकों, कारखानों के श्रमिकों आदि की हड़तालों के बारे में ही होती हैं। संसद् सदस्यों को छोड़ कर प्रति दिन कोई न कोई हड़ताल होती ही रहती है।

श्री मु० क० चागला : विधान सभाओं के सदस्यों को छोड़ कर सभी हड़ताल करते हैं। परन्तु यदि हमारे अध्यापक हड़ताल करना शुरू कर दें, तो देश का काम कसे चल सकता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो सरकार के विरुद्ध रोष दिखाने के लिए है।

श्री बूटा सिंह : पिछले वर्ष जब अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था तो माननीय मंत्री ने बताया था कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र समाप्त करने के लिए लिखा है। उन राज्यों में पंजाब का भी नाम था। पंजाब का पूरा मंत्रिमंडल बदल जाने के बाद क्या वहां से इस सम्बन्ध में कोई और पत्र आया है ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं। मुझे पंजाब सरकार से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

श्री दी० चं० शर्मा : जब नया संविधान लागू किया गया था तो उस में अध्यापकों को यह अधिकार दिया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि उनका अधिकार छीनने के क्या कारण हैं जब कि यह अधिकार नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय स्वशासन निकायों को दिया जा रहा है।

श्री मु० क० चागला : यह प्रश्न इस धारणा पर आधारित है कि सरकार यह रियायत वापिस ले रही है। जैसा मैंने सभा में बताया है सरकार ने इस प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

श्रीमती सावित्री निगम: इस कार्यवाही के विरोध में ....

अध्यक्ष महोदय : कोई निर्णय नहीं किया गया है इसलिये इसके बरे में कोई कदम उठाता नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानती हूं। इसीलिये मैं यह जानना चाहती हूं कि क्योंकि सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, तो क्या निर्वाचन क्षेत्र हटाने के विचार को बिल्कुल छोड़ देने का है ?

कुछ माननीय सदस्य : इसे क्यों छोड़ दिया जाये।

श्री मु० क० चागला : लोकतंत्र में हर समय विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

Shri Sheo Narain: Do the Government intend to apply D.I.R. to put restriction on this agitation, notice of which has been given to the Government.

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक सुझाव है।

श्री मु० क० चागला : माननीय मित्र को याद रखना चाहिये कि शिक्षा राज्य का विषय है।

Shri K. N. Tiwary: The hon. Minister has stated that no decision has so far been taken and the matter is under consideration. Will the Government take an early decision in this matter in view of the feelings of the teachers?

श्री मु० क० चागला : कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। मामला विचाराधीन है। इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार किया जाना है। हमें राज्य सरकारों की राय लेनी है। हम अध्यापकों के विचारों पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे और तभी निर्णय लेंगे।

श्री हेम राज : जब व्यवसाय के अनुसार अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो यह अधिकार उन वर्गों से वापिस क्यों छीनी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले उठाया जा चुका है।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether the Chief Ministers be consulted before taking a decision in this matter?

श्री मु० क० चागला : कोई निर्णय करने से पहले सभी से परामर्श किया जायेगा।

Shri Tulsidas Jadhav: May I know whether abolition of teachers' constituencies is one of the reasons of their discontentment? Whether lack of uniformity in the pay scales is another reason of their discontentment and this strike?

श्री मु० क० चागला : एक जैसे वेतन-क्रमों की बात और है। मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को एक से अधिक बार लिखा है कि यह बात वांछनीय है कि सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन-क्रमों और पारिश्रमिक में समानता हो।

दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह

+

*224. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दिसम्बर में नई दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसी गिरोह का पता लगने पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ग्यारह ।

(ख) अभी तक मामले की जांच चल रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस जांच से पता लगा है कि जासूसी करने वाला गिरोह जासूसी किस प्रकार करता है । यदि हां, तो इस गिरोह का जासूसी करने का तरीका क्या है तथा इस से किस प्रकार की गोपनीय बातों का पता चला है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यहां यह सब बातें बताना ठीक न होगा परन्तु निस्संदेह बहुत सी बातों का पता चला है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या किसी व्यक्ति पर राजकीय भेद अधिनियम के अधीन आरोप लगाए गए हैं ? यदि उन पर आरोप लगा दिये गए हैं तो वह आरोप क्या हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : दोष सूची अभी नहीं बनाई गई है । जांच लगभग पूरी हो चुकी है । विधि विशेषज्ञ गवाहियों की जांच कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने अथवा न करने के प्रश्न पर निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह सूचना मिली है कि जो व्यक्ति पाकिस्तानी दूतावास के निकट पकड़ा गया था वह पूना के निकट किसी रक्षा संस्थान से निकाला गया कर्मचारी

है। यदि यह सच है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि उसे इस संस्थान की सेवा से निकाले जाने के कारण क्या थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे पास यह सूचना नहीं है ?

Shri M. L. Dwivedi: Whether it is a fact that Pakistani Transmitters are active around our military establishments and whether the Government is trying to locate them? If not, why investigations are not being carried out?

Shri L. N. Mishra: I am being informed of this by the hon. Member.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Have the Government pressed into service some persons of the Central Intelligence Bureau to arrest those Pakistanis who stay on in India beyond the period stated in their passports and locate those who live in certain localities of Delhi without passport?

Shri L. N. Mishra: Some such people might be overstaying, some are arrested also and necessary judicial proceedings are carried out against those arrested.

श्री स० मो० बनर्जी : दिल्ली में इस जासूस गिरोह के सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं और इन में से कितने वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं जिनमें वरिष्ठ सैनिक अधिकारी भी शामिल हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : कुछ अधिकारी इस गिरोह से सम्बंधित हैं, परन्तु मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता। जैसा मैंने पहिले बताया है 11 व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं।

श्री स० मो० बनर्जी: मेरी सूचना के अनुसार एक सैनिक अधिकारी का भी इससे सम्बंध है इसीलिये मैं जानना चाहता था कि इन व्यक्तियों में से क्या कोई सैनिक अधिकारी भी है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इस समय हमें इसकी कोई सूचना नहीं है। परन्तु जांच के दौरान हमें जिस बात का पता लगेगा हम उसकी जांच करेंगे। इस बात का पता तो जांच से ही लग सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है कि इस समय वह यह नहीं बता सकते कि इन 11 व्यक्तियों में कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी भी है।

श्री नन्दा : उन 11 में तो नहीं हैं परन्तु जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति का पता लगा तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the Government have any such record which could indicate the number of spies coming over to India by unauthorised means and are active here?

Shri L. N. Mishra: Just possible.

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know the quantity of explosive material in possession of this spy-ring?

Shri L. N. Mishra: It is not a matter of explosives, but of papers.

58 (Ai) LSD—2.

Shri D. N. Tiwary: May I know whether it is a fact that Indian citizens keep these Pakistani spies in their houses and help them? If so, the action taken by Government against these citizens?

Shri L. N. Mishra: To keep and to live are crimes. I may mention that the law regarding this is being made more stringent to the extent of awarding capital punishment to those persons who indulge in such activities.

Shri D. N. Tiwary: I have asked about those persons who allow such persons to live with them or who are helping them. . . .

Mr. Speaker: He wants to know the action taken so far, if any.

Shri L. N. Mishra: I have stated that these both acts are crimes—to keep such persons and to live—and action is taken in this regard.

Shri D. N. Tiwary: My question has not been answered.

Mr. Speaker: Whether you can indicate any particular case where action had been taken?

Shri L. N. Mishra: I have not got this information.

Shri M. L. Dwivedi: The notice of the question had been given one month in advance but he says that he does not have the information. Is this proper?

श्री कपूर सिंह : इस सम्बन्ध में "पाकिस्तानी जासूस गिरोह" भारी शब्दों का हर जगह प्रयोग किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में यह सच नहीं है कि कुछ भारतीय पकड़े गए अथवा उन पर यह संदेह है कि उन्होंने महत्वपूर्ण सरकारी जानकारी पाकिस्तानियों को दी है । यदि ऐसा है तो क्या यह सच नहीं है कि ऐसे कार्य संसार की सभी राजधानियों में होते रहते हैं ?

श्री नन्दा : दुर्भाग्य से यही बात है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 225 । श्री द्वा० ना० तिवारी ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न सं० 234 का उत्तर भी साथ-साथ दे दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : दोनों का सम्बन्ध भ्रष्टाचार से है ।

श्री हाथी : क्या अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर देना मंत्री महोदय के लिये सुविधाजनक है तथा वह समझते हैं कि दोनों प्रश्न संबंधित हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री हाथी : मेरे विचार से दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बंधित हैं ।

भ्रष्टाचार विरोधी उपाय

+

श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

*225. श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म. ना. स्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका से विशेषज्ञों का जो दल दिसम्बर, 1964 म आया था, क्या उस के परामर्श से सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में फैले हुए भ्रष्टाचार का सामना करने के लिये नया तथा प्रभावी तरीका निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). नवम्बर और दिसम्बर, 1964 में संयुक्त राज्य अमरीका से तीन अधिकारी आये थे । एक जांच और अदालती कार्यवाही के कानूनी पहलुओं पर सलाह देने के लिये; दूसरा पुलिस प्रशासन पर तथा तीसरा कर्मचारी प्रशासन में सुधार पर सलाह देने के लिये आया था । उनकी रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । मुझे खेद है प्रश्न संख्या 234 इससे सम्बंधित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है । मंत्री महोदय समझते थे कि ये सम्बंधित हैं । सन्थानम समिति के प्रतिवेदन में कई अन्य बातें हैं ।

Shri D. N. Tiwary: May I know whether some conversation was held between members of the Sadachar Samiti and U.S. Experts? If so, the results thereof?

Shri Hathi: No conversation was held.

Shri D. N. Tiwary: I want to know the subjects which were discussed. Was the discussion held for making amendments in law or to strengthening the machinery?

Shri Hathi: The talk held with them was particularly regarding police investigation, Laboratories and police administration.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस विशेषज्ञ दल ने सरकार से यह सिफारिश की कि एक कानून बनाया जाए जिसमें मंत्रियों के लिए संहिता बनाई जाए, जैसाकि अमरीका में किया गया है; और यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री हाथी : ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि आन्तरिक मामलों में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : आन्तरिक मामलों में सहायता लेने का कोई प्रश्न नहीं है । लेकिन बात ऐसी हुई कि गृह मंत्री जी ने कर अपवंचन और अन्य बातों के बारे में अमरीका के राजदूत से बातचीत की और राजदूत ने बताया कि उनके देश में ऐसी बातों के बारे में कई बार प्रयत्न किए गए हैं और वहां कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो इस बात में सलाह देते हैं और वे यहां आ सकते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या उन लोगों को इस बारे में पड़ताल करने के लिए कोई निर्देश पद दिए गए थे अथवा उन्होंने स्वयं ही पड़ताल की ?

श्री हाथी : निर्देश पद कोई नहीं दिए गए थे, लेकिन स्पष्टतः उन्होंने उच्च सरकारी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की थी, उन्होंने उनके काम का ढंग देखा और बातचीत के बाद जो कुछ भी सुझाव वे देना चाहेंगे, देंगे । उन्होंने अभी कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी है, केवल बातचीत ही की है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार की यह नीति है कि हर मामले पर विदेशी विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाए और क्या हम इस बारे में उपाय करने में असमर्थ हैं ?

श्री हाथी : हर मामले में या सब मामलों में विशेषज्ञों को बुलाना कोई नीति नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है, क्या हम ऐसे मामलों में कार्यवाही करने में असमर्थ हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय सदस्य स्वयं फैसला कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार यह समझती है कि जांच-पड़ताल के कानूनी पहलू पर अमरीकी विशेषज्ञों की राय लेने से अपने देश का और देश के विधि व्यवसाय का उपहास होता है । सरकार ऐसे लोगों से जांच-पड़ताल के कानूनी पहलू पर सलाह ले रही है जिनको भारतीय कानूनों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, जब कि हमारे देश में ही बड़े कुशल व्यक्ति मौजूद हैं ?

श्री हाथी : यह केवल काननी पहलू पर सलाह लेने का प्रश्न नहीं है लेकिन जांच पड़ताल के तरीके के बारे में सलाह लेना है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार को जनता की इस भावना का पता है कि हम इस बारे में अपना उपहास कर रहे हैं ; अमरीका और भारत में स्थिति बड़ी भिन्न है और हम बात अधिक करते हैं और काम कम ?

श्री हाथी : जहां तक अपराधों की जांच का सम्बन्ध है, तो मैं नहीं समझता कि यदि हम जांच-पड़ताल में कठोरता बरतने का प्रयत्न करे तो इसमें उपहास की कोई बात है । **(अन्तर्बाधा)**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या उन्हें इस भावना का पता है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । गृह-कार्य मंत्री जी खड़े हो रहे हैं ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : पुलिस के कार्य को अधिक क्रियाकारी बनाने के लिए कई तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देना होता है । मैं नहीं समझता कि हम ऐसा रवैया अपनाएं कि एक देश जहां लोगों को किसी विशेष दिशा में अनुभव है . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री रघुनाथ सिंह : हम अपने कुछ विशेषज्ञ वहां क्यों नहीं भेजते ?

श्री हाथी : हम ऐसा भी कर रहे हैं ।

Shri Rameshwar Tantia: During the last six months hundreds of persons were arrested under D. I. R. for corruption charges. Would the Government file suit against them on specific charges?

Mr. Speaker: This is a different matter.

Shri Bibhuti Mishra: In view of very fine talent and great saints in our country, do the Government think it necessary to eradicate corruption on the advice of U.S. experts?

Mr. Speaker: Does he want to put saints on this job?

Shri Hathi: These experts were not called to eradicate corruption or give report in this respect. They came here to advise on the procedure of police investigation.

श्री तिरुमल राव : क्या एकाधिकारी आयोग ने इन विशेषज्ञों का लाभ उठाया है और अपने कार्यक्रम के बारे में उन्हें बताया है ?

श्री हाथी : जी, नहीं । मैं समझता हूं कि उनसे पुलिस अधिकारियों ने ही बातचीत की थी ।

श्री पु० र० पटेल : हमारे यहां सदाचार समिति है और फिर भी हमें इन विदेशी विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ती है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सदाचार समिति यह कार्य नहीं कर सकती ?

श्री हाथी : इन पदाधिकारियों ने इस बारे में बातचीत नहीं की । जिन मामलों पर बात हुई वे थे जांच-पड़ताल, विशेष प्रकार के अपराधों की जांच करने, पूछताछ करने के तरीके, वैज्ञानिक ढंग से सहायता के लिए आधुनिक सुविधाएं, गश्त, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, केन्द्रीय, प्रादेशिक और स्था ीय संचार व्यवस्था आदि ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इन विशेषज्ञों में से एक ने यह राय व्यक्त की है कि किसी मंत्री के विरुद्ध आरोपों की पुलिस द्वारा जांच कराया जाना एक अच्छा सिद्धांत है । क्या सरकार इस मत से सहमत है ौर क्या सरकार उस तरीके को बदलने को तैयार नहीं है जो तरीका उन्होंने उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध जांच के मामले में अपनाया था ?

श्री नन्दा: उन्होंने अपने काम के बारे में जानकारी दी । जैसा बताया जा चुका है, हमें अपना काम अपने देश की स्थिति, वातावरण और कार्य को देखते हुए चलाना है । मैं इस प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know the time by when the suggestions given by these experts would be implemented. What are those suggestions?

Shri Hathi: Their report has not yet been received.

श्री अल्वारेस : मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न विवरणों से हम समझते हैं कि यहां पर जैसा भ्रष्टाचार है, योरोपीय देशों में ऐसा नहीं है । क्या गृह मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या अमरीकी विशेषज्ञों श्री सिफारिशों पर इसी प्रकार ध्यान दिया जाएगा ?

श्री नन्दा : यह इनके लिए निर्देश पदों में नहीं है ।

श्री अ० प्र० जैन : इन सब बातों के लिए अमरीकी विशेषज्ञों के बुलाए जाने को सभा ने सामान्यतः पसन्द नहीं किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस बारे में फिर से सोचेगी कि सभी मामलों के बारे में विशेषज्ञों को न बुलाया जाए ?

श्री हाथी : जैसा मैंने कहा है इन विशेषज्ञों को "भ्रष्टाचार" के लिए नहीं बुलाया गया था । इनको विशेषतः जांच-पड़ताल और जांच-पड़ताल के आधुनिक तरीकों के सम्बन्ध में बुलाया गया था । हम सभी मामलों में तो विशेषज्ञ नहीं बुला रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि इन विशेषज्ञों में से एक ने विशिष्ट रूप से जांच-पड़ताल के कानूनी पहलू पर सलाह दी है । पता नहीं अब इस बात से कैसे इंकार किया जा सकता है ।

श्री अ० प्र० जैन : आत्म-सम्मान जैसी भी कोई बात है .

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने कुछ दिन पूर्व पंजाब के शिक्षा मंत्री के हाल में ही दिये गये एक वक्तव्य पर ध्यान दिया है कि राज्य में शराब के लाइसेंस देने के बारे में सत्ताधारियों को 50 लाख रुपये दिये गये थे; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन सुझाओं में ऐसे मामले भी शामिल हैं ?

श्री हाथी : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी विशेष मामले के बारे में वह कैसे बतला सकते हैं ?

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि उनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय जी, नहीं ।

Shri Tulsidas Jadhav: What is called corruption here, is treated as tips in American. I do not think as to what advice those people would give you?

Mr. Speaker: This question was answered.

श्री पं० वेंकटासुब्बया : हमारे देश में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कार्यवाई करने के अपर्याप्त उपायों को देखते हुए क्या सरकार तरीके सीखने के लिए अपने अधिकारियों का एक दल विभिन्न देशों को भेजेगी ?

[श्री] नन्दा : यह प्रश्न भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में नहीं है बल्कि पुलिस प्रशासन की कुशलता के बारे में है । अतः जो भी सहायता दी जा रही है वह पुलिस, प्रक्रिया और तकनीकी सुविधाओं की तकनीगी कुशलता के बारे में है ।

सरकारी कार्यालयों में काम के घंटे

*226. { श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने अन्य संघ मंत्रालयों को कुछ सुझाव दिये हैं कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम के घंटों में संशोधन किया जाये और महीने में दो शनिवारों की पूरी छुट्टी मनाने की पुरानी पद्धति को फिर से अपनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उन पर अन्य मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). महीने में दो शनिवारों को पूरी छुट्टी मनाने की पद्धति कभी भी नहीं रही। हां, काम के घंटे कम करने के लिए कर्मचारी-परिषदों से प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सरकारी कार्यालयों को महीने में दूसरे शनिवार के अलावा एक और शनिवार को बन्द रखने के एक प्रस्ताव पर अभी हाल ही में विचार किया गया था। कर्मचारी परिषदें इस प्रस्ताव के पक्ष में थीं। किन्तु यह फैसला किया गया कि आपातकालिक स्थिति के जारी रहने की वजह से वर्तमान योजना में किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने इस बारे में एक विशिष्ट सिफारिश की है कि एक महीने में दो शनिवारों को छुट्टी घोषित की जाए ? यदि हां, तो क्या में जान सकता हूं कि सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की यह सिफारिश क्यों नहीं मानी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : दूसरे वेतन आयोग ने दो शनिवारों को छुट्टी की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने एक शनिवार की सिफारिश की थी और सरकार ने उसे मान लिया।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों में दो शनिवार को पूरी छुट्टी रखने के पक्ष में राय दी है लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसका विरोध किया है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वित्त मंत्रालय ने इसका किस आधार पर विरोध किया ?

श्री ल० ना० मिश्र : कर्मचारी परिषदों ने यह मांग की थी। मैं यह तो नहीं कहता सभी मंत्रालयों ने इसको मान लिया और एक मंत्रालय ने इसका विरोध किया। सरकार ने यह फैसला किया कि आपातकाल के कारण इसको स्वीकार करना संभव नहीं है

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि गृह मंत्रालय द्वारा विचारार्थ भेजे गए एक परिपत्र पर अनेक कर्मचारी परिषदों ने एक सुझाव दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस परिपत्र में यह बात भी शामिल थी कि आपातकाल में शुरू किए गए सायंकाल 5 बजे के बाद

आधा घंटा अतिरिक्त कार्य करने को समाप्त किया जाए और क्या कर्मचारी संघों ने एकमत होकर यह कहा है कि इसको समाप्त किया जाए क्योंकि आपातकाल का वातावरण अब नहीं रहा ?

श्री ल० ना० मिश्र : उनको तीन विकल्प बताए गए थे और उन्होंने एक को माना अर्थात् वे महीने में एक और शनिवार की छुट्टी चाहेंगे । इस बात पर सर्वोच्च स्तर पर विचार किया गया और यह फैसला किया गया कि आपातकाल के जारी रहते वर्तमान योजना में कोई परिवर्तन करना ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने यह भी मांग की थी कि अतिरिक्त आधे घंटे को समाप्त किया जाए ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, हां । उनको तीन विकल्प बताए गए थे और जिनमें एक यह भी था । लेकिन सरकार ने इसको माना नहीं है ।

Shri Yashpal Singh: Has it come to the notice of the Government that due to restricted holidays the whole day's work is disturbed and it is also against the spirit of secularism. May I know whether Government are considering either to observe them as national holidays or to stop them?

Shri L. N. Mishra: No such suggestion is before us.

Shri Onkar Lal Berwa: The Hon. Minister has just now said that it is there due to emergency. But we have learnt that employees are facing difficulties of buses while coming to office and could not reach office in time and as such they required the change. Which of the alternative the Government have chosen?

Shri L. N. Mishra: They might feel difficulties due to bus travel but this will continue for the time being.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: This emergency is not going to over. I want to know upto what time the employees would be asked to work more and when the Government are expected to end emergency?

Shri L. N. Mishra: This is difficult to say.

श्री मुहम्मद इलियास : जब यह अतिरिक्त आधे घंटे की पद्धति को लागू किया गया था, तो मालिकों और कर्मचारियों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया था । लेकिन कर्मचारियों में असंतोष और विभिन्न स्थानों पर समय समय पर आलोचना के कारण क्या सरकार इस अतिरिक्त आधे घंटे को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: The Government made an increase in the working immediately after the emergency. Do the suggestions received not indicate that the workers have no confidence in emergency. The Hon. Minister said that they gave one other reason. What was that reason?

Shri L. N. Mishra: The other reason was it becomes evening at 17·45 hrs. and they feel difficulties in coming earlier. So they wanted to end to this procedure of half an hour extra.

Shri A. P. Sharma: Some times ago the Hon. Minister stated in the House that when people have voluntarily agreed to work half an hour extra if they wanted to make an end to it, the Government would not insist upon that. Now when the workers demand to end it, why the Government want to put the burden of this voluntary agreement on workers?

Shri L. N. Mishra: That was not the voluntary agreement but order of the Government.

श्री ग्र० प्र० शर्मा : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, वालन्टरी एग्रीमेंट हुग्रा था ।

ग्रध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी तो मैं क्या कर सकता हूं ?

Shri Bibhuti Mishra: Would the Government, taking in view the work of the employees of provincial Government and agricultural labour, fix the working hours of the employees of the Central Government in the same way as the facilities given to Central Government employees have its effect on the employees of the provincial Government and agricultural labour? So, I submit that you should take more work from employees working in Government offices so that agricultural labour also work hard?

Shri L. N. Mishra: This question is about the Central Government employees.

Mr. Speaker: His suggestions should also be taken into consideration.

गोग्रा, दमन ग्रौर दीव

+

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :

*227. श्री क० ना० तिवारी :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री राम सहाय पाण्डेय:
श्री ल० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ग्रब्दुल ग़नी गोनी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री शिकरे :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री याज्ञिक :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री शं० शा० मोरे :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री दिघे :
श्री किशन वीर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोग्रा को महाराष्ट्र से ग्रौर दमन तथा दीव को गुजरात से मिलाने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह देखते हुए कि बहुत समय तक ग्रौर विशेषत: गत चुनावों में यह राजनैतिक प्रश्न एक बड़ा प्रश्न बन गया ग्रौर गोग्रा के महाराष्ट्र में मिलाये जाने के प्रश्न पर लोगों ने चुनाव जीते, तो गोग्रा का महाराष्ट्र में विलय ग्रन्तिम रूप से स्वीकार करने के बारे में ऐसी क्या बात है जिससे सरकार निर्णय नहीं कर रही है ?

श्री हाथी : सरकार इस संबंध में भी विचार कर रही है । विधान सभा में पार्टी ने एक संकल्प पारित किया, परन्तु वहां पर ऐसे लोग बहुत हैं जो महाराष्ट्र में विलय नहीं चाहते ग्रौर यह ग्रच्छा होगा यदि इस प्रश्नों को ऐसे तरीके से सुलझाया जाये कि यदि संभव हो तो सर्वसम्मति से निर्णय किया जाये । इसीलिये हम इस में धीमी गति से काम कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि पांडीचेरी और अन्य राज्यों के विलय के बारे में भी सरकार को कुछ प्रश्न तंग कर रहे हैं, लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने विलय का विरोध किया है, अर्थात्, गोआ और पांडीचेरी के फ्रांसीसी और पुर्तगाली तत्वों ने विरोध किया है ? क्या कारण है कि सरकार बहुमत की बात मान कर महाराष्ट्र के साथ गोआ का विलय नहीं कर रही है । ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने बताया विधान सभा में एक दल को बहुमत प्राप्त है परन्तु एक और बड़ी पार्टी भी है जो विलय के विरुद्ध है । इसलिये हम शीघ्रता में कोई काम नहीं करना चाहते परन्तु यदि ऐसा सब की सहमति से हो तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कांग्रेस के प्रधान श्री कामराज ने पांडीचेरी के लोगों से वायदा किया है कि 10 वर्ष तक पांडिचेरी को तमिलनाड में शामिल नहीं किया जायेगा और क्या यह भी एक कारण है कि यदि गोआ की समस्या का फैसला किया गया तो पांडिचेरी को तमिलनाड के साथ मिलाना पड़ेगा ? क्या इस में कोई सचाई है और क्या यह भी मुख्य बाधा है ?

श्री हाथी: मुख्य प्रश्न गोआ के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका अर्थ अन्तिम वाक्य से है अर्थात् क्या यह भी एक कारण है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न बहुत सीधा-सा है अर्थात्, क्या गोआ को महाराष्ट्र के साथ केवल इसलिये नहीं मिलाया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रधान श्री कामराज ने पांडीचेरी के लोगों से यह वायदा किया है कि पांडिचेरी 10 वर्ष तक तमिलनाड में शामिल नहीं की जायेगी । और क्या इसमें कोई सचाई है ।

श्री हाथी : मैंने कारण बता दिये हैं कि हम अब तक क्यों निर्णय नहीं कर सके हैं । मुझे और बातों का पता नहीं है ?

Shri Yashpal Singh: Has the attention of Government been drawn to the decision that if this matter is not decided by the 15th March, the Opposition in Maharashtra will boycott the Assembly?

Shri Hathi: We do not want to take any precipitate action. It will be better if decision is taken after consultation and agreement reached if possible.

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने उत्तर में पहले बताया कि सरकार समस्या का अध्ययन कर रही है । क्या मैं उनको वह आश्वासन याद दिला सकता हूं जो कि उन्होंने दिसम्बर में एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करते समय दिया था कि सरकार समस्या का सावधानी से अध्ययन कर रही है ? सरकार के अध्ययन के लिए समय भी काफी था । 11 अप्रैल को वर्तमान प्रधान मंत्री ने भी इस सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार विलय के विरुद्ध नहीं है । इन दोनों आश्वासनों, मतदाताओं के स्पष्ट निर्णय, और इस संकल्प सभी के आधार पर क्या अब सरकार को निर्णय नहीं करना चाहिये और अल्पसंख्यकों को बाध्य नहीं करना चाहिए कि वह बहुमत की राय मानें और क्या हम यह जान सकते हैं कि. . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कितना और लम्बा है ?

श्री नाथ पाई :. . . .वे लोगों की इच्छाओं को किस प्रकार पूरा करना चाहते हैं और क्या सरकार अब भी. . .

अध्यक्ष महोदय : बस ।

श्री नाथ पाई : मैंने समाप्त कर दिया है । क्या सरकार जनमत संग्रह की कोई योजना बना ही है.

श्री हाथी : जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि कोई आश्वासन दिया भी गया था तो वह यही थ: कि सरकार इस पर अभी विचार कर रही है । मैंने यह भी बताया था कि मामला अधिक जटिल है और नाजुक है और इस बारे में कई प्रश्नों प विचार करने की आवश्यकता है । यह भी कि इस में एक ऐसा निर्णय करने की आवश्यकता है जिससे आन्दोलन न उठे । इसीलिये हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री नाथ पाई : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो कुछ उन्होंने बताया वह प्रतिदिन के समान ही है और कोई स्पष्ट बात मालूम नहीं हुई । हमें स्पष्ट उत्तर चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार अभी विचार कर रही है ।

श्री नाथ पाई : आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी । उन्होंने ऐसा ही 1½ साल पहले कहा था । जब लोगों का फैसला इतना साफ है तो क्या नन्दा जी को विचार करने में इतना अधिक समय लगेगा ? श्री नन्दा को इस प्रश्न पर पक्का रहना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री ने बताया कि अभी उन्होंने निर्णय नहीं किया है । अब सदस्य को आगे कार्यवाही बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि सरकार इस प्रश्न पर अभी विचार कर रही है । क्या माननीय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस सरकार के सदस्य, एक ओर श्री चह्वाण और दूसरी ओर श्री पाटिल द्वारा परस्पर विरोध मत प्रकट करना भी विचार करने का एक तरीका है ?

श्री नन्दा : किसी भी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में निर्णयों को बेमतलब स्थगित करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है—ऐसा नहीं होना चाहिये—और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । कुछ समय पहले गोआ की स्थिति के संबंध में एक निश्चित नीति का इस सभा में निरूपण किया गया था और उसकी घोषणा की गयी थी । अब मैं समझता हूं स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया है.

श्री नाथपाई : संकल्प ।

श्री नन्दा : केवल एक यही नहीं है, अनेक बातें हो सकती हैं । मैं इसके गुणदोषों में नहीं जा रहा हूं क्या चुनाव, मतों की संख्या, जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या आदि निर्णायक बातें नहीं हैं कि जिन पर विचार किया जाये । मैं इन गुणदोषों में नहीं जा रहा हूं । परन्तु यह मैं मानता हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका शीघ्र ही समाधान होना चाहिये और, इसलिये इस पर उस दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

श्री सिद्धनंजप्पा : अन्तिम विलय के संबंध में कोई भी निर्णय करने से पूर्व, क्या मैसूर राज्य सरकार की सम्मति पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री नन्दा : जी हां, उस सीमा तक जहां तक कोई संबंधित है ।

श्री नाथ पाई : प्रत्येक व्यक्ति से परामर्श करके अपनी कठिनाइयां न बढ़ाओ। आसाम की सलाह क्यों नहीं लेते ?

श्री प्र० चं० बरुआ : हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, नेफा, मनीपुर तथा त्रिपुरा आदि को अलग रख कर जो अनुभव सरकार को हुआ है तो गोवा, दमन, दीव को किसी राज्य में मिलाने के बारे में क्यों सोच रही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूर्व के बारे में ही होना चाहिए ।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार को निर्णय करने में कितना समय लगेगा, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, दोनों वर्गों की सहमति से निर्णय के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हाथी : गृह-मंत्री ने अभी बताया कि सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री पू० र० पटेल : दीव और दमन पर गोवा प्रशासन का नियंत्रण है जो कि इन स्थानों से बहुत दूर है और इसलिये दीव और दमन के प्रशासन में कठिनाई है । और दीव दमन के प्रश्न को गोआ के साथ क्यों मिलाया जा रहा है ?

श्री हाथी : क्योंकि इस समय वे एक ही प्रशासन के अधीन हैं।

डा० पूं० शा० देशमुख : क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में कुछ ऐसी भावना फैली हुई है कि जब तक लोग गम्भीर कार्य नहीं करते सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती ? हमारे सामने आन्ध्र प्रदेश और संयुक्त महाराष्ट्र की घटनाएं हैं। क्या सरकार प्रतीक्षा कर रही है कि गोआ के लोग ऐसा कोई आन्दोलन करें।

श्री नन्दा : देश में पहले ही इस प्रकार की चीजें काफी हो रही हैं। और छोटी छोटी बातों पर भी हिन्सात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसा बड़ी बड़ी गलतियों के कारण है ।

श्री नन्दा : वह कुछ भी सही, यह एक ऐसा मामला है जिससे सारे राष्ट्र का संबंध है। यदि सरकार की कोई गलती है तो हमें उसको ठीक करना चाहिये। इसलिये हम चाहते हैं कि हम को किसी प्रकार से भी, इसका समर्थन कर के प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : निर्णय में देर मत कीजिये ।

श्री नन्दा : मैं इस से सहमत हूं और मैं पहले भी इस के बारे में सहमति प्रकट कर चुका हूं--और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी--कि देश में कोई समस्या जो उठती है उसका शीघ्र समाधान होना चाहिये और उस में देर नहीं लगानी चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी सरकार किन निर्णयक बातों पर विचार कर रही है, और क्या सरकार यह समझती है कि गोआ, दमन और दीव के विलय के संबंध में जब तक सार्वजनिक सहमति नहीं ले ली जाती तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

श्री नन्दा : सार्वजनिक सहमति यदि संभव हो तो अच्छी बात है । परन्तु हमेशा ऐसा नहीं होता है । इसलिये दूसरा विकल्प अधिकांश लोगों के राजी हो जाने का है ।

Shri Prakash Vir Shastri: There are reports in the newspapers that sometime earlier the Congress Parliamentary Board had taken regarding the merger of Goa in Maharashtra, but this decision was taken at a time when the Legislative Assembly of Goa had not passed the resolution regarding the merger of Goa in Maharashtra. Will the Congress Parliamentary Board or the Cabinet reconsider this matter in the changed conditions after the decision of Goa Legislative Assembly?

Shri Nanda: I have already replied. But there are other reasons and not the resolution.

श्री अल्वारेस : गृह-मंत्री के बम्बई के हाल ही के दौरे के तुरन्त पश्चात् महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और गवर्नर दोनों ने यह आशा प्रकट की थी कि उन्हें गोआ का महाराष्ट्र में विलय का स्वागत करने का शीघ्र ही अवसर मिलेगा । इस आश्वासन का क्या आधार है ?

श्री नन्दा : मैं वायदा करने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिये जहां तक मेरा सम्बन्ध है किसी भी चीज़ के लिये कोई आधार नहीं है ।

श्री ही. ना. मुकर्जी : महाराष्ट्र और गोआ के लोगों की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि बहुसंख्यक मत की अवहेलना की जा रही है और केवल अल्प संख्यक लोग विलय का विरोध कर रहे हैं, क्या सरकार इस सभा को आश्वासन देगी कि अल्पसंख्यकों को इस मामले में इस कारण से बाधक नहीं होने दिया जायेगा कि सब सम्मत निणय ही सब से अधिक वांछनीय बात है ?

श्री नन्दा : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि अल्पसंख्यकों का भी देश में अपना महत्व है और अपना स्थान है, और उनको संतुष्ट करने के लिये अधिकतम प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

Shri Tulsidas Jadhav: Earlier the Congress Parliamentary Board had taken a decision that this matter would be considered after 10 years, but the hon. Minister just now mentioned that quickly a decision will be taken in this regard. Which of these two things is correct and does the condition of 10 years now apply?

Shri Nanda: I do not say as to when the merger will take place, after 10 years or 5 years, but efforts should be made to decide this matter early.

Shri Tulsidas Jadhav: What is meant by quickly?

Mr. Speaker: That means that the hon. Member Shri Tulsidas Jadhav should resume his seat.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री नाथपाई : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपको यह सुनिश्चित करना होगा, कि विशेषत: जब कि देश में अखण्डता के लिये चारों ओर से खतरा पैदा हो रहा है, कि

सरकारी वक्ता भारत के भागों के संबंध में जनमत जैसे शब्द का प्रयोग न करें। इन शब्दों का प्रयोग किया गया है । मैं किसी व्यक्तिविशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं । परन्तु इन शब्दों का गोआ के संबंध में बिना सोच विचार के प्रयोग किया गया है । इसलिये भारत के किसी भाग और अन्य राज्य के बारे में इन शब्दों का प्रयोग किया जाना बहुत खतरनाक है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

श्री नन्दा : यह शब्द प्रयोग नहीं किया गया था ।

श्री नाथपाई : इन्हें प्रयोग नहीं किया जायेगा । आप औपचारिक तौर पर क्यों नहीं कहते ?

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य वैज्ञानिक बोर्ड

+

*228. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बे० द० पुरी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत संयुक्त अरब गण राज्य के संयुक्त वैज्ञानिक बोर्ड की हाल ही में काहिरा में एक बैठक हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो, उस में किन किन बातों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.--3901/65]**

श्री रामेश्वर टांटिया : इसके लिये कुल बजट कितना होगा और इसका कितना भाग भारत और कितना भाग संयुक्त अरब गणराज्य देगा ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि बजट कितना होगा । परन्तु हम ने एक समझौता किया है जिस में एक प्रक्रिया रखी गई है जिसका अनुसरण किया जायेगा। मोटे तौर पर पर यह इस तरह है : यदि मिस्र यहां पर वैज्ञानिकों को भेजता है, तो वे यात्रा का खर्च उठायेंगे और हम मेजवान देश होने के नाते उन के यहां पर ठहरने का खर्च बर्दाश्त करेंगे ।

श्रीरामेश्वर टांटिया : विवरण के परा, 7 में दिया गया है, कि प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा । यह भारत में होगी अथवा संयुक्त अरब गणराज्य में ?

श्री मु० क० चागला : उस पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Shri Yashpal Singh: Are Government in a position to give the details of the amount of technical aid and financial help to be mutually given by the two countries?

श्री मु० क० चागला : इसका व्योरा विवरण में दिया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज के समाचार पत्रों में इस समाचार से यह पता चला है कि पश्चिम जर्मनी अपने वैज्ञानिक और तकनीकी विशषज्ञों को मिस्र से वापस बुला रहा है। आशा प्रकट की गई है कि भारत संयुक्त अरब गणराज्य पर यह दबाव डालेगा कि वह इस मामले को और आगे न बढ़ाये क्योंकि यदि बात और आगे बढ़ गई तो भारत संयुक्त अरब गणराज्य का वैज्ञानिक सहयोग समाप्त हो जायेगा। क्या यह सत्य है ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्या ने यह समाचार कहां पढ़ा है. । मेरा ध्यान इस ओर नहीं दिलाया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज के समाचार पत्र में है। यदि आप पढ़ेंगे तो पता चल जायेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad: The statement contains a number of recommendations of the Indo-U.A.R.. Scientific Board. May I know whether any of these recommendations or any recommendation other than those is being implemented and if so, what are they?

श्री मु० क० चागला : क्रियान्विति का काम अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री दे० द० पुरी : क्या प्रतिरक्षा अनुसन्धान और आण्विक अनुसन्धान संबंधी वर्गीकृत जानकारी का विनिमय भी इस में होगा ?

श्री मु, क. चागला : जी नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि जब मंत्री महोदय काहिरा में थे तो उन्होंने राष्ट्रपति नासिर से मिलने की इच्छा प्रकट की, परन्तु राष्ट्रपति नासिर ने उन से मिलने से इन्कार कर दिया था, जब कि राष्ट्रपति नासिर ने शेख अब्दुल्ला को राजकीय अतिथि का स्थान दिया है ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं, यह सच नहीं है ।

श्री नाथ पाई : दो दिन पहले के टाइम्स आफ इंडिया में यह समाचार था कि इस सम्मेलन के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री काहिरा में थे। क्या यह समाचार सच है और क्या संयुक्त अरब गणराज्य और इस देश के बीच अच्छे वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये उच्चतम स्तर पर राष्ट्रपति नासिर से बात चीत करने के उन के प्रयत्न विफल हो गये क्योंकि राष्ट्रपति नासिर ने उन से मिलने से इन्कार कर दिया ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं चाहता कि इस सभा में या बाहर देश में कोई गलत धारणा पदा हो जाये। मैं वहां बहुत कम समय के लिए रुका था, मैं केवल 4 या 5 दिन ठहरा था। हमारे राजदूत वहां पर नहीं थे । राष्ट्रपति नासिर बहुत व्यस्त थे। यदि मैं एक या दो दिन और ठहरता तो उन को मुझ से मिलकर बहुत प्रसन्नता होती। टाइम्स आफ इन्डिया के इस समाचार में कोई सचाई नहीं है कि राष्ट्रपति नासिर मुझ से मिलना नहीं चाहते थे। अथवा वह पाकिस्तान अथवा चीन के किसी व्यक्ति से मिले।

श्री तिरुमल राव : संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच इस सहयोग का क्या आधार है । क्या हमारा देश वैज्ञानिक दृष्टि से उच्च समझा जाता है, और इसलिये आपसी लाभ होगा, अथवा हमें औसतन विकसित देश समझा जाता है ? इस सहयोग से वास्तव में क्या लाभ होगा हम को या उन को ?

श्री म० क० चागला : संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच सहयोग का आधार यह है कि इस से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होता है और ज्ञान और जानकारी के आदान प्रदान से दोनों को लाभ होता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस देश में विज्ञान की भाषा और विशेषत: उच्च स्तर के वैज्ञानिक अनुसन्धान की भाषा अंग्रेजी है। क्या संयुक्त अरब गणराज्य में वैज्ञानिक अनुसन्धान की भाषा भी अंग्रेजी है ? यदि नहीं, तो हम सहयोग किस प्रकार करेंगे जब कि भाषाएं भिन्न-भिन्न हैं ?

श्री मु० क० चागला : संयुक्त अयब गणराज्य अब समूचे रूप से फ्रांसीसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को ला रहा है, और जो वैज्ञानिक यहां आयेंगे वे अंग्रेजी जानते हैं। वे अंग्रेजी को विज्ञान और तकनीकी भाषा के रूप में देखते हैं।

श्री रंगा : क्या माननीय मंत्री ने काहिरा स्थित हमारे दूतावास को अपने दौरे और सम्मेलन के दौरान वहां पर ठहरने और राष्ट्रपति नासिर से भेंट करने की अपनी इच्छा बतायी थी ? यदि उन्होंने पहले से सूचना दी थी कि तो यद्यपि राजदूत वहां पर उस समय नहीं था। जब कि वह वहां पर गये थे। यह कैसे हुआ कि हमारे राजदूतावास के लिये उस पांच दिन के लम्बे समय में भेंट का प्रबन्ध करना संभव नहीं था? यह थोड़ा समय नहीं था ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पांच दिन काफी होते हैं।

श्री मु० क० चागला : राजदूत छुट्टी पर था । मैं उसको बिलकुल दोष नहीं देता । उसने पहले ही अपनी छुट्टी का प्रबन्ध कर लिया था और वह भारत में था। मेरे दौरे का प्रबन्ध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था और निसृष्ट दूत को मेरे आने का पता था। परन्तु, आखिर, संयुक्त अरब गणराज्य जैसे राज्य के राष्ट्रपति को और भी काम हो सकते हैं, इस लिये 4 या 5 दिन के समय में, किसी व्यक्ति से मिलना कठिन हो सकता है । और जैसा कि मैंने बताया, यदि मैं एक या दो दिन और ठहरा होता तो उनको मेरे से मिलकर खुशी होती, परन्तु मैं ठहर नही सकता था, क्योंकि मुझे यहां कुछ जरूरी काम थे और मैं अपने दौरे को और लम्बा नहीं कर सकता था।

श्री हरि विष्णु कामत : कहीं न कहीं दाल में काला है ।

Shri J. B. Kripalani: After all heavens have not fallen if he did not see.

Mr. Speaker: I quite agree with you.

दिल्ली का भावी राजनैतिक स्वरूप

+

*229. श्री ब्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री जं० ब० सि० बिष्ट :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रा० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भावी राजनैतिक स्वरूप के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देर होने के क्या करण है ?

श्री हाथी : (क) और (ख) मामले पर जोर-शोर से विचार किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार हमें कई वर्षों से यही बताती रही है कि यह मामला विचाराधीन है, क्या हम जान सकते हैं कि वे विशेष कारण, यदि कुछ हैं, तो, क्या हैं, जो सरकार को दिल्ली में निर्वाचित विधान सभा के बनाने से रोकते हैं, जब कि दिल्ली की जनता तथा विभिन्न राजनैतिक दलों की यह मांग है ?

श्री हाथी : मामला काफी समय से विचाराधीन नहीं है । प्रश्न यह है कि जहां तक विधान सभा और दिल्ली को अलग राज्य बनाने का सम्बन्ध है, सरकार इस को मानने के लिये तैयार नहीं है । इस से कम जो कुछ भी किया जा सकता है, वह किया जा रहा है और उसी आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । सभी सदस्य जानते हैं और सभी प्रस्ताव जिन पर विचार किया जा रहा है, वे इसी आधार पर हैं और इसीलिये इस पर कुछ समय लग गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह जो उत्तर दिया गया है इसका अर्थ यह है और जैसा मुझे याद आता है कि दिल्ली में उत्तरदायी सरकार बनाने के इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पंत ने जो फार्मूला बताया था उसको अब हमेशा के लिये छोड़ दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह वही फार्मूला है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Naval Prabhakar: Have any proposals been placed before the political parties when it was discussed with them, if so, what were the proposals and how far these have been accepted?

Shri Nanda: Proposals of the same type were placed before them and some suggestions in their regard have been received from them. But all of them have not sent their opinions on the scheme which is being formulated.

Shri Prakash Vir Shastri: Is the Minister of Home Affairs in a position to let us know finally as to when the final decision on the question of political set up of Delhi would be taken?

Shri Nanda: As far as we are concerned, we are ready to take the decision but we are making effort to this effect that more and more people accept it and that effort is still going on. Arrangements are made to meet those people after every two or four days and discussions are going on.

Shri Prakash Vir Shastri: My question was very clear. This matter has been under consideration for a very long time. Whether the Home Minister could say as to when final decision would be taken?

Shri Nanda: This is what I have been telling those people who are concerned with it and with whom this matter is being discussed that they should agree to the proposal soon so that further step, in this connection, could be taken.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पहले क्या सरकार उन लोगों की राय जानेगी जो दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं कि क्या वे इस नये ढांचे में रहना चाहेंगे अथवा वे उत्तर प्रदेश और पंजाब, के पड़ोसी राज्यों से मिलना चाहेंगे ?

श्री नन्दा : प्रश्न का पिछला भाग उत्पन्न नहीं होता, और हम ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाये हुये हैं।

Shri Yashpal Singh: Instead of bringing round those people, why do the Government not remove their weakness? Why are they waste time like this? Nobody pays any heed to what a weak ruler says. Try to say some thing boldly.

Mr. Speaker: Sri Azad.

Shri Bhagwat Jha Azad: As the various political parties have not been able to take any decision on the future set up of Delhi even after many days of well organised efforts, whether any principal political party of Delhi such as Congress has made any clear-cut and final suggestion and if so, what is the suggestion?

Shri Nanda: Efforts would be made that such a suggestion is given.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, is it proper to give reply like that (**अन्तर्बाधाय**)

श्री नन्दा : इस मामले को **इस** प्रकार नहीं निबटाया जा सकता । मैं ने उत्तर गम्भीरता से दिया है । मैं ने माननीय सदस्य के सुझाव को मान लिया है और कहा है कि मैं एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा ।

Shri Ram Manhor Lohia: Mr. Speaker, it was not the question that they would make the suggestion. The question was whether any suggestion has been made by other parties or not. He cannot change it like that.

An hon. Member: He said that he would see that a suggestion is made.

Shri Madhu Limaye: He is not fit for this post, he should relinquish it.

Mr. Speaker: I regret to say that atleast some time we should realise that how much responsibility is cast on us. Every Members should think over it. For the last few days I am thinking unhappily that the manner in which business is carried on in this House now is not as good as it used to be in the past and it brings disgrace to all of us. The eyes of the world are on us and our country also must be looking towards us. I would appeal and I would request to some members that they should sit with me. I am feeling very much.

Dr. Ram Manohar Lohia: What was in it due to which reply was given so angerily and even then no point was replied.

Shri Madhu Limaye: This is the responsibility of the Government and of the cabinet.

Mr. Speaker: If a few Members are determined to create disturbances, in that case neither the Speaker nor the House can do anything. When they would go on speaking **(अन्तर्बाधायें)** sometime there should be some limit. When I am requesting that members should stop speaking, even then they go on speaking.

Shri Maurya: Why does the Home Minister reply angrily.

Mr. Speaker: Would he decide this matter.

Shri Maurya: You would decide it.

Mr. Speaker: If I am to decide, I would do it, he should better keep quite.

Dr. Ram Manohar Lohia: The world is looking towards India, but prestige of India has been let down by this cabinet, it should also be looked into. A question had been put to the Home Minister whether any political party has made any final suggestion. To this he replies that they would make their final suggestion. After all there should be some limit about it.

श्री नन्दा : मैंने ऐसा नहीं कहा । हो सकता है कि प्रश्न के किसी भाग के बारे में गलतफहमी हुई हो । मैंने ऐसा यह समझ कर कहा था कि क्या कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत की जा रही है और मैंने कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia He would be able to do his work more efficiently if he let his anger cool down.

Shri A. P. Jain: Would you look into, how he is speaking.

Mr. Speaker: The question was whether any clear-cut scheme has been submitted by the principal political parties; and if so, the Government should take its decision soon after accepting it.

श्री नन्दा : मेरे विचार में शब्द "अंतिम" कहा गया था —"स्पष्ट" अथवा अन्तिम"" । मुझे ऐसी कोई योजना नहीं मिली है । (अन्तर्बाधाएं)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि गृह-कार्य मंत्री तैयार हों तो नियम 46 के परन्तुक के अन्तगत प्रश्न संख्या 234 का उत्तर दिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इच्छा का नहीं है । इस पर विचार तभी किया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए वह कहें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development of Dandakaranya

230. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Daljit Singh:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Shri Kapur Singh:
Shri P. K. Deo:
Shri Narasimha Reddy:
Shrimati Jyotsna Chanda:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Yashpal Singh:
Shri S. C. Samanta:
Shri Mohammad Elias:
Shri Warior:

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons who have migrated into India from East Pakistan since 1st January, 1964; and

(b) the progress so far made in the rehabilitation of refugees in various States and Union Territories?

The Minister of Rehabilitation (Shri Mahavir Tyagi): (a) According to information received upto the 27th February, 1965, 9,20,192 persons have migrated from East Pakistan to India since the 1st January, 1964.

(b) A statement showing the progress made in the rehabilitation of migrants from East Pakistan in the various States and Union Territories is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library, *See* No. LT-3902/65].

International Conference of Educationists

*231. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Yashpal Singh:
Shri R. G. Dubey:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Sidheshwar Prashad:
Shri K. C. Pant:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the important educational subjects discussed in the International Conference of Educationists ended on the 7th January, 1965 and the benefits derived by India therefrom;

(b) the names of countries whose representatives participated in the Conference and the recommendations made by them;

(c) the reaction of Government to the various suggestions/ recommendations made at the Conference; and

(d) the decision taken to increase the exchange of teachers between U.S.A. and India?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) A statement is placed on the Table of the House.

No assessment has been made of the specific benefits derived.

(b) U.S.A. and India Government have not yet received a copy of recommendations made by the Conference.

(c) and (d). Do not arise.

STATEMENT

The educational subjects reported to have been discussed in Groups and General Sessions of the Conference were:—

GROUP DISCUSSIONS

1. Obstacles teachers encounter in teaching understanding between people;
2. Understanding and National, Regional, Religious, Race or Class Differences; and
3. International Education and the Education of the self.

GENERAL SESSIONS:

1. What American Youth should know about India;
2. What our schools do and do not tell us about foreign relations;
3. Problems teachers experience in teaching about the East and the West; and
4. The task of Internationally minded schools and colleges.

प्रशासकीय सुधार

*232. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम राज :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री शशिरंजन :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों में प्रशासकीय विलम्ब तथा कार्यक्षमता को दूर करने के लिये हाल ही में कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने भी हाल में इस संबंध में कोई निदेश जारी किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) (क) से (घ). सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 3903/65]**.

Education Commission

*233. **Shri K. C. Pant:**
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri P. C. Borooah:
Shri D. C. Sharma:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Yashpal Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri R. S. Tiwary:
Shri S. C. Samanta:
Maharajkumar Vijaya Ananda:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri R. Barua:
Shri L. N. Bhanja Deo:
Shri Vidya Charan Shukla:
Shri P. R. Chakraverti:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any interim report has been submitted by the Education Commission;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Not yet, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

संतानम समिति की सिफारिशें

*234. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री कृ० चं० पंत :
श्री शशिरंजन :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संतानम समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा उनको क्रियान्वित करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस सूचना को बताने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 3905/65]**

अपराधों का पता लगाना

*235. महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लास एन्जेल्स पुलिस के प्रमुख मि० विलियम एच० पारकर ने जो, हाल ही में राजधानी आये थे अपराधों का पता लगाने में गतिशीलता और आधुनिक तरीकों के अभाव के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये थे क्या उन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में अपराधों में तेजी से हो रही वृद्धि को ध्यान में रख कर उनके विचारों के आधार पर अपराधों का पता लगाने के तरीकों का आधुनिकीकरण करने के लिये कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) श्री पारकर ने अभी तक भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में चुनाव

*236 { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :

या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इस समय निरुद्ध वामपंथी साम्यवादियों को आम चुनाव लड़ने के लिये कुछ सुविधायें दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) नजरबन्द व्यक्तियों को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, को निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं :--

(1) चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक नजरबन्द व्यक्ति के प्रस्ताव को सामान्य चुनाव की घोषणा करने सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 30-1-65 और नामनिर्देशन करने की अन्तिम तिथि 6-2-65 के बीच उससे नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिये मिलने दिया गया था ।

(2) नजरबन्द व्यक्ति के चुनाव अभिकर्ता को चुनावों के समाप्त होने तक सप्ताह में एक बार उससे मिलने की इजाजत दी गई है ।

(3) चुनाव में खड़े होने वाले नजरबन्द व्यक्तियों को मतदान अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के आदेशों को सम्बन्धित जेल अधीक्षक को देने की जो उन्हें डाक द्वारा शीघ्रता से सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजेगें, इजाजत दी गई है ।

तेल मल्य जांच समिति

*237. { श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुधांसु दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पट्रोलियम उत्पादों का नया मूल्य ढांचा तैयार करने में देर हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):(क) और (ख).1960 में बनाई गई तेल मूल्य जांच समिति की सिफारिश 10 अक्तूबर, 1961 से लागू की गई। इसके अतिरिक्त मूल्य ढांचे को 31 मार्च, 1965 तक लागू रहना था। उस तारीख के बाद तेल-मूल्यों को निर्धारण करने के तरीके की जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिये 12 मई, 1964 को तेल मूल्यों पर एक कायकारी दल स्थापित किया गया। ऐसा विचार था कि कार्यकारी दल अपनी रिपोट 31 दिसम्बर, 1964 तक दे देगा परन्तु दल ने अभी तक अपना काय समाप्त नहीं किया है। इसलिए मूल्यों के मौजूदा प्रबन्धों को 30 जून, 1965 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। कार्यकारी दल द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुत करने में देर होने के मुख्य कारण निम्न हैं :—

(i) विभिन्न तेल कम्पनियों को भेजे गये प्राथमिक प्रश्नों का उत्तर देर में आया और कुछ अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर अभी भी आने हैं।

(ii) तेल कम्पनियों के खातों को देखते हुए उनके दिये गये शोधन और विपणन की लागत के दित्ता की परीक्षा वित्त मंत्रालय के लागत लेखा शाखा का एक विशष यूनिट कर रहा है। यह परीक्षा आरम्भ में प्रत्याशित समय से अधिक समय ले रही है।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

*238. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणका बड़कटकी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम रूस के एक समवाय के साथ अन्तिम रूप से निश्चित हो गया है;

(ख) यदि कोई करार हुआ है, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) कार्यक्रम की कार्यान्विति कब आरम्भ होगी और उसे पूरा होने में कितना समय लगगा ?

पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी हां।

(ख) 1,540 मीटरिक टन का उपकरण जिसका मूल्य 66 36 रुपये होगा, रूसी संस्था द्वारा सप्लाई किया जायेगा। 1965 के अन्त तक उपकरण के प्राप्ति का कार्य पूरा हो जायेगा।

(ग) उपकरण के रूपांकन और निर्माण का कार्य रूस में भी शुरू हो गया है। इस वर्ष के मध्य में उपकरण का मिलना शुरू हो जायेगा। 1966 के मध्य तक विस्तार के पूरे होने की आशा है।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

*239. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री कलकत्ता में तीन देशों के कुछ प्रतिनिधियों के चीन समर्थक तत्वों द्वारा राष्ट्रविरोधी कार्यवाही के बारे में 16 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस मामले में किस किस देश का हाथ है और इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप किन दलों या व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जो सूचना मांगी गई है वह गोपनीय प्रकृति की है और जनहित की दृष्टि से मैं उसे प्रकट करना नहीं चाहता।

जम्मू तथा काश्मीर से संसद्-सदस्यों का सीधा चुनाव

*240. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू तथा काश्मीर सरकार से इस बारे में कोई प्रार्थना मिली है कि उस राज्य के संसद् सदस्यों का सीधा चुनाव किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो प्राथना को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). कुछ समय हुए इस आशय का एक सुझाव प्राप्त हुआ था किन्तु इस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि इससे सम्बन्धित अनेक प्रश्नों पर राज्य सरकार के निर्णय की जरूरत थी।

गांधी जी की हत्या के बारे में जांच

*241. { श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा ग्राजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्र. चं. बरुग्रा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा. बरुग्रा :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच पूरी कर ली है कि कुछ व्यक्तियों को गांधी जी की हत्या करने की योजना की पहिले से ही जानकारी थी; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उससे क्या पता चला ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस बारे में जांच ग्रायोग ग्रधिनियम के ग्रधीन एक ग्रायोग की स्थापना की जा रही है ग्रौर ग्राशा है कि यह ग्रायोग शीघ्र ही ग्रपना काम शुरू कर देगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापानी पैट्रोलियम रसायन विशेषज्ञ

*242. { श्री स० चं. सामन्त :
श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब. कु. दास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री 18 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः सदस्यीय जापानी पैट्रोलियम-रसायन विशेषज्ञ दल ने ग्रपना प्रतिवेदन दे दिया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नये विश्वविद्यालय

*243. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हेम राज :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या शिक्षा मंत्री 23 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नये विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी समिति से इस बीच अन्तिम प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

American Aid for Spread of Literacy

*244. { **Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri Hem Raj:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri P. C. Sen:
Shri Ram Sewak:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shrimati Renuka Barakataki:
Shri Maheshwar Naik:

Will the Minister of **Education** be pleaesd to state:

(a) whether it is a fact that American Government have offered assistance for spread of literacy in India;

(b) if so, the nature of the assistance and extent thereof; and

(c) the manner in which it will be utilised by the Ministry of Education?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No such assistance has been offered to the Government of India.

(b) and (c). Do not arise.

त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तानी सेना-पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

*245. { श्रीमती रेणुका राय :
श्री दी. चं. शर्मा :
श्री प्र. चं. बरुआ :
श्री स. मो. बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा-सीमा पर पाकिस्तानी सेना पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसी घटनाएं फिर न हों ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) नवम्बर, 1964 से पाकिस्तानी सेना ने दो स्थानों पर गोली चलाई एक तो खोवाई उप-खण्ड के कारांगिचेरा स्थान पर और दूसरे धर्मनगर उपखण्ड के तारकपुर क्षेत्र में ।

(ख) पाकिस्तानी अधिकारियों को प्रबल विरोध पत्र दिये गये है ।

सेकण्ड्री स्कूल अध्यापकों की मांगें

*246. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा. रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री सरकार मुरमू :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ज. ब. सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क. ना. तिवारी :
श्री दे. द. पुरी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री कोया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र. चं. बरुआ :
श्री प्र. चं. चक्रवर्ती :
श्री दे. जी. नायक :
श्रीमती जोहराबेन चावड़ा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सेवा की अधिक अच्छी शर्तों की मांगों पर जोर देने के लिये अध्यापकों की एकदिवसीय देशव्यापी भूख हड़ताल की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों पर सरकार का क्या रवैया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु. क. चागला) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार समझती है कि विभिन्न राज्यों में अध्यापकों के वेतन मान बढ़ाने की समस्या को हल करने की जिम्मेदारी खास करके राज्य सरकारों की है। फिर भी भारत सरकार को कम वेतन वाले अध्यापकों के प्रति पूरी हमदर्दी है और अध्यापकों के वेतन-मानों तथा सेवा शर्तों में सुधार के लिए, उपलब्ध सीमित धन को देखते हुए, वह राज्यों की मदद कर रही है। सरकार का विचार है कि आन्दोलनात्मक रुख अपनाना अध्यापकों के लिए उपयुक्त नहीं है।

दण्डकारण्य का विकास

*247. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले लोगों को बसाने के उद्देश्य से दण्डकारण्य का बड़े पैमाने पर विकाश करने के लिये एक व्यापक योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी): (क) और (ख) विशेष रूप से नये विस्थापितों के पुनर्वास कार्य को शीघ्र करने के लिये इन्द्रावती तथा साबरी "बेसिन" के प्राकृतिक साधनों के बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम के बारे में निर्णय किया गया है। इस प्रोग्राम में, एक स्टील प्लान्ट, एक या दो सीमेंन्ट प्लान्टस, लकड़ी के काम की फैक्ट्री, पैपर और पल्प प्लान्ट तथा बहुत से मध्यम और लघु उद्योग लगाने का विचार है। तथापि इस प्रोग्राम को अमल में लाने से पहले, विकास के विभिन्न पहलुओं, खनिज निक्षेप (मिनरल डिपाजिट्स) की मात्रा तथा उसके स्वरूप तथा विशेष उद्योग के सम्बन्ध में उनकी उपयुक्ता, वन साधनों के उपयोग, सड़कों द्वारा संपर्क बढ़ाने, नगरों तथा औद्योगिक सम्प्रदायों के लिये स्थान तथा विशिष्ट औद्यौगिक खंड़ों के बारे में अध्ययन आदि के सम्बन्ध में सर्वेक्षण आदि करने आवश्यक होगें। बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रम की योजना के सम्बन्ध में छानवीन तथा सर्वेक्षण आदि के समन्वय के बारे में सचिवों की एक कर्णधार समिति (स्टियरिगं कमेटी) नियुक्त कर दी गई हैं। इस दौरान में कुछ छोटे तथा ग्रामीण औद्योगिक खंड़ों के लगाने के बारे में पुनर्वास उद्योग निगम तथा दण्डकारण्य प्रशासन परियोजना के संरक्षण में एक अग्रता प्रोग्राम बनाया गया है। इस अग्रता प्रोग्राम के अंतर्गत पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा मध्यम औद्योगिक खंड भी लगाये जायेगें।

पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी भारत-रूसी बोर्ड

*248. श्री रा० बरुग्रा :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द्वा. ना. तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री ल. ना. भंजदेव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी पाठ्य पुस्तकों तथा महान कृतियों के अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में रूपान्तरण, अनुवाद, प्रकाशन और वितरण के संचालन कार्यक्रम पर विचार करने के लिये भारत-रूसी बोर्ड बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्य कौन–कौन हैं और उसके निर्देशपद क्या हैं,।

(ग) इस कार्य के लिये रूस सरकार ने क्या सहायता दी है; और

(घ) बोर्ड के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० कु० चागला): (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—3905/65।]

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा औद्योगिक विकास

*249. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेडा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की उच्च अनुसंधान

58 (Ai) L.S.—4.

परियोजनाओं को देश में तत्संबधी उद्योगों के विकास कार्यक्रमों के साथ मिलाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की सम्भाव्यतायें क्या हैं तथा उस पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०--3906/65 ।

हिन्दी में पुस्तकों का अनुवाद

*250. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञान, इंजीनियरी और चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों का दिन्दी में अनुवाद करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यह कार्य किस संगठन को सौंपा गया है ; और

(ग) अब तक कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). भारत सरकार विश्व-विद्यालय स्तर की मानक पुस्तकों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन का कार्य, विश्वविद्यालय, शैक्षिक निकायों, राज्य सरकारों और प्राइवेट प्रकाशकों के सहयोग से अपने हाथ में ले रही है । कुछ कार्य विभागीय स्तर पर भी किया जा रहा है । अब तक विज्ञान की 60 पुस्तकों, इंजीनियरी की 11 और चिकित्सा-शास्त्र की 8 पुस्तकों का अनुवाद किया जा चुका है ।

कोचीन से तेल का ले जाया जाना

*251. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने से तटवर्ती नगरों को तेल ले जाने के लिये एक विदेशी जहाज़ कम्पनी को ठेका देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम भारतीय जहाजरानी कम्पानियों की बजाय एक विदेशी कम्पनी को देने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में भ्रष्टाचार के बारे में दास आयोग का प्रतिवेदन

*252. श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने वाले दास आयोग के प्रतिवेदन में जिन कर्मचारियों पर दोष लगाया गया था उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में और क्या प्रगति हुई; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया
[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—3907/65 ।]

राजस्थान में जूनियर तकनीकी विद्यालय

523. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्यस्थान में कितने जूनियर तकनीकी विद्यालय हैं;

(ख) 1965-66 में उस राज्य में ऐसे कितने विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) वे कहां कहां खोले जायेंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ;

राजस्थान पुलिस आवास योजना

524. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964–65 में राज्य में पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को कोई ऋण दिया गया था; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : 15.54 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई है।

Detention of Indian Policemen in Pakistan

525. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a policeman on duty at Barmer border in Rajasthan for checking Pakistan-bound trains fell asleep in a train bound to Pakistan and reached there;

(b) whether it is also a fact that the said policeman has been put behind the bars in Pakistan; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes Sir.

(b) and (c). The police constable was detained by the Pakistan Police at Khokrapar checkpost but as a result of representation made by the Police authorities at Barmer he was sent back to India after a few days.

पर्यटक महानिदेशक

526. { **श्री रामनाथन चट्टियार :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री पर्यटक महा-निदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच संबंधी 23 दिसम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह मामला इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) भ्रष्टाचार के जिन आरोपों की जांच की गई है उनके बारे में किन मुख्य बातों का पता लगा है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) जांच अन्तिम अवस्था में है और सरकार अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है ।

हिन्दी सलाहकार समिति शिष्टमंडल

527. **श्री रामेश्वर टाँटिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति के एक शिष्ट मण्डल ने यह देखने के लिये कई राज्यों का दौरा किया कि वहां सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां तो क्या शिष्ट मण्डल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) दिसम्बर 1964 में हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समिति के एक शिष्ट मण्डल ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान की राजधानियों का दौरा किया था ।

Aligarh Muslim University

528. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a Bill in Parliament for making the requisite improvements in the working of the Aligarh Muslim University;

(b) if so, when this Bill is likely to be introduced; and

(c) the reasons for not introducing the Bill even after the receipt of the report of the Enquiry Committee?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) It is likely to be introduced durig the course of this year.

(c) It was considered desirable that the Aligarh Muslim University Bill should be introduced on the pattern of the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, 1964.

Mother of Late Chandrashekhar Azad

529. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the condition of or the mother of Late Chandrashekhar Azad is very pitiable due to poverty;

(b) if so, whether Government have made arrangements for helping her by giving some monthly pension; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The Government of India have not received any information about this matter. It has now been referred to the Government of Uttar Pradesh and appropriate action will be taken in the light of their reply.

Smuggling of Rice to China

530. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the rice is being smuggled to China from Assam; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

जिलों में भारती प्रशासन सेवा अधिकारियों की नियुक्ति

531. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को चुने जाने तथा नियुक्त होने के कितने समय वाद जिलों का भार सौंपा जाता है ;

(ख) क्या भारत के विभिन्न राज्य श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर हिदायतों का समान रूप से पालन कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार को विदित हुआ है कि अनानुभवी अधिकारियों को शीघ्र जिला प्रमुखों के रूप में नियुक्त किये जाने के कारण प्रशासन का स्तर गिर गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) नियमों में ऐसी कोई अवधि नहीं दी गई है जिसके पश्चात भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी को किसी जिले का भार सौंपा जा सकता है । स्वर्गीय श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने 'भारत और राज्य प्रशासन सेवायें तथा जिला प्रशासन सम्बन्धी समस्यायें' पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों को, सामान्य नियम के रूप में, सेवा के छटे वर्ष के अन्त में अथवा सातवें वर्ष में जिलों का भार सौंपना चाहिये ।

(ख) स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, जहां तक सम्भव हो, राज्य सरकारें इन सिफारिशों का अनुसरण कर रही हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

होटलों में पर्यटकों के लिए मदिरापान की व्यवस्था

532. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री विदेशी पर्यटकों द्वारा होटलों में मद्यसारों के उपभोग करने की स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में

16 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में भारत के होटल व्यवसाइयों के अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : सरकार ने मद्य-निषेध पर अध्ययन दल को इस सिफारिश को मान लिया है कि दिल्ली और अन्य स्थानों में जहां सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान की मनाही है, चुने हुए होटलों में केवल विदेशी यात्रियों के उपयोग के लिये एक अलग कमरा रखा जाये जिसमें मदिरा और खाना दिया जा सके और सरकार ने राज्य सरकारों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी करने के लिये निवेदन किया है ।

लड़कियों की शिक्षा

533. **श्री ज० ब० सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कितना व्यय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सामान्य शिक्षा जिससे लड़कों और लड़कियों दोनों को लाभ होता है की योजनाओं के अतिरिक्त अध्यापिकाओं के लिये भोजन बनाने से लेकर मकान बनाने के कार्यक्रमों समेत यह विशेष कार्यक्रम बनाये गये है । ग्राम भत्ता, सेनिटरी ब्लाक तथा होस्टल, संक्षिप्त शिक्षा क्रम की व्यवस्था को लड़कियों के लिए विशेष पोलिटेकनिक आदि तृतीय योजना में चल रहे हैं । इसके अतिरिक्त महिला शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की गई है । इसकी राज्यों में शाखायें हैं । राज्य सरकारों ने उपनिदेशक तथा संयुक्त निदेशक नियुक्त किये हैं जो उपरोक्त योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के कार्य को देखते हैं। ऐच्छिक संगठनों को इस कार्य में वित्तीय सहायता दी जाती है । एक चलचित्र "टू सीक्स दी लाइट" बनाई गई है । राज्य सरकारों ने लड़कियों की शिक्षा संबंधी गोष्ठियों का आयोजन किया है । भक्तवत्सलम समिति ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी रुचि को जानने के लिये बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट सभी सम्बंधित लोगों को भेजी गई है ।

(ख) उपरोक्त विशेष कार्यक्रम पर जो धनराशि खर्च की गई है उसका अनुमान 664·54 लाख रु० है । इसके अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के लिये नियत धन में से भी कुछ धन लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर व्यय किया गया है । इसका अलग से हिसाब उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली मे कालजों के प्राध्यापक

534. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कालिजों के प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिये महंगाई भत्ते की नई दरों की मांग की है; और एक ज्ञापन भी दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके कालिजों के प्राध्यापकों ने महंगाई भत्ते की मांग की है। विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ और विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापक संघ से इस बारे में एक संकल्प प्राप्त हुआ है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बातचीत कर रहा है।

गोआ में इंजीनियरी कालेज

535. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से गोआ में इंजीनियरी कालेज और पंजिम में पालिटेकनिक स्थापित करने और गोआ चिकित्सा कालेज का स्तर ऊंचा करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार सिद्धान्ततः सहमत हो गई है कि गोआ में इंजीनियरी कालेज और पंजिम में पालिटेकनिक स्थापित किया जाय और पुराने चिकित्सा स्कूल का स्तर ऊंचा किया जाय। इन योजनाओं के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

उर्दू

536. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या देश में उर्दू कवियों तथा लेखकों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) "आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास" योजना के अधीन राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संघों को राज्य सहायता दी जाती है ताकि भारतीय भाषाओं जिन में उर्दू भी है में उपयुक्त पुस्तकें छप सकें ।

उर्दू साहित्य का विकास करने वाली संस्थाओं को भी सहायता दी गई है ।

विश्वविद्यालय अनदान आयोग भाषाओं की शिक्षा और अनसंधान के लिये विश्व-विद्यालयों की सहायता करता है । आयोग उच्च स्तर की कृतियों को भी प्रोत्साहन देता है ।

(ख) लगभग 100 उर्दू लेखकों को जो निर्धन हैं 1800 रु० की कुल सहायता तथा 150 रु० तक की मासिक सहायता दी गई है ।

सामान्य लिपि

537. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री 9 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिये एक सामान्य लिपि तैयार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : भारतीय भाषाओं के ऐसे विचित्र चिह्नों जो देवनागरी नहीं है, को इस भाषा में अवतरित करने के सुझाव देने वाली भाषा विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । समिति की सिफ़ारिशों को माचार पत्रों में छापने का प्रस्ताव है ताकि लोगों की राय तथा सुझाव जाने जा सकें । समिति सिफ़ारिशों पर अन्तिम निर्णय भाषा विशेषज्ञों तथा विद्वानों की राय के पश्चात् ही किया जायगा।

कच्चे तेल के संसाधन तथा तेल शोधन क्षमता कारखाने

538. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल के संसाधनों और देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित तेल शोधक कारखानों की क्षमता का अलग-अलग नवीनतम अनुमान क्या है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक प्रदेश की तेल शोधन क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि आसाम में तेल संसाधनों की अपेक्षा तेल शोधन क्षमता बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो चौथी योजना के दौरान वहां तेल शोधन क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) से (घ) अनुमान है कि देश में कच्चे तेल के कुल प्रमाणित निक्षेप 1 करोड़ 90 लाख टन हैं। वर्तमान तेल शोधक क्षमता 95 लाख टन प्रति वर्ष है। 1967 के अन्त तक इसके बढ़ कर एक करोड़ 70 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाने की आशा है। अभी तो चतुर्थ योजना में 50 लाख टन प्रतिवर्ष तेल साफ करने की अनुमति दी गई है। इस बात का खेद है कि भारत रक्षा नियमों के अधीन प्रदेशों के तेल निक्षप और शोधक क्षमता नहीं बतायी जा सकती।

(ग) जी हां। ऐसा इस कारण है कि शोधक क्षभता बाजार का ध्यान रख कर बनाई जाती है न कि कच्चे तेल की उपलब्धियों के कारण।

अफ्रीकी एशियाई वैज्ञानिकों का सम्मेलन

539. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेमराज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में किसी समय अफ्रीकी तथा एशियाई वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाने का फैसला किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य सूची क्या होगी ; और

(ग) इसमें किन किन देशों को आमंत्रित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) भारत वैज्ञानिक कर्मचारियों के संघ ने दिसम्बर 1965 में अफ्रीकी एशियाई वैज्ञानिकों को एक गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय किया है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) भारत वैज्ञानिक कर्मचारी संघ अभी इसके ब्यौरे को अन्तिम रूप देगा।

भारतीय अकादमियों तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

540. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन अकादमियों तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिये डा० एच० जी० भाभा की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) समिति की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है और वह संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) रिपोर्ट पर भारतीय अकादमियों तथा भारती सांस्कृतिक सम्बन्धी परिषद् की सलाह के साथ विचार हो रहा है ।

हांगकांग में महिला हाकी टूर्नामेंट

541. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय महिला हाकी ऐसोसियेशन को 10 से 17 जनवरी,

1965 तक हांगकांग में हुए प्रथम एशियाई महिला हाकी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिये टीम भेजने की अनुमति नहीं दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय खेल परिषद् ने इस की सिफ़ारिश नहीं की ।

दिल्ली नगर निगम के सदस्य

542. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली नगर निगम के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी संख्या बढ़ाई जायेगी ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3 की उपधारा 6 के अनुसार दिल्ली नगर निगम के वर्तमान सदस्यों की कार्य अवधि पूरी होने के पश्चात्, 1961 की जनगणना के आधार पर सदस्यों की संख्या 100 तक बढ़ा दी जानी चाहिये । कानून में निश्चित संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कुकी नेशनल आर्मी

543. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 व्यक्तियों के एक गिरोह ने, जिसे 'कुकी नेशनल आर्मी' कहा जाता है, 10 जनवरी, 1965 को इम्फाल के निकट नारमफुंग गांव पर छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप जान व माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । मणिपुर सरकार की जानकारी के अनुसार 7 जनवरी, 1965 को (न कि 10 जनवरी को) कुकियों के सशस्त्र गिरोह ने वाचेई नागरुमफुन ग्राम पर छापा मारा था ।

(ख) कोई आदमी नहीं मरा परन्तु छापा मारने वाले 132 रु० 25 पैसे तथा कुछ कपड़े ले गये ।

(ग) बीस ।

Schools in Delhi

544. Shri Sidheswar Prasad: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Higher Secondary Schools in Delhi from 1960-61 to 1963-64 (years-wise) and the number among them whose accounts of income and expenditure were audited each year;

(b) whether it is a fact that several irregularities were found in the accounts of some of those schools; and

(c) if so, the nature of punishment awarded to persons responsible for those irregularities and the steps taken to prevent such irregularities in future?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):

(a)

No. of Higher Secondary Schools. Year.	No.	No of Higher Secondary Schools audited.
1960-61	269	141
1961-62	300	137
1962-63	325	162
1963-64	344	173

(b) Yes, in a few schools.

(c) In accordance with gravity of the irregularities the following penalties have been imposed:—

(i) warning;
(ii) stoppage of increments,
(iii) recovery of amounts,
(iv) termination of services,

Steps have been taken to increase the number of audit parties, and to augment it, the Zonal Officers have been entrusted with the work of effective supervision of the schools under their jurisdiction.

सिराजुद्दीन एंड कं० के मामले

545. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सिराजुद्दीन एंड कं० सम्बन्धी 23 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मुकदमों के बारे में और प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मुकदमा किस किस अवस्था में है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनकी कार्यवाही में तेजी लाई जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) से (घ) सिराजुद्दीन एंड कं० से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में आगे प्रगति हुई है । प्रत्येक मामले की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **श्री डी० एन० सहाय के विरुद्ध मामला:** अभियोग गवाह श्री अन्नास्वामी का प्रतिपरीक्षण अभी अभी चल रहा है । उनके अग्रेतर प्रतिपरीक्षण के लिये मामले को 3, 4, 5 और 6 मार्च, 1965 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

(2) **श्री एल० एम० डी० क्रज के विरुद्ध मामला** : अभियोग साक्ष्य समाप्त हो गया है और मामले को आरोप पर विचार करने के लिये 23 और 24 फरवरी 1965 के लिये स्थगित कर दिया गया था । आरोपों को बनाने के प्रश्न पर बहस के लिये मामले को 9 और 10 अप्रैल, 1965 के लिये स्थगित किया गया है ।

(3) **श्री एच० आर० दीवान के विरुद्ध मामला** : अभियोग गवाहों का अग्रेतर प्रतिपरीक्षण किया गया था । अग्रेतर अभियोग साक्ष्य के लिये मामले को 1 फरवरी से 6 फरवरी 1965 तक के लिये रखा गया है । क्योंकि अभियुक्त ने अपनी बीमारी के आधार पर एक स्थगन याचिका दी है, इसलिये मामले को अग्रेतर साक्ष्य के लिये 26 मार्च से 3 अप्रैल, 1965 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था ।

(4) **श्री जी० पी० नायर के विरुद्ध मामला** : अभियुक्त श्री सिराजुद्दीन और श्री एम० के० रहमान के ब्यान 11 और 12 जनवरी, 1965 को ले लिये गये थे । अभियुक्त श्री जी० पी० नायर, श्री सिराजुद्दीन और श्री एम० के० रहमान ने सफाई गवाहों की सूचियां दी है । 8 फरवरी, 1965 से 11 फरवरी, 1965 तक श्री जी० पी० नायर की ओर से 11 सफाई गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया गया था । अभियुक्त श्री जी० पी० नायर की ओर से और सफाई गवाहों के प्रतिपरीक्षण के लिये मामले को अब 3, 4 और 11 मार्च, 1965 के लिये रखा गया है ।

2. मामले न्यायालय में चल रहे हैं और उनको शीघ्र निपटाने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें

546. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की गुम हुई फाइलों के बारे में 23 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1818 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस से क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो इतनी अधिक देर के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ग) जी, नहीं। पुलिस की जांच अभी तक चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञान मंदिर

547. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा विज्ञान मन्दिरों की स्थापना में हुई धीमी प्रगति को देखते हुए सरकार का विचार इस कार्य को अपने हाथ में लेने का है ताकि पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित राशि का पूरा प्रयोग किया जा सके;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को किस प्रकार जल्दी पूरा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं,। केन्द्रीय सरकार द्वारा विज्ञान मन्दिरों का प्रशासनिक प्रबन्ध वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जैसा कि विज्ञान मन्दिरों संबंधी अनुमान समिति ने सिफारिश की है, यह समझा जाता है कि विज्ञान मन्दिरों का कार्यक्रम प्रभावशाली ढ़ंग से केवल तब ही चलाया जा सकता है जब वे मन्दिर राज्य सरकारों के अन्तर्गत ग्राम्य विकास की योजनाओं अर्थात्, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास और शैक्षिक संस्थाओं की योजनाओं के अंश के रूप में काम करें।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वें तृतीय योजना की शेषावधि अर्थात्, मार्च, 1966 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में 4 से 6 विज्ञान मन्दिर खोलने पर विचार करें या फिर चौथी योजना के लिए कार्यक्रम तैयार करें ।

दिल्ली में अपराधों का पता लगाना

548. **महराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपराधों का पता लगाने का व्यापक और अतिरंजित प्रचार करने का महत्व कम करने के लिये प्रैस के साथ अत्यावश्यक निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए लांस एन्जेल्स पुलिस के प्रधान, मि० पारकर के सुझाव के अनुसार एक प्रशिक्षित जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने के लिये तत्काल कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) श्री प्रभाकर ने भारत सरकार को अभी कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्कूलों की इमारतें

549. **महाराजकमार विजय आनन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने अत्याधिक लागत को ध्यान में रख कर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की सस्ती इमारतें बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आर्थिक और सांख्यिकीय सेवायें

550. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं की अधिकृत संख्या का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) क्या सितम्बर, 1965 में अन्य अखिल भारतीय संवर्गों के साथ चतुर्थ श्रेणी में भी सीधी भर्ती करने का विचार है; और

(ग) आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं की द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में कब सीधी भर्ती होने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कर्मचारियों की अधिकृत संख्या का अभी पुर्नविलोकन किया जा रहा है और इस में कुछ समय लगेगा इस से पहले कि मामले में कोई निर्णय किया जाये ।

(ख) दोनों सेवाओं की श्रेणी चार में सीधी भर्ती के तरीके का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है

प्रशासकीय सुधारों के लिये हूवर किस्म का आयोग

551. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ प्रशासन की हूवर-किस्म की व्यापक जांच करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस की तारीख और व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार

552. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने 1963-64 में दिल्ली नगर निगम में फैले हुए भ्रष्टाचार तथा अन्य बुराइयों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्था द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने अक्तूबर, 1964 में "पानी के कनक्शन लेने में नागरिकों का अनुभव" (भ्रष्टाचार का एक अध्ययन) पर एक सर्वेक्षण किया है।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ?

विश्वविद्यालयों में भू-जल विज्ञान

553. **श्री बड़े :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ विश्वविद्यालयों में भू-जल विज्ञान का विशेष पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है, और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों में ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Seizure of Obscene Literature in Delhi

554. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Police have launched a drive to seize obscene literature; and

(b) if so, the number of books so far seized as a result thereof?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Jaisukhlal Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) As a result 4398 books 11 posters 211 photographs were seized during the last one year.

विस्थापितों को चिकित्सा सुविधायें

555. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 और 1965-66 में अब तक राज्य सरकारों को विस्थापितों की चिकित्सा के लिये कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी: (क) और (ख). 1964–65 में अब तक पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के चिकित्सीय उपचार के लिये राज्य सरकारों को मंजूर किये गये अनुदान इस प्रकार हैं : —

	लाख रुपये
आन्ध्र प्रदेश	0.56
आसाम	1.10
मध्य प्रदेश	7.62
मद्रास	0.03
उड़ीसा	4.06
उत्तर प्रदेश	1.50
पश्चिम बंगाल	28.10
महाराष्ट्र	0.06
बिहार	1.01

53.49 लाख रुपये के अनुदानों के अग्रेतर प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

2. पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय सुविधाओं के उपबन्ध के लिये पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कुल 5.72 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई है।

3. राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने पर 1965–66 के लिये अनुदान मंजूर किये जायेंगे ।

4. 1964–65 में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सीय सुविधाओं के लिये कोई अनुदान नहीं दिये गये थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान

556. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान दल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक तत्संबंधी मामलों में क्या प्रगति हुई है; विशेषकर मौसम संबंधी अनुसन्धान के संबंध में जिस से इस देश को लाभ हो सकता है और भारतीय समुद्र जल प्रांगण में, जिस पर देश मछलियों की उपलब्धि के लिये निर्भर कर सकता है, पाई जाने वाली मछलियों की मात्रा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय मौसम केन्द्र को अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में भाग लेने वाले जहाजों से काफी जानकारी प्राप्त हुई है, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है, हिन्द महासागर के विभिन्न प्रदेशों से इकट्ठे किये गये प्लैंकटन नमूनों को प्रारम्भिक विश्लेषण और बाद में विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन के लिये हिन्द महासागर जीव विज्ञान केन्द्र में प्राप्त कर लिया गया है ताकि कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में कुछ चिह्न मिल सकें जहां पर कि अधिक मछलियां हैं। यह सारा काम अब प्रगति पर है।

निःशुल्क उच्च माध्यमिक शिक्षा

557. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों से शुल्क न लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या राजधानी में भी इस कक्षा का शुल्क समाप्त किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। मद्रास राज्य ने हाई स्कूलों के छात्रों से शुल्क लिया जाना समाप्त कर दिया है। जहां तक अन्य राज्य सरकारों का सम्बन्ध है जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ग) पता चला है कि इस का एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान

558. **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० कं० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के शासी निकाय द्वारा एकमत से पास किये गये संकल्प की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि अनुसन्धान शालाओं को जिन के पास अपेक्षित वैज्ञानिक प्रतिभा है वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण अग्रेतर अनुसन्धान कार्य करने में रुकावट नहीं होनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसन्धान शालाओं के लिये अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के शासक निकाय ने सिफारिश की है कि प्रत्येक वज्ञानिक प्रयोगशाला / संस्थान को पूरी तरह से विकसित होने की अनुमति दी जाये और उस पर यदि कोई सीमा हो तो वह केवल उस की वैज्ञानिक क्षमता की सीमित ही हो और विकास की गति 20 से 30 प्रतिशत वार्षिक हो।

(ख) और (ग) 1965–66 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और इस की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के लिये अतिरिक्त धन देने का प्रस्ताव विचाराधीन रहा है।

"नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष"

559. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अनुरोध किया गया है कि वह वर्ष 1965 को "नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष" की संज्ञा दे और उसे इसी रूप में माने ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को ऐसे संकल्प के पारित होने का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण में हिन्दी की शिक्षा

560. **श्री दे० जी० नायक** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण के लोगों में हिन्दी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां तो ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं को जिन्होंने हिन्दी पढ़ाने का कार्य आरम्भ कर दिया है, क्या सुविधायें दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दक्षिण की स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं से हिन्दी शिक्षण कक्षाएं खोलने और हिन्दी प्रचारकों आदि की नियुक्तियों के लिये जो अनेक प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं उनसे तो ऐसा ही पता चलता है ।

(ख) स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को, हिन्दी शिक्षण कक्षाएं खोलने हिन्दी पुस्तकालय और रीडींग रुम स्थापित करने, हिन्दी में योग्यता के लिये पुरस्कार बांटने, हिन्दी नाटक वाद-विवाद, वक्तलशक्ति प्रतियोगिता आदि आयोजित करने के लिये उनके अनुमोदित व्यय के 60 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता दी जाती है । अगले वित्तीय वर्ष से सहायता की मात्रा बढ़ा कर अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत के बराबर कर दी गई है ।

भारतीय सांख्यकी सेवा

561. श्रीमती अकम्मा देवी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने भारतीय सांख्यकी सेवा की विभिन्न श्रेणियों के लिये चुने जाने तथा नियुक्ति किये जाने के लिये कितने विभागीय उम्मीदवार के नाम दिये हैं ;

(ख) इस सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय इसकी विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिये चुने गये व्यक्तियों की 31 दिसम्बर, 1964 को संख्या क्या थी ;

(ग) यदि किन्हीं व्यक्तियों को नहीं चुना गया है तो उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) प्रारम्भिक गठन के समय इस सेवा में शामिल किये जाने के लिये विभागीय उम्मीदवारों की योग्यता की परख करने के लिये क्या मापदंड अपनाया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा की विभिन्न श्रेणियों के लिये चुने जाने तथा नियुक्त किये जाने के लिये 132 विभागीय उम्मीदवारों के नाम दिये गये थे ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित सिलेक्शन कमेटी ने सेवा के प्रारम्भिक गठन पर विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिये 176 विभागीय उम्मीदवारों को चुना ।

(ग) 6 विभागीय उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया था ।

(घ) क्योंकि उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने गये थे इसलिये कमेटी द्वारा इसके लिये जो कसौटी अपनाई गई उसका मंत्रालय को ज्ञान नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

562. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छ : महीनों में भारत सरकार के मुख्य कल्याण अधिकारी, नई दिल्ली को सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध (1) दुराचरण, (2) सरकारी पद के दुरुपयोग, और (3) घरेलू झगड़ों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इनमें से कितने मामलों में कार्यवाही की गई और कितने मामलों में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया, एवं किन आधारों पर ;

(ग) क्या शिकायत करने वाले को शिकायत के बारे में की गई कार्यवाही के बारे में बताया जाता है ; और

(घ) यदि हां तो कब बताया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मुख्य कल्याण अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों के दुराचरण और उनके द्वारा सरकारी पद के दुरुपयोग किये जाने के मामलों की जांच के लिये जिम्मेवार नहीं है । गत 6 महिनों में उसको घरेलू झगड़ों के बारे में 5 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) पांचों शिकायतों की जांच कर ली गई है ।

(ग) और (घ). मामले में ज्यों ही निर्णय कर लिया जाता है शिकायत करने वाले को कार्यवाही की सूचना दे दी जाती है ।

दिल्ली के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे

563. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ न्यायालयों में निर्णय के लिये बहुत से मुकदमे इकट्ठे हो रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे मुकदमों के भी निर्णय नहीं किये गये हैं जहां अपराधियों ने अपना अपराध कई महीने पहले स्वीकार कर लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). केवल एक मामला ऐसा है जिसमें फैसला नहीं सुनाया जा सका, यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति ने अपना अपराध मान लिया था, क्योंकि अभियुक्त, जो कि जमानत पर था, उस दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं था जिस दिन फैसला सुनाया जाना था ।

राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों के भवन

564. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963–64 और 1964–65 में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिये राजस्थान सरकार को कितना सहायता ऋण स्वीकार किया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : कोई नहीं ।

भ्रष्टाचार निवारण

565. **श्रीमती सावित्री निगम** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने भ्रष्टाचार निवारण के लिये विधान बनाए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल निम्नलिखित सरकारों ने भ्रष्टाचार निवारण के सम्बन्ध में विधान बनाए हैं :

राज्य	विधान का नाम
1. केरल	1 केरल जांच और सम्मन अधिनियम (केरल के 1962 के अधिनियम संख्या 10 द्वारा संशोधित)
	2. केरल दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1962 ।
	3. केरल सरकारी कर्मचारी (जांच) अधिनियम, 1963
2. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सतर्कता प्रतिष्ठान अध्यादेश, 1965 (उत्तर प्रदेश का 1965 का अध्यादेश संख्या 1)

राज्य	विधान सभा का नाम
3. मध्य प्रदेश	. सेन्ट्रल प्राविन्सेज़ और बरार विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 (1947 का संख्या XVII)
4. आन्ध्र प्रदेश	. आन्ध्र प्रदेश असैनिक सेवा (अनुशासन कार्यवाही न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम संख्या II)।
5. पंजाब	(1) पेप्सू भ्रष्टाचार निवारण (अनुपूरक) अधिनियम, 2008 (2008 बी के० का पेप्सू अधिनियम संख्या XXIV)
	(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (पूर्वी पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब का अधिनियम संख्या XXVIII)।

भारत के सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्दियां

566. { **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1964 और जनवरी 1965 में विभिन्न राज्यों में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने संसत्सदस्यों को गिरफ्तार और नज़रबन्द किया गया;

(ख) भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य विधान मंडलों के कितने सदस्यों को गिरफ्तार और नज़रबन्द किया गया;

(ग) क्या इन मामलों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिसम्बर, 1964 और जनवरी, 1965 में 18 संसद् सदस्य और 48 राज्य विधान-मण्डलों के सदस्य नजरबन्द किए गए। इन मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई मांग नहीं आई है।

भारत का इतिहास

567. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रांची में हुई अखिल भारतीय इतिहास कांग्रेस ने केन्द्रीय सरकार को भारत का इतिहास फिर से लिखने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आर्थिक 'पूल'

568. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबन्धक पदों को भरने के लिए एक आर्थिक 'पूल' निर्माण करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) इस पूल में भर्ती किस प्रकार की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) अभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी रखने के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

ऋण छात्रवृति योजना

569. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में अब तक ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्तियां देने के लिए कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) इस ऋण छात्रवृत्ति योजना से विद्यार्थियों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने में कितनी सहायता मिली ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) 1964-65 में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को देने के लिए 2,22,52,000 रुपए दिए गए हैं ।

(ख) इस योजना से चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 32,300 विद्यार्थियों को लाभ होगा ।

पवन मिलें

570. **डा० रानेन सन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर राष्ट्रीय वैमानिक अनुसंधानशाला ने बिजली के उत्पादन तथा सिंचाई की सुविधाओं के लिये पवन मिल का प्रयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में पवन मिलें कहां तक लोकप्रिय बन गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राष्ट्रीय वैमानिक अनुसंधानशाला, बंगलौर ने छोटी सिंचाई और घरेलू जलसंभरण के लिए पानी निकालने के लिए दो तरह की पवन मिलें बनाई हैं। बैटरियां चार्ज करने के लिये और छोटे पम्प चलाने के लिए उपयुक्त एक पवन विद्युत् जनरेटर भी बनाया गया है।

(ख) इस प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक तौर पर आरम्भ किए गए कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान और विकास-कार्य को पूरा किया जा रहा है और प्रदर्शन के लिए इसने संबन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से गांवों में लगभग 50 पवन-मिलें लगाई हैं जिनका फल सन्तोषजनक हुआ है। इस प्रयोगशाला की इस क्षेत्र में तकनीकी राय और सहायता तो मिलती ही रहेगी, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पवन मिलों के लगाये जाने का निर्णय राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय अर्थात् पंचायतें और सामुदायिक विकास केन्द्र करेंगी।

अति विस्फोटक डाइनामाइट का पाया जाना

571. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा बल को 17 दिसम्बर, 1964 को आसाम-नागालैंड सीमा पर दिमापुर के उत्तर में नौगांव रेलवे स्टेशन के समीप रेल की पटरी पर छ: पौंड अति विस्फोटक डाइनामाइट पड़ा मिला ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह बताया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल खोज दल को 11-12 दिसम्बर की रात को और 17 दिसम्बर, 1964 को नहीं चुनगजन और नावजन रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के समीप एक पैकेट मिला।

(ख) और (ग) जांच करने पर पता चला कि इस पैकेट में एक पेपरवेट के आकार का एक जल्दी फटने वाला बम रखा था।

Oil Exploration in Jaisalmer

572. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Surya Prasad:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1156 on the 9th December, 1964 and state the progress made in oil exploration at Jaisalmer?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): Geological mapping and reconnaisance gravity and magnetic surveys have been completed. Drilling of the first well in the area, at Kharo Tar, has also been completed.

During the testing operations carried out so far, there have been minor indications of the presence of gas. Further testing is in progress.

Fertilizers in Bikaner

573. { **Shri P. L. Barupal:**
{ **Shri Surya Prasad:**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the results achieved so far to set up a fertiliser factory at Lunkarsar Tehsil in district Bikaner?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): There is no proposal at present to set up a fertiliser factory at Lunkarsar Tehsil in district Bikaner.

सरकारी क्षेत्र में संश्लिष्ट रबड़ के कारखाने

574. **श्री चांडक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में संश्लिष्ट रबड़ के दो कारखाने खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) कारखाने कब और कहां खोले जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस समय तकनीकी और वित्तीय सहयोग के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर रही है ।

(ग) बम्बई और कोयली को उपयुक्त स्थान चुना गया है । लेकिन स्थान अथवा निर्माण के कार्य के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

संश्लिष्ट रबड़ कारखाना

575. **श्री चांडक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में संश्लिष्ट रबड़ कारखाना स्थापित करने के लिये दूसरा लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की वार्षिक क्षमता क्या है ;

(ग) किस किस्म की संश्लिष्ट रबड़ तैयार की जायेगी तथा उसका कारखाना-द्वार मूल्य क्या होगा ; और

(घ) कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

पेंट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई दूसरा लाइसेंस नहीं दिया गया है। तथापि, स्वीकृति-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ख) 25,000 टन प्रति वर्ष ।

(ग) सिस-पोली बुटेडीन किस्म । कारखाना-मूल्य उपलब्ध नहीं है ।

(घ) इस समय इस बारे में नहीं बताया जा सकता ।

खान इंजीनियर

576. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल में अफ्रीकी देशों में काम करने के लिए कुछ खान इंजीनियर भेजने के प्रश्न पर विचार करती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) सरकार अफ्रीका में नये विकसित देशों को खान इंजीनियर भेजने को तैयार है यदि वे देश उनकी सेवाएं चाहें।

महिला कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रम

577. **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के महिला कर्मचारियों के लिये कोई कल्याण कार्यक्रम चालू किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का स्वरूप क्या है ; कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और यह किन-किन क्षेत्रों में चालू किया गया है ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम का पुनर्गठन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याण कार्यक्रम पुरुष और महिला कर्मचारियों दोनों के लिए हैं । केवल महिला कर्मचारियों के लिए कोई विशेष कल्याण कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

कच्छ और खंभात की खाड़ी

578. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्छ और खंभात की खाड़ी में समुद्रीय भूकम्पीय खोज के बारे में प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) खंभात की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के प्राथमिक परिणाम प्राप्त हो गए हैं। कच्छ की खाड़ी में सर्वेक्षण के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि वहां कार्य हाल ही में आरम्भ किया गया है।

(ग) खंभात की खाड़ी के परिणामों से पता चलता है कि वहां पर तलघट चट्टानें हैं जहां तेल और गैस मिलने की संभावना काफी है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय में पड़े अनिर्णीत मुकद्दमे

579. **श्री रामचन्द्रन उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1964 को उड़ीसा के कटक स्थित उच्च न्यायालय में कितने मुकद्दमे अनिर्णीत पड़े थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : 2210।

माहे जाने वाली गाड़ियों पर कर

580. **श्री कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डिचेरी प्रशासन माहे में प्रवेश करने वाली मोटर गाड़ियों के मालिकों से कुछ कर वसूल करता है ;

(ख) क्या प्रशासन को उन लोगों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है जिनका कारबार तिल्लिचेरी में है और घर माहे में ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस वसूल की गई राशि में से कुछ भाग मिलता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ग) माहे की नगरपालिका ने नगरपालिका की सीमा में प्रवेश करने वाली कुछ प्रकार की गाड़ियों पर कर लगाया है। इस कर से होने वाली आय नगरपालिका द्वारा रखी जाती है और इसमें से पांडिचेरी सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को कोई अंश नहीं मिलता।

(ख) यह कर बहुत समय से चालू है लेकिन 1963 में इसको कुछ थोड़े से समय के लिए समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि इसको समाप्त किए जाने से माहे की नगरपालिका की आय में बहुत कमी हो गई, इसे फिर से लागू कर दिया गया।

केरल उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकद्दमे

581. **श्री कोया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 दिसम्बर, 1964 को केरल उच्च न्यायालय में कितने मुकद्दमें अनिर्णीत पड़े थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : 17631

शिक्षकों को सहायता

582. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962, 1963 और 1964 में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्र की गई धनराशि में से शिक्षकों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) 1962 और 1963 में एकत्र की गई धनराशि राष्ट्रीय आपात काल के कारण प्रतिरक्षा बाण्डों में लगाई गयी । सितम्बर, 1964 से और इसके बाद एकत्र की गई धनराशि से सहायता योजना आरम्भ की गयी है। केरल में 10 अध्यापकों को अथवा उनके परिवारों को 11,020 रुपये दिए गए हैं और 300 अन्य मामले विचाराधीन हैं। इसी प्रकार सभी राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र एकत्र की गई धनराशि में से अपने अपने क्षेत्रों में अध्यापकों को वित्तीय सहायता देते हैं; लेकिन अनुरोध करने पर भी अभी तक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियां

583. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली परीक्षाओं के आधार पर कितने विद्यार्थियों को रिहायशी स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) परीक्षा देते समय इन में से कितने विद्यार्थी (एक) नगर निगम तथा नगर पालिका क्षेत्रों में (दो) नगर तथा अधिसूचित क्षेत्रों और (तीन) ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ते थे ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) 200

(ख) (1) 111

(2) 59

(3) 30

वैज्ञानिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां

584. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली परीक्षा के आधार पर कितने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां दी गई है; और

(ख) परीक्षा देते समय इनमें से कितने विद्यार्थी (एक) नगर निगम तथा नगर पालिका क्षत्रों (दो) कस्बों तथा अधिसूचित क्षेत्रों और (तीन) ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ते थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) अभी 1965 में छात्रवृत्ति देने के लिए विद्यार्थियों के चयन का काम पूरा नहीं हुआ है । 1964 में 235 छात्रवृत्तियां दी गयीं ।

(ख) अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

Qutab Minar in Delhi

585. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Bishwanath Roy:
Shri Samani:
Shri Rajeshwar Prasad:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Qutab Minar in Delhi has shown signs of leading sideway; and

(b) if so, the action taken to prevent this?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) Yes, Sir.

(b) An Expert Committee has been appointed to examine the Minar and recommend measures for its structural stability.

स्वर्गीय श्री नेहरू के आदर्श

586. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के साथ सहकार संबन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यकारी बोर्ड ने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर चर्चा करने और उनको बढ़ावा देने के लिये 14 नवम्बर 1965 को विश्व के मनीषीयों का सम्मेलन आयोजित करने के बारे में निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इस कार्य के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम के बारे में सरकार को बता दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस आयोग को कितनी सहायता मिलेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विशेष पुलिस संस्थान

587. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1964 में विशेष पुलिस संस्थान ने 219 अधिकारियों की खुली जांच की;

(ख) यदि हां, तो 1963 में उसी महीने के आंकड़ों की तुलना में यह संख्या कैसी है तथा 1964 में ऐसे मामलों में फंसे व्यक्तियों की कुल संख्या क्या थी; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) 141 और 270.

(ग) दिसम्बर, 1964 में 219 अधिकारियों पर चलाये गये मामलों में से 11 अधिकारियों के विरुद्ध मामले सम्बन्धित विभागों को विभागीय कार्यवाही करने के लिए भेजे गये हैं । बाकी मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है ।

मीनीकाय द्वीप में पुलिस थाने पर आक्रमण

588. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी जहाजों में काम कर रहे कुछ नाविकों ने फरवरी, 1965 के प्रथम सप्ताह में मीनीकाय द्वीप में बड़ा गांव के पुलिस स्टेशन पर हमला किया था

(ख) क्या उन्होंने छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों को गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग न लेने की धमकी दी थी; और

(ग) संबंधित नाविकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). मीनीकाय में बड़ा गांव के कुछ व्यक्तियों में, कुछ नाविकों के उकसाये जाने पर जो विदेशी जहाजों में काम करते हैं और जो छुट्टी पर घर आये हैं विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को धमकी दी कि वे गणराज्य दिवस समारोह में भाग न लें । बाद में 4 फरवरी, 1965 को जब दो मुखियाओं से, जिनमें एक नाविक भी था, पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही थी, एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला करने और सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयत्न किया । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 148, 324, 353,437,447 के अन्तर्गत 32 व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है ।

खम्भात की खाड़ी में छिद्रन

589. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की "इ० एन० आई०" नामक तेल कम्पनी को खंभात की खाड़ी में तट के समीप छिद्रन–कार्य आरम्भ करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां । यह ठेका तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और स्नाम, एस० पी० ए० के बीच है ।

(ख) ठेके की मुख्य शर्तें ये हैं :

(1) ठेकेदार खम्भात की खाड़ी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से अधिकतम 150 फुट गहरे पानी में अधिकतम 6,000 मीटर तक की गहराई तक तेल अथवा गैस की खोज और/अथवा उत्पादन के लिये तट से दूर कुएं खोदेगा ।

(2) ड्रिल पाइप, ड्रिल कालर आदि समेत ड्रिलिंग रिग, मोबाइल प्लेटफार्म, सहायक उपकरणों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी । कुएं के 'लागिंग' यूनिट' की व्यवस्था आयोग करेगा ।

(3) निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार आवश्यक व्यक्ति देगा । वह आयोग के 3 कर्मचारियों के लिए मोबाइल प्लेट फार्म पर रिहायश की व्यवस्था भी करेगा ।

(4) आयोग बिट्स, कोर-बैरल, कोर-हैड, मड मेटिरियल, केमिकल एडिटिव्स सीमेंट, ईंधन और स्वर्हन केसिंग का संभरण करेगा और ये सभी समान स्थायी रूप से कुएं में रहेंगे ।

(5) यह ठेका 365 दिन की कार्य-अवधि के लिए है जो उस दिन से शुरू होगा जब सभी सामान और व्यक्ति निर्माण स्थल पर पहुंच जायेंगे । आयोग को इस ठेके को 365 दिन तक और बढ़ाने का अधिकार है ।

(6) सामग्री, उपकरण और निर्माण-कार्य और सेवाओं के लिए ठेके की अनुमित लागत 4,310,193 अमरीकी डालर है ।

(7) ठेकेदार को ई० एन० आई० ऋण के अन्तर्गत भुगतान किया जा रहा है ।

पैट्रोलियम और रसायन उद्योग

590. **श्री जसवन्त मेहता : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम-रसायन उद्योगों की स्थापना के लिये गत वर्ष कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने लाइसेंस दिए गये ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये और किन कारणों से अस्वीकार किये गये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) वर्ष 1964 में 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए

(ख) दो

(ग) चार—क्योंकि इन योजनाओं के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा ।

बुनियादी शिक्षा

591. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड की बैठक फरवरी, 1965 के आरम्भ में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बैठक में किन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड की दूसरी बैठक की मुख्य सिफारिशें ये हैं :

1. देश भर में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा धीरे धीरे और यथासंभव शीघ्र ऐसी बनायी जाये जो बुनियादी शिक्षा पद्धति के अनुरूप हो । मौजूदा बेसिक स्कलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और उनका पूर्ण रूप से विकास किया जाये जिससे वे उच्च स्तर के क्रियाकारी बुनियादी स्कूल बन सके । बाकी प्राथमिक स्कूलों में इस प्रकार प्रगति की जाएं कि वे इस लक्ष्य पर पहुंच सके; उनमें उचित कार्यकलाप लागू किया जाए, हर स्कूल में विशेष प्रकार की शिल्प कला आरम्भ की जाए जो स्थानीय वातावरण के उपयुक्त हो ।

2. पोस्ट बेसिक स्कूलों का माध्यमिक स्तर पर शिक्षा–पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में विकास किया जाए । मौजूदा पोस्ट बेसिक स्कूलों में विशेष रूप से अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाए कि वे उच्च स्तर के बन सकें । सभी माध्यमिक स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा जारी रखने के तौर पर उत्पादन केन्द्रों और अन्य कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

3. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को भी पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाए ताकि वहां पर प्रशिक्षित अध्यापक बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम को अधिक कार्यकारी ढंग से क्रियान्वित कर सकें । इसे सुदृढ़ बनाने में, पाठ–चर्या का पुनर्गठन, अध्यापन कार्यों में लगे शिक्षकों के लिए आदर्श बुनियादी स्कूलों की स्थापना, रिहायसी स्थान और शारीरिक व्यायाम सुविधाओं को अथवा संगठन समुदाय और अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

4. केन्द्र के और राज्यों में शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाए और उसका पुनर्गठन किया जाए ताकि बुनियादी शिक्षा की ठोस पद्धति के विकास का उद्देश्य प्राप्त हो सके ।

5. राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड को एक पृथक निकाय के रूप में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बुनियादी शिक्षा की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखने और उसके मार्ग–दर्शन का कार्य केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड और इसकी स्कूल शिक्षा स्थायी समिति को संभावना चाहिए जिसमें बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हों, अधिक रखें जायें ।

समुद्रगत तेल निक्षेप

592. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री चि० रं० राजा :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास, केरल, खंभात तट और कच्छ के समीप समुद्रगत तेल मिलने की सम्भावना के बारे में रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का व्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). कोरोमंडोल तट के समीप किनारे से दूर और खंभात की खाड़ी में प्राथमिक सर्वेक्षण से अच्छी संभावनाओं का पता चला है ।

गुजरात राज्य में तेल और गैस

593. { **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री चि० र० राजा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अब तक कितने छिद्रन–कार्य किये गये हैं और कितने कुओं में तेल और गैस का पता लगा है; और

(ख) इन कुओं की संभाव्यता क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (गुजरात राज्य में 269 गहरे कुएं और 10 संरचनात्मक कुएं खोदे गये हैं । खोदे गये गहरे कुओं में से 163 तेल वाले और 30 गैस वाले हैं । बाकी गहरे कुओं में से 43 सूखे कुएं हैं और 33 कुओं का अभी परीक्षण किया जा रहा है ? संरचनात्मक कुएं केवल भूतत्वीय जानकारी के लिए हैं ।

(ख) तेल कुओं की क्षमता प्रति कुआं प्रतिदिन 10 टन से 75 टन तक भिन्न भिन्न है और गैस कुओं की क्षमता प्रति कुआं प्रतिदिन 10,000 घन मीटर से लेकर 60,000 घन मीटर तक है।

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान कर्मचारियों की कच्छ में घुसपैठ

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Intrusion into about 13,000 acres of land by Pakistan near Karimsahi area in Kutch district of Gujarat."

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : महोदय, यह विवरण बहुत बड़ा है । यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उसे सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 2892/65]

सी० बी० आई० के प्रतिवेदन के बारे में

RE: C.B.I. REPORT

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, दूसरे विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । मैंने शुक्रवार को आपसे

प्रार्थना की थी कि सी० बी० आई० (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) की रिपोर्ट जो कि केन्द्रीय मंत्री-मंडल की उपसमिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जावे। इस बारे में रोजाना प्रश्न उठते हैं। इस रिपोर्ट का सम्बन्ध इतने मामलों से है कि किसी न किसी रूप में यह मामला सभा के सामने आता है। जब तक इसे आप सभा पटल पर नहीं रखने देंगे, हम प्रश्न काल में इसके बारे में उल्लेख नहीं कर सकते। इसलिये आप इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दीजिये। मैंने इसका संकेत मंत्री महोदय को भी दे दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मुझे श्री कामत ने बताया है कि उन्होंने आपको केन्द्रीय जांच ब्युरो रिपोर्ट की एक प्रति प्रमाणित करके आपको दे दी है। जब तक आप इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं देंगे यह गृह-मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए इसका जिक्र नहीं कर सकेंगे। इसलिये आप शीघ्र ही इसे पटल पर रखने की अनुमति दे दीजिये।

श्री रंगा (चित्तूर) : महोदय, आपने देखा होगा कि बहुत से अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने इस रिपोर्ट के बारे में अपने विचार लिखे हैं। यह भी लिखा है कि सरकार इसे गुप्त रख कर कोई जनहित का कार्य नहीं कर रही है। हमने उस रिपोर्ट के कुछ भाग पढ़े हैं। ऐसी स्थिति में आप इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस रिपोर्ट की संक्षिप्त प्रति को रखना नहीं चाहती तो वह बतायें कि क्या वह सारी रिपोर्ट जो कि 200 पृष्ठ की है को रखेगी ?

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार आपके निर्णय के बाद भी यथार्थ के साथ इस समस्या का मुकाबला करने को तैयार नहीं होती है तो इसका अर्थ होगा कि वह आपके निर्णय के बारे में ठीक सूझ बूझ नहीं दिख रही है। फिर हमें मजबूरी में ऐसे ढंग से इस रिपोर्ट में से उल्लेख करना पड़ेगा जो ठीक नहीं होगा। यदि मैं गृह-मंत्रालय की मांगों पर बोलूं तो मुझे उस रिपोर्ट में से जिक्र करना पड़ेगा। क्या इससे इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? क्या इससे सरकार का मान बढ़ेगा ? मेरे विचार में इस रिपोर्ट के बारे में इस सदन को पता है, समाचारपत्रों को पता है और देश को पता है। ऐसी परिस्थिति में अच्छा यह है कि सरकार या तो श्री कामत तथा श्री प्र० के० देव से सहयोग करे और या स्वयं इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं उस दिन इस सदन में नहीं था जब आपने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। फिर भी मुझे ऐसा लगा उससे कि श्री कामत को अब इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने को अनुमति मिल जावेगी। । मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि आप इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दें ताकि प्रत्येक सदस्य को बिना परिश्रम के इसे पढ़ने का अवसर मिले। मैं नहीं चाहता कि मैं इस रिपोर्ट को अनियमित रूप से देखता फिरूं। प्रत्येक सदस्य को इसे नियमित रूप से देखने का अधिकार होना चाहिये। इसलिये इसे सभा पटल पर रखा जावे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Speaker, I want this report to be placed on the Table of the House because such things, if left in abeyance, create greater obstacle to Parliamentary system of Government.

There have been corruption cases in the past also such as that one of Shri Pratap Singh Kairon and now another person has been

[Dr. Ram Manohar Lohia]

involved. There is a general convention that when one goes out somebody else steps in. If the cases of this nature are kept in abeyance, they will result in the exit of Shri Patnaik. In that case some other congress members will step in. A no-confidence motion may also come up against the new Government.

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने विनिर्णय में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि सरकार से किस प्रकार के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिये कहा जा सकता है । सभा पटल पर दस्तावेजों के रखे जाने के सम्बन्ध में नियम विरोधी दल के सदस्य तथा सरकार दोनों ही जानते हैं, जहां तक उद्धरणों का सम्बन्ध है, सदस्यगण अपने भाषण के दौरान सम्बन्धित मामलों में ऐसा कर सकते हैं । इस समय उस दस्तावेज के बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं है । इस सम्बन्ध में उचित अवसर आने पर विचार एवं निर्णय किया जा सकता है । इस समय इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी गई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा सभा में चल रही अन्य कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर बोलने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को सम्बन्धित मामले पर दस्तावेज अथवा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन पढ़ने का अवसर मिले ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिवेदन किसी विशेष चर्चा से सम्बन्धित है जो कि सभा में चल रही है । आपके विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए, मेरा अनुरोध है कि सदस्यों को प्राधिकृत घोषणाओं को उद्धरण करने की अनुमति मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी सभा में उस समय उपस्थित नहीं थे जब इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही थी । सदस्यों का कथन ठीक है किन्तु हमें आय व्ययक पर सामान्य चर्चा के दौरान ऐसी चर्चा के लिए कई अवसर मिलेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री कामत का यह कहना था कि यदि इस प्रश्न पर पहुंच जाते तो कुछ अन्य सदस्य आपसे इस दस्तावेज़ के बारे में मांग करते । अब आप कहते हैं कि किसी और अवसर पर इस पर चर्चा करें । मेरे सामने जो कार्यावलि है उसमें पहला विधेयक जिस पर चर्चा होगी वह है आयकर संशोधन विधेयक । इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में लिखा है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आय-कर (संशोधन) अध्यादेश का स्थान लेने से है । हम विधेयक पर बोलने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं क्योंकि वह बहुत इससे संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूं ।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जावें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इंडियन रिफाईनरीज़ लिमिटेड तथा कोचीन रिफाईनरीज़ लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवदन

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, इंडियन रिफाईनरीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली, की वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3893/65 ।]

(तीन) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, कोचीन रिफाईनरीज़ लिमिटेड एरनाकुलम, की वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(चार) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3894/65 ।]

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाईशाह) : अध्यक्ष महोदय, मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, की वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०–3895/65 ।]

गार्डन रीच वर्कशाप्स, लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड, कलकत्ता, की वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3896/65 ।]

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू): मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, दिनांक 20 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 68, जिस में दिनांक 3 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 22-ङ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3897/65 ।]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सत्तानवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं विनियोग लेखे (रेलवे) 1962–63 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1964 के बारे में लोक लेखा समिति (1964–65) का बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कनाडा द्वारा उपहार स्वरूप गेहूं दिये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: OFFER OF WHEAT GIFT BY CANADA

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): 18 फरवरी, 1965 के अपने वक्तव्य में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अमरीका के पूर्वी तट के और खाड़ी के बन्दरगाहों में जहाज से माल उतारने और लादने वाले मजदूरों की हड़ताल के कारण भारत को गेहूं आने में बाधा पड़ रही है। मैंने उस दिन सदन को यह भी बताया था कि आस्ट्रेलिया सरकार ने हमको 1 लाख 50 हजार टन गेहूं का उपहार बिना शर्त देना मंजूर किया है और अतिरिक्त गेहूं देने के लिए अन्य देशों की सरकारों से भी बातचीत चल रही है । मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि कनाडा सरकार ने भारत को 1 लाख टन गेहूं तत्काल भेजने को कहा है ।

चालू वित्त वर्ष में, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा सरकार ने हमको 70 लाख डालर की सहायता दी है, जिससे हमने गत सितम्बर और अक्टूबर में 87 हजार टन गेहूं वहां से मंगाया । मैं भारत सरकार की ओर से कनाडा सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस कठिन समय पर हमें तुरन्त सहायता दी है ।

अमरीका खाड़ी के बन्दरगाहों में हड़ताल जारी रहने के कारण राज्यों को मार्च और अप्रैल में कम गेहूं भेजा जा सकेगा । ईरान, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने उनके देशों को जाने वाला गेहूं भारत को भेजने की इच्छा जाहिर की है । हमने फ्रांस से भी भुगतान की आसान शर्तों पर 1 लाख टन गेहूं खरीदने की व्यवस्था की है । गेहूं की अतिरिक्त आमद तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमरीका के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से गेहूं आने के कारण हमें आशा है कि इन अतिरिक्त सम्भरण के कारण मौजूदा संकट जल्दी ही खत्म हो जायगा ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): On a point of order, Sir. You have been pleased to observe that all important announcements must be made first in this House and they should not be disclosed elsewhere before they have been announced in this House. But the statement now made by the Minister regarding wheat from Canada has already been announced by All India Radio in the morning news bulletin.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह घोषणा कल कैनेडा की संसद् में भी की गई थी और उसी समाचार का प्रसारण किया गया है ।

विनियोग विधेयक, 1965

APPROPRIATION BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1964–65 में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1964–65 में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

आय-कर संशोधन विधेयक, 1965

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि आय-कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा उस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कुछ तलाशियों को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1965 का स्थान लेना है । इसका प्रयोजन छिपे धन का पता लगाना और उस पर देय कर वसूल करना है । वित्त विधेयक, 1964 के अन्तर्गत कुछ हद तक तलाशी करने और उस सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी । परन्तु उसे वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता है । आय-कर अधिकारियों को यह शक्ति दी जा रही है कि वे,

[श्री ति० ति० कृष्णमाचारी]

उन आस्तियां पर अधिकार कर सकें जिन की आय का हिसाब न दिया गया हो। इस प्रयोजन के लिये, वह आवश्यकता पड़ने पर ताला भी तोड़ सकते हैं या सम्बद्ध व्यक्तियों को यह आदेश दिया जा सकता है कि सम्बन्धित अधिकारी की आज्ञा के बिना वे उस के सम्बन्ध में कोई लेनदेन नहीं कर सकते। इसके उल्लंघन के लिये दंड की व्यवस्था की गई है। उन से इस सम्बन्ध में वही विवरण मांगा जा सकता है

इस सम्बन्ध में शक्तियां पहले की अपेक्षा अधिक अधिकारियों को दी जा रही हैं परन्तु इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जायेगा कि प्राप्त सूचना विश्वसनीय हो।

आय-कर अधिकारी इस तरह प्राप्त धन के बारे में शीघ्र जांच करेगा। यह अनुमान तदर्थ होगा और बाद में इस की पूरी जांच होगी। केवल वे आस्तियां ही रखी जायेंगी जो छिपे धन के सम्बन्ध में हों और विद्यमान दायित्वों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए आवश्यक हों और शेष आस्तियां लौटा दीं जायेंगी।

आय-कर अधिकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति से आदेश जारी करेगा। इस सम्बन्ध में अपील भी की जा सकेगी।

अब तक की जा चुकी तलाशियों के मान्यकरण करने की व्यवस्था की जायेगी। इस के लिये पुलिस अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से सहायता प्राप्त की जा सकेगी। आवश्यकता समझ जाने पर आय-कर अधिकारी इन आस्तियों को बेच सकेगा। कुछ परिस्थितियों में इन आस्तियों पर ब्याज दिया जा सकेगा।

छिपी आय को बताने के प्रस्ताव के कारण कुछ लोग स्वेच्छा से आय बता देंगें। ऐसे मामलों में आय-कर आयुक्त अर्थदण्ड घटा सकेगा अथवा उसे बिल्कुल छोड़ सकेगा।

अब तक 500 लोगों की तलाशी ली गई है और 1000 स्थानों को देखा गया है। इस से 5 करोड़ से कुछ अधिक की प्राप्ति हुई है। इस के अतिरिक्त लगभग 50 करोड़ की हुण्डियां पकड़ी गई हैं जिन की झूठी होने की आशा है। मुझे केवल एक ऐसे मामले का पता है जिस में गलत स्थान पर छापा मारा गया है।

आभूषणों के सम्बन्ध में और ऐसे मामलों में जिसमें महिलाओं के घर पर होते समय छापा मारा गया हो, विशेष आदेश दिये गये हैं।

यह विधेयक में कर अपवंचन को रोकने के लिये व्यवस्था की प्रस्थापना है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा उस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कुछ तलाशियों को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक के लिए दो घंटे निश्चित किये गये हैं।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आय और धन को छिपाने की समस्या बहुत बढ़ गई है। इस समस्या पर काबू पाना करदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों के हित में है और यह तब तक सम्भव नहीं जब तक विभाग को इस प्रकार की शक्तियां न दी जायें जैसीकि इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है।

मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के पश्चात् तीन आम बातें कहनी हैं। पहली बात यह है कि धन छिपा कर रखने की प्रवृत्ति गत 7 या 8 वर्षों से उत्पन्न हुई है न कि अकस्मात 1964 में ही यह पैदा हो गई है। मेरा विचार है कि इस प्रवृत्ति का पहला मूल कारण व्यर्थ-व्यय का आयोजन है जिससे व्यर्थ व्यय हुआ है। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में यह प्रवृत्ति दूसरी पंच-वर्षीय योजना से आरम्भ हुई है, और इसी से घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी पड़ती है। जब हम इन दोनों बातों के प्रभाव को मिला कर देखते हैं और जब हम यह देखते हैं कि इकट्ठी कर व्यवस्था जिसका कुल भार कमरतोड़ बन जाता है क्योंकि यह भार बहुत से प्रभावित व्यक्तियों के बस से बाहर है, और जब कर न देने की एक ही क्रिया से सम्पत्ति-कर, व्यय-कर, उपहार-कर से बचा जा सकता है तो यही लोगों के लिये धन छिपाने का सब से बड़ा प्रलोभन बन जाता है। देखना यह है कि 1957 से लगातार बढ़ रहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर के कारण जब धन छिपाने का प्रलोभन पैदा होता है तो क्या यह स्थिति चलती रहनी चाहिये। हमें इस बात को पहले ठीक से समझ लेना है और मैं तो समझता हूं कि विचाराधीन विधेयक जैसा कोई भी उपाय इस प्रवृत्ति को समाप्त करने में सफल नहीं हो सकता। मेरा तो यही कहना है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था यदि इसी गति से चलती रही तो चाहे आप सैकड़ों हजारों व्यक्ति पकड़ लें, कर न देने वालों की संख्या घटेगी नहीं परन्तु उनके स्थान पर नये लोग आते जाएंगे क्योंकि करों की चोरी अथवा धन छिपाने का प्रलोभन बहुत बलवान है।

मेरा लम्बे समय की नीति अपनाने के बारे में सुझाव यह है कि वित्त मंत्री विचार करें कि इस बुराई का स्थायी इलाज क्या है। यह विधयक थोड़ी देर के लिये समस्या का हल तो है परन्तु इससे कोई लाभ न होगा। आवश्यक तो इसके मूल कारणों का पता लगाना है जो कि मुद्रा-स्फीति तथा निर्दयता पूर्ण लगाए गए कर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर हैं।

दूसरी बात जो मुझे बतानी है वह प्रक्रिया सम्बन्धी है। खेद है कि वित्त मंत्री जी को संसद के दो सत्रों के बीच एक अधिसूचना जारी करनी पड़ी जिसके पश्चात् यह विधेयक लाया गया। मेरे विचार में इस प्रकार अध्यादेश जारी करना बहुत आपत्तिजनक बात है क्योंकि पिछले सत्र के अन्तिम दिन यानी 24 दिसम्बर, 1964 तथा 6 जनवरी, 1965 (जिस दिन यह अध्यादेश जारी हुई) के बीच कोई असाधारण स्थिति नहीं पैदा हुई जिसके कारण यह अध्यादेश जारी करना अनिवार्य हो गया। करों की चोरी तथा धन का छिपया जाना तो गत कितने ही वर्षों से चलता आ रहा है और बीच बीच में सरकार छापे आदि भी मारती रही है इसलिये यह कोई असाधारण स्थिति नहीं थी।

अन्त में मुझे यह कहना है कि हम अपने देश में चाहे कितना ही कड़ा विधान क्यों न बनाएं परन्तु यह विधान विधिहीन नहीं होना चाहिये और हमें सभ्य समाज तथा सभ्य देश के अनुरूप अपने संविधान की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए न्यायप्रियता नहीं खो देनी चाहिये परन्तु इन सब प्रक्रियाओं का उल्लंघन हम केवल उसी स्थति में कर सकते हैं जब जनता संविधान का आश्रय लेकर संविधान को ही नष्ट करने पर उतारू हो जाए।

[श्री नारायण दांडेकर]

मेरा निवेदन है कि इस विषय पर हमें अपना संतुलन बनाए रखना है यद्यपि यह कठिन है। मुझे ज्ञात है कि कार्यपालक अधिकारियों को भ्रष्टाचार, खाद्यान्नों में मिलावट जैसी समस्याओं से निपटने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परन्तु भ्रष्टाचार-विरोधी विधेयक, आवश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक आदि में ऐसे उपबन्ध हैं जो विधान की प्रक्रिया तथा सभ्य विधि-विवेक के मूल तथा अति आवश्यक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाते हैं।

मेरा कुछ संशोधन रखने का कारण यही है कि इस विधेयक में जो ज्यादतियां हैं और जो बचाव करने योग्य अथवा कानून के विधिहीन उपबन्ध कहे जा सकते हैं उन्हें हटा दिया जाए। मेरा विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय के लिये इन्हें मान लेना सम्भव होगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार फिर कहता हूं कि मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस विधेयक को उचित समय प्रस्तुत करने के लिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। सच तो यह है कि जितना भी छिपा धन पकड़ा गया है वह मेरे नगर में से ही पकड़ा गया है और मुझे याद है कि दो वर्ष पूर्व जब मैंने कहा था कि अवैध हुंडियों के सौदों में मेरी सूचना के अनुसार 50 करोड़ नहीं परन्तु 100 करोड़ रुपया लगा हुआ है तो उस समय के वित्त उप-मंत्री ने बड़े शान्त तथा बेपरवाही के भाव में कहा था कि यह सच नहीं है। परन्तु अब सच सामने आ गया है। मैं वित्त मंत्री को विश्वास दिलाती हूं कि यदि वह निडरता से बिना किसी दबाव में आए यदि अपना कार्य करते गए तो जितना धन अब तक पकड़ा गया है कम से कम उसका दस गुना धन और मालूम हो जायेगा।

कैसे बैंकों आदि का सम्बन्ध इन हुंडियों आदि से है वह हाल ही में पता चला है। सुना है कि देना बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर इन गैर कानूनी हुंडी सौदों से सम्बन्धित था। वित्त मंत्री को अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन सारी बातों का पता लगाना चाहिये।

यह सब बड़ी पेचीदा बातें हैं और प्रश्न केवल मुद्रा स्फीति का ही नहीं है। मेरे विचार में श्री दांडेकर ने मामले को कुछ अधिक सरल कर दिया जब उन्होंने कहा कि मुद्रा स्फीति का वास्तविक तथा मूल कारण असन्तोषजनक कर-व्यवस्था है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां धनियों की संख्या अधिक है तथा जहां एकाधिकार-विरोधी तथा न्यास-विरोधी विधान है और जहां करों की मात्रा भी उतनी ही अधिक है जितनी हमारे देश में है परन्तु वहां भी करों की चोरी की इतनी अधिक प्रवृत्ति नहीं है जितनी यहां गत कुछ वर्षों से है।

अध्यादेश जारी करने का विरोधी दल समर्थन नहीं करते परन्तु यदि सरकार इस अध्यादेश की सहायता से कुछ व्यक्ति पकड़ सकी है तो सभा को यह अधिकार दे देना चाहिये—हां इन अध्यादेशों का साधारणतया आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये।

काला बाजार करने वालों को पकड़ने के लिए जिस अध्यादेश को कानूनी रूप दिया गया था उसका प्रयोग केवल पश्चिम बंगाल ने ही किया है। मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि अधिक पेचीदा मामलों जैसे लेखों को बढ़ा कर अथवा घटा कर दिखाने में छिपे धन की पहचान करना कठिन होगा तो यह पहचान कैसे की जाएगी। एक समवाय ने ऐसी गड़बड़ी करके 10 करोड़ रुपये का घोटाला किया है और जब तक न्यायालय में इसका निर्णय हो कई अंग्रेज जो इस

कम्पनी में डायरेक्टर आदि थे भाग गए । लाखों रुपयों की क्षति इस प्रकार हर वर्ष होती है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह भ्रष्टाचार, यह जमाखोरी जिसके परिणामस्वरूप एकाधिकार की प्रवृत्तियां पनपती हैं, इन्हें दबाया जाना चाहिये क्योंकि बड़े बड़े लोग अपना प्रभाव न केवल समाज पर परन्तु राजनैतिक दलों तथा प्रशासन आदि पर जमाने में सफल होते हैं । और ऐसे व्यक्तियों को दण्ड मिलना ही चाहिये ।

अन्त में मुझे भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों श्री पटनायक तथा श्री मित्रा के बारे में हुई जांच तथा इसके परिणामस्वरूप फैली उत्तेजना के बारे में कहना है । इन मामलों में बहुत बड़ी धन राशि अनुचित रूप से इकट्ठी की गई––इन मामलों की ठीक से जांच होनी चाहिये । हमें तो चिन्ता इस बात की है कि इन बड़े बड़े लोगों ने इतना धन अनुचित रूप से कमाया परन्तु इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

मैं एक बार फिर आशा करती हूं कि यह विधान और बहुत सा छिपा धन निकालने में सहायक होगा जिससे एक ओर बड़े बड़े लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और दूसरी ओर बिचारे निर्धन लोग कमरतोड़ करों के भार से बच सकेंगे ।

श्री सचीन्द्र चौधरी (घाटल) : मुझे अधिक बात नहीं कहनी है । श्री दांडेकर ने बहुत सी बातों का उल्लेख किया है । हमारे देश में कर अपवंचन अभी भी बहुत है । इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । यह विधेयक बहुत बड़े कार्य को ध्यान में रख कर लाया गया है । छिपे धन से समाज विरोधी तत्व लाभ उठाते हैं और जनसाधारण को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

इस विधेयक द्वारा आयकर अधिकारियों को बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि वे इनका प्रयोग ठीक प्रकार से करेंगे ।

आयकर निर्धारण में देर नहीं होनी चाहिये । अधिकारियों को अधिक अधिकार देने से शासन में कठोरता आ जाती है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

कर अपवंचन तथा चोर बाजारी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं इन समाज विरोधी चीजों के विरुद्ध हूं । इनका कठोरता से दमन होना चाहिये । इस कानून का उद्देश्य छिपे धन को निकालना तथा कर से छिपाये गये धन को प्रयोग में लाना है । मैं इस का पूरा समर्थन करता हूं ।

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह अपने अधिकारियों को आदेश दें और ऐसे नियम बनायें कि इस कानून को सावधानी से प्रयोग में लायें ।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक पर हुई चर्चा को गौर से सुना है । प्रायः सभी सदस्यों ने वित्त मंत्री के विधेयक पर एक प्रकार की बात ही कही है । कर अपवंचन को समाप्त करने के लिये कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है । श्री दांडेकर ने योजनाओं की आलोचना की है । हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है । ऐसे देश में कानून सख्त होने चाहियें ।

मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया । यहां पर करोड़ों रुपया बिना किसी हिसाब के छिपा पड़ा है । समाज विरोधी तत्व इसका दुरुपयोग

[श्री बासप्पा]

करते हैं । वही हमारे समाजवाद के लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग में बाधायें डालते हैं । मूल्य भी इसी कारण से बढ़ जाते हैं ।

इस विधेयक द्वारा सरकार दो तरीके अपनायेगी । एक सरकार अपने कर्मचारियों को सतर्क करेगी और दूसरे स्वेच्छा से धन घोषित करने वालों को रियायतें देगी । इस बात की भी सावधानी बरती गई है कि लोगों को बिना किसी कारण के कठिनाई न हो ।

छिपे धन की जानकारी मिलने पर पुलिस की सहायता ली जायेगी और अनधिकृत वस्तुएं कब्जे में ले ली जायेंगी । वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि पहले एक साधारण तौर से अनुमान लगाया जायेगा । कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि यह कानून बहुत कठोर है और लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । आज के वातावरण में इस प्रकार का कानून बहुत आवश्यक है और वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों को हिदायतें जारी की जायेंगी कि इस कानून के प्रयोग में अत्यन्त सावधानी से कार्य किया जाय ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री यह विधेयक लाये हैं । मैं हाल में किये गये छिपे धन को निकालने के लिये की गई तलाशियों का भी स्वागत करता हूं । परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि सभी मामलों में न्याय हो ।

सदस्यों को याद होगा कि पिछले सत्र में उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बिजू पटनायक के एक वक्तव्य के बारे में प्रश्न उठाया गया था जिस में उन्हों ने अर्थात् श्री पटनायक ने कहा था कि मैं ने दस वर्षों में 10 करोड़ रुपया जमा कर लिया है । यहां पर प्रश्न किया गया था कि क्या श्री पटनायक ने इस राशि पर आय कर दे दिया है और वित्त मंत्री जी ने कहा था कि आय कर अधिकारी इस को देखेंगे । मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि क्या कायवाही की गई है ।

श्री बीरेन मित्रा ने जब वह मुख्य मंत्री थे एक हास्यास्पद बात की कि वह अपनी सभी आस्तियां और दायित्व एक रुपये में बेचने को तैयार है । ऐसा समाचार है कि इस प्रकार उन को लाखों रुपया आया मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस प्रकार उन को कितना रुपया मिला ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा दस्तावेज है । इस से बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आयी हैं । मैं आरोप संख्या 2 के पृष्ठ 20 का उल्लेख कर रहा हूं । इस में कहा गया है कि उड़ीस एजन्ट्स के सम्बन्धित रिकाड उपलब्ध नहीं हो सके । उड़ीसा एजेन्ट्स की मालिक श्री बीरेन मित्रा की पत्नी श्रीमती ईश्वरम्मा मित्रा हैं । मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) की रिपोर्ट में से उद्धरण दे रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री पटनायक और श्री मित्रा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि का अभियोग चलाया है अतः क्या इन बातों पर चर्चा करना उचित होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह मानहानि का अभियोग है । यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : कृपया सुनिये तो सही कि रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है । इसमें लिखा है कि कलिंग ट्यूब्स तथा कलिंग इन्डस्ट्रीज को पाइप तथा ढांचे बनाने का एकाधिकार प्राप्त

था। और इन समवायों के मालिक थे श्री पटनायक। जब वह मुख्य मंत्री बने तो यह समवाय उन की पत्नी श्रीमती ज्ञान पटनायक के नाम कर दिये गये। फिर भी मंत्रिमंडल की उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हों ने कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह सभा पटल पर रख दी जाय तो अन्य सदस्य भी इससे लाभ उठा सकते हैं।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : श्रीमान्, माननीय सदस्य दस्तावेज का एक भाग ही बता रहे हैं यदि पूरा दस्तावेज सभा पटल पर रख दिया जाय तो हम इस के दूसरे भाग से भी उद्धरण दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : एक कांग्रेसी सदस्य भी इस की मांग कर रहे हैं और प्रतिपक्ष वाले भी कर रहे हैं। अतः मैं इसे सभा पटल पर रखने की आज्ञा देता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : अब मैं इस में से अधिक उद्धरण नहीं पढ़ूंगा। श्रीमान्, अब सभी सदस्य इस को पढ़ लेंगे। मैं आप की अनुमति से इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। ***[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3898/65 और 3899/65]** इस में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल की उपसमिति के उस पर निर्णय हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहता हूं कि मुझे आशा है यह नया कानून सभी के लिए एक ही प्रकार से लागू किया जायगा। छोटों या बड़ों, मंत्री अथवा अन्य लोगों में कोई भेदभाव नहीं बरता जायगा। सन्थानम समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। देश में छिपे धन के बारे में जांच के लिये सभी नागरिक बराबर हैं। मेरा विचार है फिल्मों के कलाकार, ठेकेदार और मिल मालिकों सभी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। पिछले महीनों में जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है।

[**(अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मुझे बताया गया है कि अब तक 5 करोड़ रुपये एकत्र किये गये हैं देश में कई हजार करोड़ रुपये की धनराशि छिपी पड़ी है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री पूरी कोशिश करेंगे और इस धन को निकलवायेंगे।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह देश को एक ऐसा स्वर्ग बनाना चाहते हैं कि जहां पर कोई कर नहीं होगा और न ही घाटे की अर्थव्यवस्था होगी। उन के अनुसार देश में कोई अध्यादेश नहीं होंगे। मेरे विचार में वह किसी काल्पनिक जगत के बारे में सोच रहे होंगे। वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सकता।

यह कानून केवल वित्तीय ही नहीं बल्कि मैं तो इसे सामाजिक कल्याण का भी कानून मानता हूं। समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। नहीं तो यह कानून व्यर्थ ही रहेगा। यदि आप इस कानून को ठीक प्रकार से लागू करें तो यह सब से बड़ा सदाचार का कार्य होगा।

---

*सदस्य ने जाकर दोनों दस्तावेज सभा पटल पर दे दिये। दस्तावेजों की जांच के बाद यह माना गया कि वे सभा पटल पर रख दिये गये हैं।

*The Member handed over the two documents at the Table. The documents after scrutiny, were treated as laid on the Table.

[श्री दी० चं० शर्मा]

आयकर अधिकारियों को जो अधिकार दिये गये हैं वे अधिक नहीं हैं। इस से छिपे धन को बाहर लाने में बहुत सहायता होगी।

अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिये प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस से देश को बहुत लाभ होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, many members have welcomed this Bill. I will welcome it only after it brings good results and proves instrumental in bringing out unaccounted money and checking the large-scale tax-evasion going in the country. Government has armed itself with new powers. In my view the existing laws have already given vast powers to the Government. There is bungling in all spheres at present. A few years back a British economist had said that there is tax-evasion in India of the order of Rs. 200 or Rs. 300 crores every year. Now this figure must have reached to a few crores. It is an estimate that there is unaccounted money in the country nearabout of rupees three thousand crores. The Minister said that about 500 raids have been carried out. This work was being done by the Enforcement Directorate but now it has been transferred to the Income-tax Department. Government should try its best to unearth this hidden money. My information says the Assistant Commissioner of Bombay Circle has been transferred. There are frequent transfers which should not be so frequent.

With regard to raids conducted in Bombay, people had prior intimation. These raids proved useless. In Calcutta raids were conducted. The enquiries have not been done properly, because the people involved had given donations for Congress session at Durgapur.

Similarly I have received information that an Income-tax Officer assessed J. K. Group of Singhania house and the Assistant Commissioner confirmed the assessment made by the officer. But the officers were transferred and with the result that no progress could be made in the matter.

Both Enforcement Directorate and Income Tax Department are making enquiries in regard to foreign exchange. I want to know from Finance Minister which Department is doing this work efficiently and what is difference between the working of both these departments. Until and unless the high officers do not take interest in rooting out the evil of tax evasion, no measure, howsoever, severe it may be, can be successful.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): The advantages of this Bill will be known after sometime; but now the corruption is increasing by leaps and bounds. I have no objection if certain powers are given to officers to facilitate their work. But it can be advantageous only if these rights are not misused. Crores of rupees have been left out in the raids conducted in Bombay. We can find out the corruption in these Five Year Plans if we conduct an enquiry into

the assets of the relatives of Ministers. But no enquiry is conducted honestly.

The Finance Minister told that the Congress Party received Rs. 97 lakhs and Swatantra Party received Rs. 15 lakhs as fund from different firms. We received Rs. 3,000 but we have returned this amount.

श्री क० ना० तिवारी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa: Now this amount of Rs. 97 lakhs, which the ruling party received from big firms, should be looked into. Certain officials have been entrusted the task of finding hidden money, but it is essential that the assets of these officials should also be checked within six months. The enactment of this law should not be used by officials to harass petty shopkeepers. It should be particularly taken care of that the big industrialists do not escape by giving big amounts as fund to the ruling party. The powers with which officials responsible for finding hidden money have been vested should not be misused by them.

I also want that where big firms are being searched for hidden money, the Ministers and their relatives should also be searched because they are not keeping unaccounted money with them but have hidden it. The Government conducted 500 raids and received only Rs. 5 crores. Had it been done carefully and had the officials been honest, then they could have recovered Rs. 5 crores from a single party. The Finance Minister should stop this business of collecting funds and instead should seriously devote himself to conducting raids and finding unaccounted money. In the end I want to stress that this law should not be misused.

श्री खाडिलकर (खेड) : कर अपवंचन को रोकने और छिपे हुए धन को निकालने के लिये इस विधेयक को लाने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । सन्थानम समिति का सदस्य होने के नाते जो सूचना मुझे व्यापारियों से प्राप्त हुई उस से मुझे पता चला कि यह चीज देश के व्यवसाय में स्वाभाविक हो गई है । बम्बई और अन्य स्थानों पर कच्चे माल की कमी होने के कारण इसको किसी भी मूल्य पर प्राप्त करने की होड़ लग जाती है--और यहीं छिपा हुआ धन काम आता है । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी एक उदाहरण दिया है कि कलकत्ते में केवल खनिज और कोयले के परिवहन के व्यापार में 100 करोड़ रुपया आयकर से बाहर है ।

अब स्थिति यह हो गई है कि समाज में इस प्रकार रुपया बना कर लोग गर्व अनुभव करते हैं । एक बार वित्त मंत्री ने यह बताया था कि विक्रय कर का केवल 40 प्रतिशत भाग इकट्ठा होता है । यदि स्थिति यह हो गई है तो हमें इस रोग को दूर करने के लिये गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये । अपमिश्रण, धोखा देना, कर अपवंचन हमारी समाज में आदत हो गई है ।

अतः मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं कि सरकार ने एक एसी व्यवस्था बनाई है जो कि उन लोगों के दिल में भय पैदा कर दे जो धन छिपा रहे हैं ।

[श्री खाडिलकर]

मैं स्वतन्त्र दल के अपने माननीय मित्र से सहमत नहीं हूं कि यह ऊंचे करारोपण और स्फीत के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इस सम्बन्ध में पालकीवाला का सिद्धान्त बहुत कृत्रिम है क्योंकि जब हम करारोपण स्तर की तुलना करते हैं तो हमें इस की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करनी चाहिये। उन्होंने अमरीका और ब्रिटेन के करारोपण स्तर से तुलना की है जहां प्रति व्यक्ति आय सब से अधिक है।

श्री पालकीवाला ने कहा कि करारोपण बहुत अधिक है और हम ने इसे स्वीकार कर लिया है। जहां तक स्फीति का सम्बन्ध है, विकासशील अर्थव्यवस्था में, यदि यह नियंत्रित रहे, तो बहुत लाभकारी होती है। भारत में उपभोज्य वस्तुओं की कमी होने के कारण, इस उद्योग में लोग बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। यदि हम समाज को साफ रखना चाहते हैं और समाज में अनुशासन रखना चाहते हैं तो यह उपाय पर्याप्त नहीं हैं। क्योंकि कुछ वस्तुओं की कमी के कारण यह व्यापार और उद्योग में आदत बन गई है इसलिये यह उपाय पर्याप्त नहीं है। और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि जो रियायतें वित्त मंत्री ने दी हैं उनसे छिपा हुआ धन बाहर निकल आयेगा। विमुद्रीकरण से भी छिपा हुआ धन बाहर निकाला जा सकता है। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस के अतिरिक्त वह कोई और भी कदम उठायेंगे। यद्यपि हमारा स्वतन्त्र गणराज्य है फिर हमारे समाज का नतिक स्तर और सामान्य आचरण बहुत नीचा है। इसका सुधार हमें कठोरता पूर्वक करना चाहिए।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी (तिरुचेंदूर) : स्वतन्त्रत दल के एक सदस्य ने अध्यादेश की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूछा है। छापे मारने से जो धन प्राप्त हुआ था उसे नियमित करने के लिये यह आवश्यक था। उन अधिकारियों की भी रक्षा करनी थी जिन को कानून के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त नहीं थे। हमें उन लोगों को भी बचाना था जो स्वेच्छा से अपने छिपे हुए धन को प्रकट करने को तैयार थे। इस उपाय का यही कारण है। संसद् का सत्र 24 दिसम्बर को समाप्त हुआ और फिर 17 फरवरी को आरम्भ हुआ और यह अवधि कम नहीं थी। अध्यादेश को पारित करने से पहले इन सब बातों पर विचार किया गया था।

साम्यवादी दल के सदस्य से जो समर्थन प्राप्त हुआ है वह बहुत मूल्यवान है। एक अन्य सदस्य ने बहुत ही बेतुका आरोप लगाया है। उन्हों ने कहा कि जिस अधिकारी ने एक अभिनेत्री के घर छापा मारा था उसे स्थानान्तरित कर दिया गया था। जो अधिकारी उस के स्थान पर आया उस ने यह बताया कि उच्च अधिकारियों का यह आदेश है कि इस अभिनेत्री से नरमी से पेश आया जाये। यह बिल्कुल मिथ्या है क्योंकि इस अभिनेत्री को वर्ष 1964-65 के लिये 7,18,300 रुपये की आय पर कर लगाया गया था और जो धन उस से प्राप्त हुआ था उसे इस प्रयोजन के लिये उपयोग कर लिया गया है। और हम ने सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया हुआ है कि वह नम्रता से पेश आयें। अतः यह उस अधिकारी के विरुद्ध आरोप बिल्कुल मिथ्या है। यह इस सभा के सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया के विरुद्ध है कि मैं किसी अधिकारी की यहां प्रशंसा करूं अथवा बुराई करूं। परन्तु इस मामले में उन्होंने इस अधिकारी का नाम लिया है जो कि सरकार के बहुत अच्छे अधिकारियों में से है। मुझे खेद है ऐसे जिम्मेदार सदस्य उन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जो इस सदन द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये पूरा प्रयास कर रहे हैं।

एक अन्य माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस को कुछ फर्मों से 98 लाख रुपया मिला है, अतः इन फर्मों की तलाशी ली जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में

मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जब भी रुपया लेती है तो इसे प्रकट कर देती है। अन्य दल जो रुपया लेते हैं वह प्रकट नहीं किया जाता। अन्यथा उनको यह धन चैक द्वारा लेना चाहिये और अपने बही खातों में दर्ज करना चाहिये। राजनैतिक दलों को दिया हुआ धन प्रकट होना चाहिये। और फर्मों को भी चाहिये कि वह ऐसा धन चैक द्वारा दें और न कि नकद। जो राजनैतिक दल निर्वाचनों में बहुत सा धन व्यय करते रहे हैं, उनको यह धन कहीं से तो मिलता होगा, क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या इतनी अधिक नहीं है।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : जो 98 लाख रुपया कांग्रेस ने चन्दे के रूप में लिया है, क्या उस पर उसने आयकर दिया है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐसे चन्दों पर आय-कर नहीं लगता। यह धन किसी एक वर्ग अथवा स्थान पर नहीं दिया जाता। श्री खाडिलकर के प्रश्न अभी समय से पहिले हैं क्योंकि जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, शायद उनके अच्छे परिणाम निकल आयें? हमारी दण्ड संहिता भी काफी सफल रही है, क्योंकि यदि यह न होती तो शायद अपराधों में बहुत वृद्धि होती। मुझे आशा है कि जो उपाय मैंने किये हैं उनके कुछ परिणाम निकलगे। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि फलां व्यक्ति के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गई। हम यह तलाशियां तब तक नहीं लेते जब तक हमें ठीक सूचना न मिले। मैं किसी माननीय सदस्य के कहने पर ही किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकता। मुझे विश्वास है कि कुछ समय के बाद हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं नहीं कह सकता कि हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा कि नहीं। यदि यह स्वीकार नहीं किया गया तो कानून अपना काम करेगा। मैं यह नहीं कह सकता कि छः महीने में चोर बाजारी समाप्त हो जायेगी; हो सकता है इसमें दो या तीन वर्ष लग जायें।

इस सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है कि कुछ व्यक्ति बहुत धनी हो गये हैं और कुछ व्यक्ति बहुत निर्धन हो गये हैं। मैंने अपने जीवन के 45 वर्षों में छोटे व्यक्तियों को ऊंचे उठते देखा है और बड़े व्यक्तियों को नीचे गिरते देखा है। जहां तक आय-कर विभाग का सम्बन्ध है उसे कानून की परिधि के अन्दर ही काम करना पड़ता है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि अधिकारियों को जो यह शक्तियां दी गई हैं, उनका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जायगा; चाहे दस व्यक्ति बच निकलें परन्तु एक निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिये। अतः हम बहुत सावधान हैं कि किसी के कहने मात्रा से हम किसी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड न दें।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि हुण्डियों के अतिरिक्त 5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। कितने मामलों में अभी तक कर निर्धारण कर लिया गया है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अभी उन पर कार्य हो रहा है। कुछ मामलों को छोड़ कर मैं कोई सूचना नहीं दे सकता। परन्तु हुण्डियों और धन के अतिरिक्त हमें लेखा पुस्तकें भी मिली हैं जिनसे हमें और सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने तथा उस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कुछ तलाशियों को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2--(धारा 132 के स्थान पर नई धारायें रखी जायें)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड दो पर विचार करेंगे।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 33,

five per cent [5 प्रतिशत] के स्थान पर 'six per cent' [छ: प्रतिशत] रखा जाय। (II)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन सभा के सामने प्रस्तुत हैं।

श्री नारायण दांडेकर : मैंने अपने पहले संशोधन में शब्द 'or might be' और 'or would not' को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस धारा के सम्बद्ध भाग इस प्रकार हैं :

"जहां निरीक्षण के निदेशक अथवा आयुक्त को प्राप्त सूचना के आधार पर यह विश्वास है कि . . .

(ख) किसी व्यक्ति जिसको सम्मन अथवा सूचना दी गई है अथवा दी जायेगी. . ."

मुझे समझ में नहीं आता कि यदि किसी व्यक्ति को सम्मन भेजे गये तो वह किस प्रकार लेखा पुस्तकें नहीं लायेगा। इस धारा को दूसरा भाग पहले भाग के अर्थ को प्रभावहीन बना देता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरा अर्थ समझ जायेंगे और इन शब्दों 'or might be' और 'or would not' को हटाने का मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे।

मैंने अपने दूसरे संशोधन में पृष्ठ 3, पंक्ति 9 के उपरान्त एक परन्तुक जोड़ देने का सुझाव दिया है। नई धारा की उप-धारा (4) में एक प्राधिकृत अधिकारी को सम्बद्ध व्यक्ति से शपथपूर्वक कथन लेने का अधिकार है और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही में यह कथन प्रयोग किया जा सकता है। यह उचित भी है जिससे लोग अपना कथन न बदल दें। इस के अन्त में उन शब्दों को जोड़ देने का मेरा यह सुझाव है :

"यदि उक्त कायवाही में सम्बद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं जिसका कथन लिया गया था, तो उसे उस कथन की एक प्रति दी जायेगी और उस कार्यवाही के दौरान वह उस व्यक्ति से जिरह कर सकता है जिसने यह कथन दिया था"।

मुझे आशा है कि मेरा यह सुझाव भी स्वीकार्य होगा ।

मेरा तीसरा संशोधन पृष्ठ 3, पंक्ति 15 पर है; अर्थात् सम्बद्ध अधिकारी निहित जांच करने के पश्चात्, आयुक्त से अनुमति लेकर कब्ज़ा लेने के 90 दिन के अन्दर प्राक्कलन आदि के बारे में आदेश जारी करेगा । परन्तु मेरे विचार में सम्बद्ध अधिकारी को समय का विस्तार देने के अधिकार न देना अन्यायिक होगा । अतः मैंने यह शब्द जोड़ देने का सुझाव दिया है :

"अथवा इतने विस्तृत किये हुये समय में जो 60 दिन से अधिक नहीं होगा वह उक्त व्यक्ति को उसके आवेदन पत्र पर अपने विवेकाधीन दे दे" ।

मेरा अगला संशोधन पृष्ठ 3, पंक्ति 19 और 20 पर है । उसकी वर्तमान धारा के अनुसार सम्बद्ध अधिकारी जांच करने के पश्चात् आयुक्त की पूर्व अनुमति से एक आदेश दे,--ऐसी आय जिसको छिपाया गया हो (जिसमें ऐसी सम्पत्ति से आय भी शामिल है जिसके सम्बन्ध में बताया न गया हो) का आक्कलन संक्षिप्त रीति से और उपलब्ध सूचना के आधार पर करे । मेरे विचार में शब्द "संक्षिप्त रीत से" शेष धारा के विरुद्ध है । अतः मेरा निवेदन है कि यह शब्द हटा दिये जायें ।

मेरा अगला संशोधन पृष्ठ 5 पर है । इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से है कि यदि कोई व्यक्ति आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहे तो किस अधिकारी से करे ।

वर्तमान उपधारा इस प्रकार है :

यदि कोई व्यक्ति उपधारा 5 के अन्तर्गत दिये गये आदेश पर आपत्ति करता है तो वह इतने समय में उस अधिकारी को आवेदन पत्र दे जिसके सम्बन्ध में सरकारी गजेट में केन्द्रीय सरकार की ओर से अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी । मेरा सुझाव यह है कि अपील बजाय किसी तदर्थ अधिकारी के किसी अपील न्यायाधिकरण के सामने होनी चाहिये ।

मेरा अगला संशोधन पृष्ठ 5, पंक्ति 13 पर है जिसमें मैंने "अधिसूचित अधिकारी" के स्थान पर "आय-कर अपील न्यायाधिकरण" को रखने का सुझाव दिया है ।

मेरा अगला संशोधन संख्या 7, पृष्ठ 5 के अन्त पर स्पष्टीकरण का है ।

यह स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

"इस धारा में शब्द 'कार्यवाही' का अर्थ किसी भी कार्यवाही से है जो किसी भी वर्ष की हो, चाहे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत या इस अधिनियम के अन्तर्गत, जो उस तिथि को लम्बित हो जब इस धारा के अन्तर्गत कोई तलाशी प्रधिकृत की गई हो या जो इस तिथि से पहले पूरी हो गई हो और इसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत वह सब कार्यवाहियां भी शामिल हैं जो किसी भी वर्ष ऐसी तिथि के पश्चात् आरम्भ की गई हों" ।

मेरा संशोधन यह है कि "किसी भी वर्ष की" का सम्बन्ध उसी वित्तीय वर्ष से हो जिसमें परिसम्पत् कब्ज़े में लिये गये हैं । दूसरे शब्दों में पूर्व निर्धारणों पर पुनः विचार

[श्री नारायण दांडेकर]

करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । क्योंकि कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि यदि आज कहीं पर सरकार सम्पत्ति पर कब्जा करती है तो यह वर्ष 1970 या 1971 के निर्धारण के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य की संशोधन संख्या 1 के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जिन शब्दों को धारा 132(1)(ख) में से हटाने का प्रस्ताव किया गया है वह अधिनियम में, अध्यादेश के जारी करने से पहले ही विद्यमान है इस विधेयक से इस खण्ड के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिसको संसद ने पहले ही स्वीकृत किया हुआ है ।

इस संशोधन का असर यह होगा कि जब लेखों अथव दस्तावेजों को पेश करने के लिए वास्तव में समन अथवा पूर्व सूचना जारी की गयी हो तबही तलाशी के लिए अधिकार दिया जा सकेगा । ऐसी आकस्मिकताओं को रोकने के लिए जिन शब्दों को हटाये जाने की व्यवस्था की जा रही है उन्हें मूल रूप से खण्ड में रखा गया है ।

जहां तक दूसरे संशोधन का प्रश्न है, इसमें जांच का कोई सवाल नहीं है, जैसाकि मैंने अपने मूल भाषण में जिक्र किया था कि किसी विशेष व्यक्ति से बयान सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि वह किसी स्पष्टीकरण को बाद में बदल न दे। किन्तु यह न्यायिक कार्यवाही के रूप में नहीं है । यह बयान लेने का आशय यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति विशेष से यह मालूम किया जाये कि उसके पास ये दस्तावेज़ अथवा धन या अन्य कोई वस्तु क्यों है । इन उपबन्धों के अन्तर्गत कर निर्धारण करते समय सामान्य विधि-नियमों का उलंघन नहीं होता है ।

जहां तक तीसरे संशोधन का प्रश्न है, मैंने इस बारे में विचार किया है । जहां तक पकड़े हुये आय कर धन का सवाल है, इसका निर्णय 90 दिन के अन्दर हो जाना आवश्यक है । हमें ऐसे मामलों का और भी शीघ्रता से निबटाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

जहां तक संशोधन 5 और 6 का प्रश्न है कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में उन विभिन्न प्राधिकारियों का अन्तिम आश्रय नहीं लेगा जो कि निर्णायक होंगे । इस खण्ड में यह व्यवस्था की गई है कि आय-कर अधिकारी अपनी अधिकतम सुनिश्चित जांच के आधार पर प्रकट न की गई आय के बारे में अनुमान लगायेगा और आयकर अधिकारी द्वारा इस का निर्णय 90 दिन के भीतर किया जायेगा ।

आयकर सम्बन्धी अपीलें सुनने वाले न्यायाधिकरण को किसी प्रकार का प्रशासनिक प्राधिकार नहीं दिया गया है । मैं इस बात से सहमत नहीं होता कि प्रशासनिक क्षेत्र में किसी अन्य अधिकारी को ऊपर से लाया जाये ।

अन्त में संशोधन संख्या 7 के बारे में मुझे यह कहना है कि उपधारा 132 के व्याख्या 2 के अन्तर्गत संशोधन सम्बन्धी सुझावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस से भावी कार्यवाही को उस वित्तीय वर्ष तक सीमित किया जाता है जिस में आस्तियां पकड़ी गई थीं । इस संशोधन से व्यापारियों को अपना वित्तीय वर्ष अपनाने में सुविधा नहीं रहेगी । अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : एक सरकारी संशोधन है—संशोधन संख्या 11.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 33,— "five per cent." ["पांच प्रतिशत"] के स्थान पर "six per cent." ["छः प्रतिशत"] रखा जाये । (11)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended was added to the Bill.

खण्ड 3 (धारा 271 का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) पृष्ठ 7, पंक्तियां 7 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

'"(4A) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (iii) of sub-section (1) the Commissioner may, in his discretion—

(i) reduce or waive the amount of minimum penalty imposable on a person under clause (i) of sub-section (1) for failure, without reasonable cause, to furnish the return of total income which such person was required to furnish under sub-section (1) of section 139, or

(ii) reduce or waive the amount of minimum penalty imposable on a person under clause (iii) of sub-section (1),

if he is satisfied that such person—

(a) in the case referred to in clause (i) of this sub-section has, prior to the issue of notice to him under sub-section (2) of section 139, voluntarily and in good faith, made full disclosure of his income; and in the case referred to in clause (ii) of this sub-section has, prior to the detection by the Income-tax Officer,' ".

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

[' "(4क) उपधारा (1) के खण्ड (i) अथवा खण्ड (iii) में किसी बात के होते हुए भी आयुक्त अपने स्वविवेक से—

(i) उपधारा (1) के खण्ड (i) के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाये जाने वाली न्यूनतम दण्ड की राशि को कम कर सकता है या उस में छूट दे सकता है, जो धारा 139 की उपधारा (1) के अन्तगत अपेक्षित कुल आय के आंकड़ों को बिना किसी उचित कारण के सूचित नहीं करता, अथवा

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर लगायी जाने वाली न्यूनतम राशि को कम कर सकता है अथवा छूट दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति--

(क) इस उपधारा के खण्ड (i) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 139 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उस व्यक्ति को जारी किये गये नोटिस के पूर्व उस ने स्वेच्छा से तथा सद्भाव में अपनी आय पूरी तरह बता दी हो, तथा इस उपधारा खण्ड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आयकर अधिकारी द्वारा मालूम किये जाने से पूर्व ऐसा कर दिया हो ।" '] (9)

(2) पृष्ठ 7, पंक्ति 24,—

"clause (iii) ["खण्ड (ii)"] के स्थान पर

"clause (i) or, as the case may be, clause (iii), ["खण्ड (i) अथवा, यथास्थिति, खण्ड (iii)]" (10)

धारा 271 में खण्ड 3 में एक नई उपधारा 4क का समावेश किया गया है जो आयुक्त को यह शक्ति देता है कि वह अपने स्वविवेक से. ऐसे व्यक्ति के मामले में जिस ने अपनी स्वेच्छा तथा सद्भाव में अपनी छिपाई हुई आय के बारे में पूरी तरह से और सच सच बता दिया हो, धारा 271 (1) (iii) के अन्तर्गत उस पर लगायी जाने वाली दण्ड की न्यूनतम राशि को कम कर सकता है अथवा छूट दे सकता है। धारा 271 (1) (i) के अन्तगत आय का ब्यौरा स्वेच्छा से पेश न किये जाने पर, लगायी जाने वाली न्यूनतम दण्ड राशि के बारे में इस प्रकार की रियायत नहीं दी गई है। धारा 271 (1) (i) के अन्तर्गत आय का ब्यौरा न दिये जाने पर कर का 2 प्रतिशत भाग हर माह न्यूनतम दण्ड राशि लगायी जाती है जिस की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब लोग स्वेच्छा से अपनी आय के बारे में बता सकते हैं। यदि इसे मान लिया जाता है तो उसे आय का ब्यौरा ठीक समय में पेश न करने के कारण आर्थिक दण्ड देना पड़ेगा यद्यपि यह सम्भव है कि उस व्यक्ति पर अपनी आय प्रकट न करने पर, लगायी गई न्यूनतम आर्थिक दण्ड की राशि को कम किया जा सकता था अथवा छूट दी जा सकती थी। अतः ऐसी विशेष स्थिति से बचने के लिए इस संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(1) पृष्ठ 7, पंक्तियां 7 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

'"(4A) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (iii) of sub-section (1) the Commissioner may, in his discretion—

(i) reduce or waive the amount of minimum penalty imposable on a person under clause (i) of sub-section (1) for failure, without reasonable cause, to furnish the return of total income which such person was required to furnish under sub-section (1) of section 139, or

(ii) reduce or waive the amount of minimum penalty imposable on a person under clause (iii) of sub-section (1),

if he is satisfied that such person:—

(a) in the case referred to in clause (i) of this sub-section has, prior to the issue of notice to him under sub-section (2) of section 139, voluntarily and in good faith, made full disclosure of his income; and in the case referred to in clause (ii) of this sub-section has, prior to the detection by the Income-tax Officer,"'.

"(4क) उपधारा (1) के खण्ड (i) अथवा खण्ड (iii) में किसी बात के होते हुए भी आयुक्त अपने स्वविवेक से—

(i) बिना किसी उचित कारण के न देने पर उपधारा (1) के खण्ड (i) के अन्तगत किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाये जाने वाले न्यूनतम दण्ड राशि को कम कर सकता है या उस में छूट दे सकता है, जो धारा 139 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित कुल आय के आंकड़ों को बिना किसी उचित कारण के सूचित नहीं करता, अथवा

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर लगायी जाने वाली न्यूनतम राशि को कम कर सकता है अथवा छूट दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति--

(क) इस उपधारा के खण्ड (i) में निर्दिष्ट मामले में धारा 139 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उस व्यक्ति को जारी किये गये नोटिस के पूर्व उस ने स्वेच्छा से तथा सद्भाव में अपनी आय पूरी तरह बता दी हो, तथा इस उपधारा खण्ड (ii) में निर्दिष्ट मामले में आयकर अधिकारी द्वारा मालूम किये जाने से पूर्व ऐसा कर दिया हो ।" (9)

(2) पृष्ठ 7 और पंक्ति 24 ? "clause (iii) ["खण्ड (iii)] के स्थान पर "clause (i) or, as the case may be, clause (iii) "[खण्ड (i) अथवा, यथा स्थिति, खण्ड (iii)"] (10)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4 तथा 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये, "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में, वर्ष 1965-66 के लिए रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी ।

श्री हिम्मतसिंह जी (कच्छ): उपाध्यक्ष महोदय, आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे यातायात में हर प्रकार की सुविधायें बढ़ाने तथा उसका विकास करने के बारे में जो योजना आयोग ने योजना बनायी है वह सारहीन है । देश में रेलवे-यातायात की मांग उसकी मौजूदा क्षमता

से कहीं अधिक है। देश के विभिन्न भागों से मालडिब्बों की कमी के बारे में समय समय पर शिकायतें होती रहती हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयला ढोने के लिये बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। माल ढोने के लिये प्रतिदिन लगभग 600 माल-डिब्बों की और अधिक आवश्यकता है। बंगाल के कई खानों में स्थिति और भी बिगड़ चुकी है। खानों के बाहर कोयले की काफी अधिक मात्रा इकट्ठी हो गई है, परिणामस्वरूप बहुत से श्रमिकों की छंटनी होने का भय है। ऐसी ही स्थिति कपड़े के बारे में भी है कपड़े की गांठें बाहर पड़ी हुई हैं किन्तु माल-डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। इस का असर सारे उद्योगों पर बुरा पड़ रहा है। इस से उत्पादन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ा है। माल-डिब्बों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। यह सब कुछ केवल यातायात के साधनों के पर्याप्त रूप में न होने के कारण हो रहा है, चालू योजना में हमारी रेलों पर बहुत दबाव पड़ रहा है अतः इसे कम करने के लिए सड़कों के यातायात के विकास करने की बड़ी आवश्यकता है, किन्तु इस दिशा में भी कई अड़चनें डाली जाती हैं जिन से सड़कों के विकास की प्रगति में बाधा पड़ती है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जब वह रेलवे तथा परिवहन मंत्री थे, 28 नवम्बर, 1956 में यह आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक मोटर गाड़ियों को परमिट देने के बारे में दूरी के प्रतिबन्ध हटा लिए जायेंगे किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रेलवे मंत्रालय को अकारण ही सड़क यातायात प्रतिस्पर्धा से अनावश्यक भय बना हुआ है। आज अन्य देशों में सड़क यातायात को अधिक महत्व दिया जा रहा है, वास्तव में सड़क परिवहन अधिक तेज, कम खर्चीला तथा कार्यकुशल है। आज हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था में, उद्योग कृषि तथा अन्य क्षेत्रों से हमारे सामने विभिन्न मांगें हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

जापान ने एक नई रेलवे का विकास किया है। अविकसित तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में नई रेल की लाइनों को बिछाने में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि कांडला-जुन्ड-विरमगाम बड़ी लाइन पर काम चालू हो गया है और मुझे आशा है कि वहां एक पुल बनाने की भी शीघ्र व्यवस्था की जायेगी।

हमारे देश के कई स्थानों में परिवहन सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता है। कच्छ और सौराष्ट्र में और अधिक रेलवे लाइनों की आवश्यकता है। कांडला से मादनी तक मुन्द्रा से होकर--एक लाइन बनाने की ज़रूरत है। यह अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मादनी के निकट बौक्साइट तथा अन्य खनिज पदार्थों के भण्डार हैं और वहां कई उद्योग खुल रहे हैं। नई लाइनों के खुलने से खान उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। यहां के व्यापारियों तथा अन्य लोगों का बम्बई से अधिक सम्पर्क रहता है। अतः इस लाइन की बहुत लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही है।

रायल सीमा एक अन्य पिछड़ा हुआ इलाका है। 30–35 वर्ष पहिले नन्दीलाल से मदनपल्ली तक कुद्दापाह और रैयाचोटी से हो कर एक रेल की लाइन बिछाने के बारे में जांच की गई थी और रेलवे उपकर भी वसूल किये गये थे। अतः समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है।

नगरों में सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं किन्तु देहाती क्षेत्रों की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। हमारा देश विशाल है और विभिन्न स्थानों की अलग अलग समस्यायें हैं तथापि सरकार को चाहिए कि वह कृषकों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्हें भी यथासम्भव सुविधाएं प्रदान करें।

गांधीडाम —पालनपुर —सेक्शन में यात्रा करने में बहुत असुविधायें हैं। लोगों का समय व्यर्थ ही नष्ट होता है, वहां रेलगाड़ियों की उचित व्यवस्था नहीं है । वहां पर इस लाइन में एक अधिक तेज चलने वाली रेल गाड़ी चालू करने की आवश्यकता है जिस से यात्रा करने वाले लोग डाक गाड़ी पकड़ सकें ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the the Railway Budget for 1965-66 presented by the hon. Railway Minister. It is a balanced budget. The Minister has thrown a sufficient light on the achievements and progress made by the Railway Ministry and the adequate increase in the operational efficiency achieved in the various wings of the Railway administration.

The Railway Minister, while presenting the budget, mentioned about the two targets which they want to complete; the first is the construction of double lines in the country and the other one that of electrification. So they propose to introduce more fast running trains by introducing diesel and electric locomotives. Today we have got 11 thousand locomotives, out of which 9,000 locomotives can render good service and the remaining 2 thousand engines are very old or obsolete and as such they are of no use. The Government should emphasise the need to manufacture locomotives in our own country. It is a matter of pleasure and satisfaction that this work has been started at Varanasi. In view of the efficiency shown by the skilled staff and the trained officers in the Integral Coach Factory and the Chitranjan Locomotives, I further hope that it will not only enable us to meet our requirements but it will also place us in a position to export the locomotives. The Government should, therefore, encourage the skilled workers and the traind officers with a view to promote the manufacture of locomotives in our country.

The other objective which has been aimed at is to lay double lines in the country with a view to provide more transport facilities. I would like to point out that these are countries like U.S.A., Japan, etc. where there are not as many as double lines as we have in our country. Inspite of that the railways render fairly a better service in those countries so far as their operations are concerned.

The targets fixed for the Third Five Year Plan have since been completed and I am sure that the Railway Ministry would also achieve success in fulfilling their objective with regard to construction of double lines laid down in the Fourth Five Year Plan, more effectively.

There is a great need to construct a double line from Queel to Sialda via Bhagalpur. This underdeveloped area has been given a step-motherly treatment by the Railway authorities. I am happy to know that the hon. Railway Minister has now paid his attention to this under-developed area which needs the establishment of some industries for its development and therefore, with a view to achieve this end, it is absolutely necessary to provide transport facilities to this area in the absence of which the development of the said area will not be possible.

There is a great need to connect Dumaka, the district headquarters by a new railway line. I can suggest that the Bhagalpur visi-Madarabit Railway line may be further extended to Dumaka so that it might be connected with the main line. There is also need to connect Peer Penti, the district headquarters of Santhal by extending Bhagalpur-Madarabit railway line because it is a place where most of the inhabitants are Adivasis and their interests should also be looked into by the Government. The matter of extension of the Kosi Line to Toomka also requires a full consideration.

[**Shri Thirumal Rao** in the chair
श्री तिरुमल्ल राव पीठासीन हुए।]

I would also like to invite the attention of the hon. Railway Minister to the Kosi line—where Punsiya has not been developed into a good station. No station has so far been constructed on this Kosi line. It appears that that Railway authorities are encouraging the ticketless travels there as there is no arrangement made to check passengers. The former Railway Minister, Sardar Swaran Singh had approved of the scheme to construct a station there and accordingly tenders were also invited but no contract has so far been entered into as no body has come out for offering a bribe. I, therefore, request the hon. Railway Minister to look into the matter and take steps to check such matters.

Today the Road transport has developed as a formidable competitor with the Railways as it provides a better and quicker service. I may, therefore, suggest that there is a pressing need to develop our Railways and to provide more facilities to passengers, to introduce more fast running trains, offer better and quicker service and safe delivery of goods to the proper destinations with a view to meet the growing requirements of our developing economy and cater to increased passenger and goods traffic.

Now I come to the Railway accidents which often occur, particularly cases of derailment. Though the number of accidents has fairly decreased, even then suitable measures should be taken to avoid such accidents. It is observed that lack of thorough inspection and examination of tracks by the gang detailed for the purpose is mainly a factor responsible for such accidents. Therefore adequate arrangements should be made to have a thorough and complete inspection of the tracks by the gang detailed for duty.

The Railways should also be in possession of spare parts so that the repairs of the damaged wagons could be carried in time and also the locomotives gone out of proper working order might be enabled to render proper service, compared to the railways of Britain, we have a very poor Railway industry in our country. It is true that a fairly large amount of money is blocked in the process of storing the spare parts; but at the same time it helps them render better and efficient service and avoid railway accidents.

There has been a strong criticism of the persistent increase in the railway fares and freight charges. But we admit that our deve-

[Shri Bhagwat Jha Azad]

loping economy has a demand for it. But the Railways have also to perform certain duties towards those who pay more and increased fares. There is a need to extend more facilities to the Third Class compartments. The Railways should also be very strict on the score of punctuality and regularity so far as the arrival and departure of trains concerned. The problem of overcrowding still remains. Efforts should be made and suitable and necessary measures taken by the Railway authorities to eliminate over-crowding in the trains.

I am very happy to say that the Minister of State has given an assurance to introduce a passenger train from Kinl to Sialda. There is also a demand from the public for a halt at Mamalkha station and there is a need to contruct a new railway station at Eqwari. There is a pressing need to construct an over-bridge at Peer-Penthi which requires an expenditure amounting to Rs. 50 thousand to be incurred. I have often observed that there is lack of proper arrangements with regard to the reservation of sleeping births in the trains. The running staff indulges in corrupt practice by way of realising money from the passengers for which they issue no receipt. The Railway Administration is in the grip of bureaucracy. No complaint, even there made by the Members of Parliament, are properly looked into by the officials concerned. There is a need to improve morale and descipline among officers and other staff, I will request the hon. Minister to take stringent measures to eradicate corruption creeping in high levels and eleminate irregularities and malpractices which have laid their hand on the Railways.

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्य को पर्याप्त समय दिया है । वह अब अपना भाषण समाप्त करें।

Shri Bhagwat Jhad Azad: In the end, Sir, I would like to suggest that there is a need to effect economy in the Administration-expenditures. The employees should be given a fair deal with provisions made for their amenities and facilities and the service conditions of the staff including running staff improved, I would also add that suitable steps may also be taken to remove the geniune grievances of all categories of Staff. The Railways are a symbol of our progress and development and the whole nation is looking at them with hope, expectations and aspirations and the Railways should try to achieve commendable performance to the entire satisfaction of the country.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना के बारे में (प्रक्रिया)

RE: CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—(Procedure)

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि जिन सदस्यों ने "कच्छ में पाकिस्तान की घुसपैठ" के विषय में ध्यान दिलाने की सूचना दी थी, वे आज सायं 4.45 बजे, वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।

रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

डा० रानेन सेन (कलकत्ता–पूर्व) : सभापति महोदय, प्रायः सभी समाचार पत्रों ने रेलवे आय-व्ययक की आलोचना की है । इसे आशाजनक नहीं बताया गया है । वस्तु-भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि की गई है । मंत्री महोदय ने वास्तविक स्थिति के प्रतिकूल रेलवे का एक दूसरा ही चित्र प्रस्तुत किया है । रेलवे राजस्व में कमी होने के कारणों पर विचार नहीं किया गया है । न उसकी कमियों को ही दूर करने का प्रयत्न किया गया है । आज यातायात सड़क परिवहन की ओर अधिकाधिक झुकता जा रहा है, सदन के सभा-पटल पर रखे गये रेलवे मंत्रालय के प्रतिवेदनों से विदित होता है कि रेलवे परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं सुझाये गये हैं । यह एक बहुत गम्भीर विषय है, जब तक इस दिशा में सुधार करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक वस्तु-भाड़े से आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकती ।

रेलवे प्रशासन में प्रायः उच्च पदाधिकारियों के लिए काम कम है । वे असली बातों पर विचार करने के बदले ऐसी बातों की उपेक्षा करते हैं । रेलवे सम्पत्ति की चोरी और बर्बादी बहुत होती है । रेलवे के मरम्मत व निर्माण आदि कार्यों में भी धन का बहुत अपव्यय होता है । अतः इस सम्बन्ध में सुधार करने की आवश्यकता है, देश में कीमतों के बढ़ने का एक यह भी कारण है कि वस्तु-भाड़े और यात्री किराये में निरन्तर वृद्धि होती रही है । रेलवे में चोरबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कोई राजकोषी नीति तथा उचित दण्ड व्यवस्था नहीं है ।

रेलवे हमारे देश में केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व देने वाला एक बहुत बड़ा संस्थान है । वर्ष 1965–66 में 103 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार को राजस्व के रूप में दिये गये हैं। रेलवे में इस वर्ष अवक्षयण निधि के लिए 85 करोड़ रुपये रखा गया है । अब हम धीरे-धीरे बिजली और डीजल इंजिनों का प्रयोग कर रहे हैं । अतः इस कार्य के लिये इतनी बड़ी धन राशि की आवश्यकता नहीं है । इसे घटा कर 65 अथवा 70 करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिए । रेलवे किराये का भार साधारण जनता पर नहीं अपितु समाज में बड़े स्तर के लोगों पर, जो कि वातानुकूलित डिब्बों अथवा पहिले दर्जे में यात्रा करते हैं, पड़ना चाहिए ।

इस सदन ने यह निश्चय किया था कि यात्रियों की सुख-सुविधाओं के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये खर्च किये जाने चाहिए, किन्तु यह राशि पूरी तरह खर्च नहीं की जाती है । यद्यपि 15 वर्ष पहिले की तुलना में आज पर्याप्त सुख-सुविधायें मिली हुई हैं । यह आवश्यक है कि रेलवे यात्रियों अथवा प्रयोक्ताओं को यथा सम्भव और अधिक सुविधायें देने के लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा ठोस तथा उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए ।

मुझे अब कलकत्ता में एक रिंग रेलवे के निर्माण के विषय में कहना है । कलकत्ता एक विशाल नगर है । किन्तु वहां परिवहन की अत्याधिक कठिनाई है । अन्य बड़े नगरों यथा बम्बई, मद्रास, बंगलौर आदि की तुलना में भी कलकत्ता में सब से अधिक भीड़-भाड़ रहती है ।

[डा० रानेन सेन]

बहुत पहले यह एक प्रस्ताव था कि कलकत्ता के चारो ओर (सरकुलर) रेलवे बनानी चाहिए। इस से कलकत्ते की भारी भीड़ भाड़ काफी कम हो जायेगी। यह विचार क्यों छोड़ दिया गया इसका भी पता नहीं चला फिर पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने इस बात को पुनः उभारा है। पश्चिमी बंगाल विधान सभा में एक मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि कलकत्ता के चारों ओर रेल बनाई जाय। रेलवे बोर्ड ने इसके सर्वेक्षण इत्यादि के खर्चे की बात चलाई। पश्चिमी बंगाल सरकार ने सर्वेक्षण व्यय वहन करना स्वीकार कर लिया। कुछ भी बात हो, कितने भी खर्चे का सवाल हो, कलकत्ता के लिए रेलवे बड़ी आवश्यक है, अनिवार्य है।

त्रिपुरा को अन्य भारत के तथा पश्चिमी बंगाल से मिलाने का जहां तक प्रश्न है वह बहुत गम्भीर है। संसद् के सदस्यों तक को हवाई जहाज से आना पड़ता है। आसाम में रेलवे का निर्माण होना चाहिए। केवल एक ही रेलवे लाइन है जो कि धर्मनगर को आसाम के कुछ भागों से मिलाती है। मेरा निवेदन यह है कि आसाम में उचित व्यवस्था की जाय, और यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी लाइन की रेलवे होनी चाहिए। आसाम में विकास कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, अतः परिवहन की व्यवस्था का सुधार होना चाहिए।

रेल दुर्घटनाओं के बारे में मैं कुछ कहना भूल गया हूं। रेलवे मंत्री महोदय ने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया है कि इस वर्ष दुर्घटनाएं कम हुई है। अब यह संख्या 14 ही रही है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि रेलवे दुर्घटना जांच समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जानी चाहिए। मंत्री महोदय को इस समिति द्वारा सिफारिश किये गये उपायों के अतिरिक्त भी कोई उपाय सोचने चाहिएं। अतः रेलवे मंत्रालय की जो भी आलोचना हुई है उसको समक्ष रख कर अपनी प्रस्तुत की गई सभी प्रस्थापनाओं पर पुनः विचार करना चाहिए।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल): मैं रेलवे मंत्री महोदय को मुबारकबाद देती हूं। उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। उन्होंने बहुत ही सुन्दर ढंग से रेलवे का कार्य संचालन किया है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रेलवे को अपने कार्य पर गौरव होना ही चाहिए। रेलवे सरकारी क्षेत्र का एक मात्र उपक्रम है जो सामान्य निधि से रहते हुए प्रतिवर्ष नियमित रूप से धन कमा रहा है। 15 लाख लोगों की रोटी इसी उपक्रम से चल रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे भाड़ों की आलोचना की है। मैं जो कुछ थोड़ा सा भाड़ा बढ़ाया गया है, उसका समर्थन करती हूं। मेरा विचार है कि इस तनिक सी वृद्धि का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि ऐसा करने से लोगों पर बोझ पड़ता है। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि रेलवे पर 3000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। सरकार प्रत्येक वर्ग लगभग 100 करोड़ रुपया इस से प्राप्त करती है। यह भी बात हमें अपने सामने से ओझल नही करनी चाहिए कि हम सुविधाओं की

भी मांग करते हैं। हमें सुविधायें प्राप्त हों तो हमें थोड़ी सी वृद्धि का बुरा नहीं मनाना चाहिए । वैसे वृद्धि के बाद भी हमारे हर अन्य देशों के मुकाबले में बहुत कम हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

हम प्रतिदिन यह मांग करते आये हैं कि अधिक गाड़ियां चलें, अधिक सुविधायें हों, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सब व्यवस्था करने के लिए धन कहां से आयेगा । कुछ माननीय सदस्यों ने रेलों में बढ़ रही भीड़भाड़ का भी उल्लेख किया है । फिर भी यह एक तथ्य है कि हाल ही में रेलों की संख्या में काफी वृद्धि हो गयी है । इस पर भी भीड़भाड़ उसी तरह चल रही है । कहीं भी चले जाईये प्लेटफार्म सामान और भीड़ से परिपूर्ण दिखाई देते हैं । मेरा अनुरोध यह है कि प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ नहीं रहनी चाहिए । इससे लोगों को बहुत कष्ट होता है । सरकार को स्टेशन मास्टरों को यह आदेश देना चाहिए कि प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ कम करने की व्यवस्था करे ताकि यात्रियों को असुविधा न हो । यह सुना गया है कि रेलवे टिकटों का भी काला बाजार होता है । वह भी बन्द होना चाहिए । तीसरे दर्जे की गाड़ियां बढ़ाई जानी चाहिए ।

रेलगाड़ियों की धीमी गति तथा लेट आने की भी शिकायतें हैं। सरकार को इस दिशा में सुधार के प्रयत्न करने चाहिए । रेलों को समय पर चलाना और अधिक गति की गाड़ियों की व्यवस्था करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है । इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । आशा करनी चाहिए कि मंत्री महोदय इस दिशा में अपेक्षित कार्य करेंगे । यदि प्लेटफार्म टिकटों के दर को अधिक कर देने से प्लेटफार्मों की भीड़ कम हो सके तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए । रेलवे इंजीनियरों तथा कर्मचारियों को पम्बन पुल के पुनर्निर्माण के लिए बधाई देना चाहती हूं । इस दिशा में उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाया है । इस पर सभी गौरव कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त नये दक्षिण-केन्द्रीय क्षेत्र के स्थापित किये जाने का भी स्वागत है ।

गोदावरी नदी पर पुल के निर्माण पर यदि 2 या 3 करोड़ के बजाये एक या दो करोड़ रुपये अधिक खर्च किये जायें तो रेल तथा सड़क वाला पुल बन सकता है । राज्य सरकार भी काफी धन खर्च करने को तैयार है । अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार भी इसके लिए काफी धन राशि खर्च करने को तत्पर है, अतः रेलवे मंत्रालय को इस दिशा में उचित कार्यवाही करनी चाहिए । नंदलाल कुड्डपा—रायचोरी—पाकाला लाइन के निर्माण का कोई कार्य भी आरम्भ किया जाना चाहिए इस दिशा में आगे ही काफी देर हो गयी है । मेरा यह भी निवेदन है कि महिलाओं की सुविधाओं की ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिए । महिलाओं के डिब्बे गाड़ी में बीच में जोड़ने चाहिए। महिलाओं के लिए शयन कक्षों वाले डिब्बों में भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

विद्यार्थियों को रियायतें दी जाने वाली बात भी विचारणीय है । दिल्ली में संस्थाओं को इसके लिए फार्म दिये गये हुए है । शिक्षा संस्थाओं को भी ये फार्म दिये जानें चाहिए । अन्त में मैं आशा करती हूं कि रेलवे मंत्रालय के ये तीन दिग्गज रेलवे को और प्रगति की ओर ले जायेंगे ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : यद्यपि मैं रेलवे की श्रम समस्या के अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं परन्तु समय अभाव के कारण केवल श्रम समस्या पर ही कुछ कहूंगा । इससे पूर्व मैं रेलवे मंत्री को लाभवाला बजट प्रस्तुत करने के लिए मुबारकबाद देता हूं । यद्यपि थोड़ी भाड़ा वृद्धि की आलोचना की गयी है तथापि रेलवें का कार्य 1964 में इतना अच्छा रहा है कि वह

अखर नहीं रहा है रेलवे की क्षमता में सुधार करने और उसे विकास की ओर ले जाने में रेलवे मंत्रालय ने बहुत ही कार्य किया है, विशेष रूप से कोयला लोहा जैसे मुख्य क्षेत्रों में तथा अन्य कच्चे माल को इस्पात कारखानों तक ले जाने की दिशा में। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इससे ही यह आशा की जा सकती है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा जो हानियां 1964 में उठाई है, उसे दूर करने की दिशा में प्रगति होगी और मंत्रालय उस दिशा में शीघ्र ही पग उठायेगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस तथा कलकत्ता-मद्रास डाक गाड़ी की चाल को और बढ़ाया जाना चाहिये। इन दो महत्वपूर्ण गाड़ियों के रुकने के स्थानों में से अनावश्यक को हटा दिया जाना चाहिए। समय आ गया है जबकि रेलवे प्रशासन को गाड़ियों में लम्बी यात्रा के यात्रियों के लाभ के लिये रेडियो तथा बिना तार की टेलीफोन व्यवस्था की सम्भावना पर विचार करना चाहिए। यह उचित नहीं है कि रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता 145 अंकों तक दे जबकि मूल्यों में वृद्धि 163 अंक है। आशा की जाती है कि रेलवे मंत्रालय भी दास आयोग की 600 और 1200 रुपये के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार करेगा।

इसके अतिरिक्त दूसरे वेतन आयोग द्वारा सुझावित मंहगाई भत्ते आंकने का सूत्र नाकार हो चुका है इसलिये इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। यह सभी श्रम संस्थाओं की सर्वसम्मत राय है। यह खेद की बात है कि रेलवे प्रशासन ने एक भी उचित मूल्य की दुकान नहीं खोली कर्मचारियों को चाहे जितना भी मंहगाई भत्ता दिया जाये उनकी समस्या हल नहीं होगी जबतक खाद्यान्नों तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं को अन्न की विभागीय दुकानों से सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध नहीं किया जाता। यदि प्रशासन चाहता है कि कर्मचारियों तथा श्रमिकों को संतोष मिले तो इसे उनके लिये पर्याप्त सुविधाओं का प्रबन्ध करना होगा।

कर्मचारियों द्वारा एकमत होकर यह मांग की गई है कि रेलवे कर्मचारियों के लिये एक पृथक मजूरी बोर्ड होना चाहिए और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये। नैमित्तिक श्रमिकों की, जोकि श्रमिकों का निम्नतम वर्ग है, मजूरी निर्धारित करने के लिये रेलवे प्रशासन न्यायाधिकरण का सामना नहीं करना चाहता। यदि मंत्रालय ऐसी समस्याओं का न्यायाधिकरण को सौंपने से इन्कार करता है तो सरकार के लिए इस बात का कोई भी औचित्य नहीं रहता कि वह गैर-सरकारी नियोजकों को न्यायाधिकरण का सामना करने के लिये कहे।

रेलवे प्रशासन को गृह-निर्माण के अपने कार्यक्रम को शीघ्रता से करना चाहिये। इस समय प्रगति बहुत कम है। उसे विभिन्न स्थानों पर प्लाट लेकर उनका विकास करना चाहिये। प्रशासन को भारतीय रेलों के संबंध में एक कर्मचारी वृन्द पदाली की स्थापना करनी चाहिये अधिकारियों के लिये सिविल इंजीनियरी तथा ट्रेफिक विभागों में पदोन्नति का एक एक रूपी ढांचा होना चाहिए। अवर्गीकृत अस्थायी अधिकारियों की कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाए। उन अधिकारियों को कभी कभी आठ से दस वर्ष तक अस्थायी रखा जाता है। मैं मंत्री महोदय तथा राज्य मंत्री महोदय दोनों से अनुरोध करूंगा कि वे इन गरीबों की स्थिति का ध्यान करे। इन्हीं लोगों की सहायता से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि क्षेत्रों का विभाजन करते हुए व्यवहारिक कठिनाइयों को सामने रखा जाना चाहिए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd*

पाकिस्तानी कर्मचारियों की कच्छ में घुस पैठ

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I want to raise a point of order. When a statement has been read in one House, why it has been laid on the Table of the other House. I also want that the correspondence between our Government and the Government of Pakistan should also be placed on the Table of the House.

I also want to ask a question that as the Government of Gujarat has failed to protect this border, whether the Government are thinking of handing over this area to the Central Police. The length of road prepared and their duration should also be in our information. Whether it is true that the oil is available in this area, that is why Pakistan Government are keeping an eye over this area?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि कच्छ क्षेत्र में सीमांकन के पत्थर नहीं गाड़े गए थे, वास्तविक सीमा को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था। हमारी वास्तविक स्थिति निश्चित थी और हमारा कहना यह है कि उस स्थिति को बदल दिया गया है। निःसन्देह हमें सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिये और हम वैसा कर रहे हैं। किसी घुसपैठ अवस्था में हमारे द्वारा किये गए उपाय ठीक प्रकार के ही उपाय हैं। आशा है कि उन उपायों के फलस्वरूप घुसपैठ बन्द हो जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम उच्च स्तर पर सम्मेलन करेंगे।

यह सत्य नहीं है कि हमारी किन्हीं राष्ट्रोजनों को मारा पीटा गया अथवा भगा दिया गया। जो कुछ अक्साई चिन में हुआ, इस मामले को उससे सम्बद्ध करना गलत होगा। वर्तमान मामला घुसपैठ से सम्बन्ध रखता है तथा कब्जे का नहीं है। हमने उन सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबन्ध इस प्रकार से चलाया है कि हमारी चौकियां वहां स्थापित हैं और गश्त का काम जारी है। यह सामान्य प्रबन्ध है कि विभिन्न स्थानों पर पुलिस की चौकियां नियुक्त हैं। इस कारण यदि कोई अधिक गम्भीर बात होती है, केवल तभी सेना दखल देती है। भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के बीच दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : पहले हमारे क्षेत्र में घुसपैंठ हुई। फिर एक नये मार्ग का निर्माण किया गया। तीसरे पाकिस्तानी सेना या पुलिस हमारे प्रदेश में गश्त लगाती है। चौथी बात है कि सीमा के पास पाकिस्तान की ओर सेनाओं का जमाव है। इसकी रिपोर्ट मारो, बेदिन तथा रहीम-की-बाजार में मिली है। इस सब से यह पता चलता है कि इस सीमा पर भी गड़बड़ की आशंका है तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? और जो वास्तव में हमारा क्षेत्र है वह भारत और पाकिस्तान के बीच परस्पर विरोध पत्रों का विषय न बन जाये इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं मानता हूं कि हमें सीमा की रक्षा करनी है और हम कर रहे हैं। इस बारे में कोई भूल नहीं होनी चाहिये। यदि कोई घुसपैंठ होती है और जैसे हुई है तो इस बारे में की गई कार्यवाही ठीक है। हम आशा करते हैं कि यह फिर नहीं होगी और यदि आवश्यकता हुई तो उच्चस्तर की बैठक हो सकती है। ऐसे

[श्री स्वर्ण सिंह]

मामलों में यही होता है कि इस को राजनैतिक स्तर पर हल किया जाय । हम ऐसा ही कर रहे हैं। मुझे उस प्रश्न का स्पष्टीकरण करने दिया जाये कि जिस को कई बार दोहराया गया है । यह सच नहीं है कि हमारे लोगों को पीटा गया और निकाल दिया गया था। यह सच है पाकिस्तान की घुसपैंठ के पश्चात् भी कुछ क्षेत्रों में हमारे लोग गश्त लगाते रहे हैं । अतः पीटने और निकाले जाने की कोई बात नहीं थी ।

Shri Balmiki: By going through this statement one gets the impression that the attitude of Pakistan Government is not helpful. In case the talks are not fruitful, what defensive or offensive action Government is taking and with what results?

Shri Swaran Singh: I agree that we will take all steps to exercise control over that areas under our control. The attempt made to occupy it forcefully is illegal and we hope it will be settled by negotiations and if it fails then there is no need for thinking or answering.

Shri Balmiki: Only protest notes will be sent or Government will take some military action as well?

Shri Onkar Lal Berwa: Charkha will be sent.

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रश्न कर सकते हैं दो नहीं ।

श्री कपूर सिंह : मैंने वक्तव्य को गौर से पढ़ा है। केवल एक ही प्रश्न है जो विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या कभी कंजरकोट क्षेत्र हमारे कब्जा में रहा है जैसे कि अब है, यदि हां, तो यह कैसे है कि अकसाईचिन की भान्ति हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में हमारी जानकारी के बगैर ही हमारे क्षेत्र कब्जे में ले लिये जाते हैं? फिर हमारे पास बातचीत के अतिरिक्त और कोई बात नहीं रहती ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमें अकसाईचिन के मुकाबले में इसको नहीं लाना चाहिये । मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं यह स्थान ऐसा नहीं कि जहां भवन हैं। यह तो एक दुर्ग के बराबर है। इस स्थान पर हमारा अधिकार है । हमारे दस्ते वहां गश्त लगाते हैं । दूसरी ओर के लोग वहां कभी नहीं आये। अब के उन्होंने घुसपैंठ की है । हमारी वहां पर चौकियां हैं ।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा था कि यह कैसे हो सकता है कि एक तो हमारी गश्त होती रहती है और दूसरे उन्होंने उस क्षेत्र में स्थाई रूप से कब्जा कर लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थायी नहीं ।

श्री हिम्मत सिंहका : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है। घुसपैंठ की सूचना गुजरात पुलिस को 25 जनवरी को मिली और आज 3 मार्च हैं । हम कार्यवाही कब करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : यही तो कार्यवाही है कि यह मामला बिना किसी लड़ाई के हल हो जाये। मैं यहां व्यक्त किये गये विचारों का पूरा आदर करता हूं यदि यह इस प्रकार हल हो जाय तो बहुत अच्छा है नहीं तो अन्य बातों के बारे में सोच सकते हैं।

श्री जसवन्त मेहता : गुजरात के गृह-कार्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में कहा है कि पाकिस्तानी घुसपैंठ करने वाले सीमा से 20 मील तक चले आये थे। मंत्री महोदय ने कहा है सीमा पुलिस के होते हुए वह लोग आये फिर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में इस 300 मील की सीमा की रक्षा करना किस की जिम्मेवारी है। यदि गुजरात पुलिस इस योग्य नहीं तो क्यों नहीं भारत सरकार इसको सेना के सुपुर्द करती ?

श्री स्वर्ण सिंह : बहुत सी बातें इकट्ठी कर दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय के हल करने में भारत सरकार और गुजरात सरकार में कोई मतभेद नहीं। अन्त में यह भारत सरकार की ही जिम्मेवारी है कि सीमा की सुरक्षा का ध्यान करें। साधारणतः पुलिस तैनात की जाती है परन्तु यदि आवश्यकता पड़े तो सेना भी भेजी जाती है। जहां तक उन के 20 मील तक आने की बात है मैं देखूंगा।

यह सच नहीं कि पाकिस्तानियों ने कंजरकोट के दुर्ग पर कब्जा कर लिया है अथवा, वह 20 मील तक चले आये।

श्री पु० र० पटेल : गुजरात राज्य में सिंध और कच्छ के बीच एक सीमाकर रेखा हुआ करती थी और वह अब हमारी सीमा के अन्दर है। अब जब वह हमारी सीमा के अन्दर तक आ गये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप सेना क्यों नहीं भेजते और डरपोकों की तरह कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसी बात नहीं है। हम डरपोक नहीं। हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है।

इस के पश्चात् सभा वृहस्पतिवार, 4 मार्च 1965/13 फाल्गुन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, March 4, 1965/Phalguna 13, 1885 (Saka).

GMGIFND—LS—III58 (Ai) LSD—1-7-65—800